ISSN-0971-8397

योजना

दिसम्बर 2014 विकास को समर्पित मासिक ₹ 10

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

भारतीय कारोबारी क्यों जाते हैं परदेस
वी एन बालासुब्रमण्यम
निकोलस फोरसेंस

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः नीतिगत बदलाव व राज्यगत विविधता
सोजिन शिन

भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश प्रवाह में क्षेत्रगत असमानता
एस आर केशव

विशेष आलेख
अप्रासंगिक कानूनः अनिवासी भारतीयों की कशमकश
अनिल मल्होत्रा

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

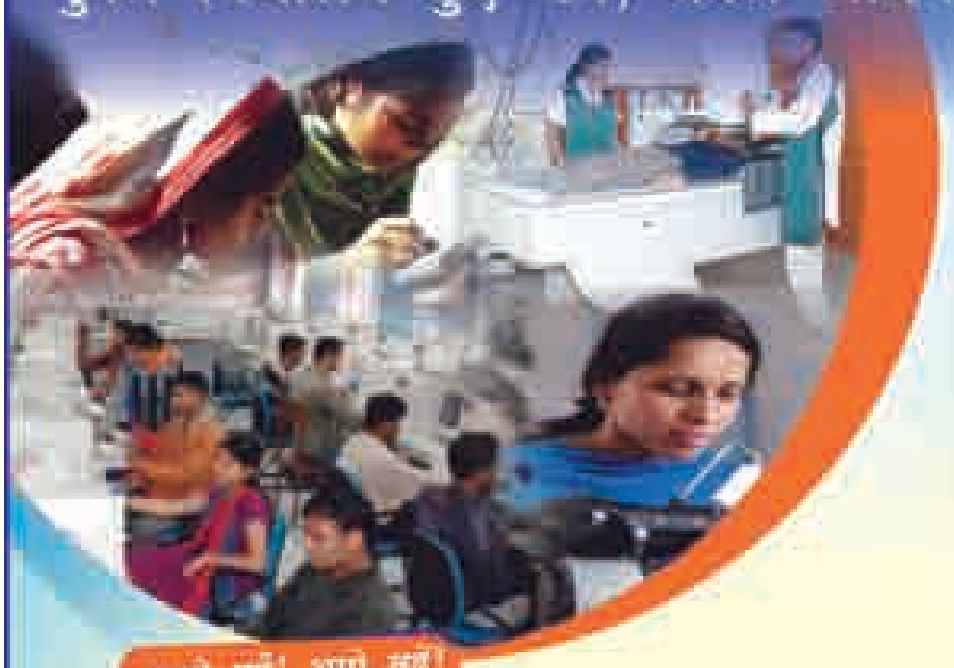

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें... मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियाँ
	पुरुष	महिला	[illegible]	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	—	—	—	30 जून प्रत्येक वर्ष
• सेकेण्डरी (कक्षा - X) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
• सीनियर सेकेण्डरी (कक्षा - XII) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
• व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			[illegible]

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24/25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री न. 1800-180-9393; ईमेल : lsc@nios.ac.in वेबसाइट : www.nios.ac.in

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

YH-247/2014

योजना

वर्ष 58 ● अंक 12 ● दिसंबर 2014 ● अग्रहायण-पौष, शक संवत 1936 ● कुल पृष्ठ 56

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा

संपादक
जय सिंह
ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष: 23717910, 23096738
टेलीफैक्स: 23359578
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी. के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष: 26100207
फैक्स: 26175516
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

संपादकीय		7
भारतीय कारोबारी क्यों जाते हैं परदेस	वी एन बालासुब्रमण्यम निकोलस फोरसेंस	9
विदेशी निवेश से ज्यादा जरूरी सही आर्थिक नीतियां	अश्विनी महाजन	15
भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश प्रवाह में क्षेत्रगत असमानता	एस आर केशव	19
विशेष आलेख		
अप्रासंगिक कानून: अनिवासी भारतीयों की कशमकश	अनिल मल्होत्रा	24
विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ा सकते हैं व्यापार समझौते	नितिन प्रधान	29
भारत में विदेशी निवेश: नीतिगत बदलाव व राज्यगत विविधता	सोजिन शिन	33
घरेलू बचत को बढ़ावा जरूरी	भुवन भास्कर	37
प्रगति प्रतीकों की हकीकत	रहीस सिंह	41
क्या आप जानते हैं?		44
भारत में विदेशी निवेश: अतीत और वर्तमान	राजीव रंजन झा	45
डब्ल्यूटीओ में भारत को मिली बड़ी सफलता	रवि शंकर	49
ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश पर असमंजस	प्रभाष कुमार झा	52

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें। व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष: 26100207, 26105590

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं: सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610), हाल सं, 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) *701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) *8, एसप्लानेड, ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030), *'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) *प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) *ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) *फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) *बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) *हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) *अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें: वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रैवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है। योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने है। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

आपकी राय

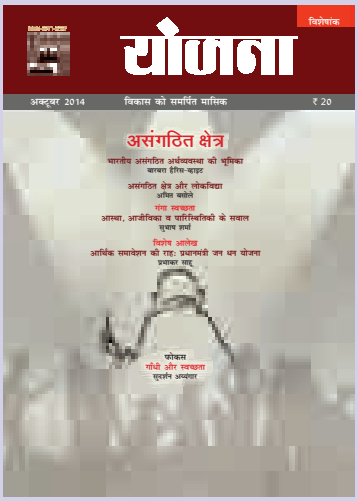

असंगठित क्षेत्र पर बहुमूल्य सामग्री

योजना का अक्टूबर 2014 का विशेषांक पढ़ा। अंक में कतिपय नवीन जनोन्मुखी उपयोगी विषय के अंतर्गत पहली बार अंसगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में बहूमूल्य तथ्यों, विचारों व आंकड़ों का समुचित उल्लेख और इसके सारस्वत स्वरूप पर यथोचित ढंग से प्रकाश डाला गया है।

विभिन्न सरकारी सगंठनों की कार्यशैली चाहे कैसी भी हो, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर इनका दबदबा आज भी दृढ़ रूप से कायम है। इसकी मूल वजह यह है कि ऐसे संगठनों से जुड़े अथवा सरकारी पेशे से ताल्लुक रखने वाले विविध कार्मिक समूहो को अनुमानित दबाव से परे बेशक हल्के नियंत्रण के अधीन सुरक्षापूर्ण वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट के अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि इसकी तुलना में अंसगठित क्षेत्र को हीन या निम्न स्तर के नजरिये से आंका जाता है।

असंगठित क्षेत्र के अधीन कृषि व वैयक्तिक व्यवसाय तथा सार्वजनिक उत्पादन से जुड़े लोगों में अनुमानित लक्ष्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई, उत्पादन की लागत और साधन जुटाने की समस्या, कर-निवारण, पूंजी-प्रबंधन, काम का बोझ, कार्यकारी नीतियों संबंधी विवाद, उत्कृष्ट आर्थिक लाभ व प्रभावोत्पादकता और सबसे अधिक जीविकोपार्जन से अभिन्न रूप से जुड़ी सीमित आय की अनिश्चितता उवं उससे वंचित होने का भय सदैव बना रहता है।

यह भी सत्य है कि अंसगठित क्षेत्र के अंतर्गत स्वत: सफूर्ति ऊर्जा का बहुआयाम व कौशल विकास संगठित क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र गति से हो पाता है। अनौपचारिक क्षेत्र दृढ़-इच्छाशक्ति, कठोर श्रम और कार्यशाली अर्थव्यवस्था की अनुप्राणित कर, आधुनिकता का जामा पहन उसकी लार्भाजन प्रक्रिया की गति प्रदान करते हुए वैश्विक स्तर पर उस साख को पुनर्जीवित अथवा पुनर्स्थापित करने में अहम भागीदार है।

औपचारिक क्षेत्र की कार्य-प्रतिष्ठा, सामाजिक सुरक्षा व स्वायतत्ता असंगठित क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है लेकिन कार्य-प्रणाली की विश्वसनीयता, उत्कृष्ट उत्पादन, आर्थिक लाभ और विभिन्न साधनजयी उपक्रमों की स्थापना, विनिमय संचालन नेतृत्वकर्ता के रूप में तथा सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास की अपरिमित बानगी के तौर पर असंगठित क्षेत्रों का निसंदेह रूप से अभूतपूर्व योगदान है।

राकेश रंजन, ए4, मीडिया हाउस, 110, बी5, गौतम नगर, नई दिल्ली

आस्था, आजीविका और पारिस्थितिकी के सवाल

अक्टूबर 2014 अंक में लेखक सुभाष शर्मा के आलेख 'आस्था, आजीविका और पारिस्थितिकी के सवाल' ने मुझे विशेष प्रभावित किया। गंगा नदी को भारतीय प्राचीन काल से ही गंगा को पवित्र नदी के रूप में मानते रहे हैं। गंगा भारतीय जनमानस, संस्कृति और सभ्यता में कई रूपों में सदियों से विद्यमान रही है। गंगा को कोई इसे आजीविका के स्रोत के रूप में देखता है, कोई मां या देवी के रूप में आस्था के प्रतीक स्वरूप देखता है, तो कोई पारिस्थितिकी के अंग (नदी के रूप में) देखता है। प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान बनारस में कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है।

दूसरी ओर एक जर्मन नागरिक या ब्रिटिश नागरिक अपने देश की सबसे महत्पूर्ण नदी क्रमश: राइन और टेम्स को न देवी कहता है, न मां कहता है और न पवित्र मानता है। मगर नदी मानकर टेम्स और राइन नदी को स्वच्छ रखता है। भारत में पवित्र नदी गंगा को हम अभी तक स्वच्छ नही रख सके। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए आजादी के बाद ही विशेष ध्यान देने की जरूरत थी जो नही हो सका। वर्तमान समय में युवाओं में गंगा नदी के प्रति कोई जिज्ञासा और नही ही गंगा नदी को स्वच्छ कैसे रखा जाए इस पर विशेष ध्यान नही। गंगा नदी का कई तरह से दोहन किया जाता है। पटना और भागलपुर के बीच गंगा में डाल्फिन ही का शिकार धड़ल्ले से किया जाता है।

अशोक कु. ठाकुर
मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा (बिहार)

असंगठित क्षेत्र की दशा और दिशा पर सराहनीय प्रस्तुति

असंगठित क्षेत्र की वर्तमान दशा और दिशा पर आपकी प्रस्तुति सराहनीय और प्रेरणादायी है। इसमें विद्वान संपादक की ओर से 'भारत निर्माता के प्रति' शीर्षक से प्रस्तुत विचार को आज हम सभी को एक बार पुन: मूल्यांकन करने और वास्तविकता को स्वीकृत करने की

चुनौती का सामना भी जरूरी है। भारत के निर्माण में संगठित क्षेत्रों के अलावा असंगठित क्षेत्र का भी इतना ही योगदान है, किंतु इनके लिए शासन स्तर पर समुचित सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के बीच तालमेल का अभाव है जिस पर वे एक बार पुन: विचार करना जरूरी होगा।

छैल बिहारी शर्मा इंद्र
छाता (उ.प्र.)

जरूरी है उत्सव का उल्लास

उत्सवों के माध्यम से नव उत्साह और उमंग के वातावरण का निर्माण होता है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश या समाज होगा जो उत्सव नहीं मनाता होगा। उत्सवों में सूर्य का आत्मबल, चंद्रमा की मानसिकता अग्नि की तेजस्विता और यज्ञ की समर्पण भावना विद्यमान है। इसलिए समय-समय पर होने वाले उत्सव समाज जीवन में उदात्त गुणों की वृद्धि समता और सरलता निर्माण कर समाज जीवन को उल्लासमय बनाते हैं। नि:संदेह उत्सव से मन, आत्मा और शरीर सभी उल्लासित होते हैं।

योजना हिंदी मासिक परिवार व पाठकों का एक बार फिर ज्योति पर्व दीपावली के समुपुल क्षय में हार्दिक अभिनंदन एवं शुभ कामनाएं।

बड़ा अंधेरा है मिल, कोई दिया जलाया जाए। रोशनी का पर्व है, रोशनी को घर बुलाया जाए।।

घुसपैठिए-सा यह घर से कुछ आया है।
साजिश जो भी रच रहें हैं, अंधेरे के साथ
सूरज को उन्ही ने आज घर में छुपाया है।
सबक सूरज को अब यह सिखाया जाए,
दीया सूरज दिये को नहीं,
सूरज दिए को दिखाया जाए।
उजाले को संसद में,
प्रश्न अंधेरे का उठाया जाए।
अहसास अंधेरें को भी
अब सूरज को कराया जाए।

खुशाल सिंह कोहली
फतेहपुर, सीकरी, उत्तर प्रदेश

बूंद में समाहित सागर प्रधानमंत्री जन-धन योजना

हम हमेशा नदी से पानी भर कर लाते हैं। हमारा विश्वास होता है कि पुन: पानी की जरूरत पड़ने पर हम नदी के पास जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने हमें बहुत प्रभावित किया है। यह अत्यंत तीव्र विकास का आधार बनती जाएगी।

सैकड़ों सुअवसर प्रधानमंत्री जनधन योजना से युवाओं को मिलेंगे। वस्तुत: प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

'योजना' पत्रिका युवाओं की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिविंबित करती है।

मनोज कुमार तिवारी
द्वारा श्री विनोद सिंह
नियर बीडी कॉलेज, पटना, बिहार

उपयोगी अंक

प्रस्तुत अंक में कई लेख सामयिक होते हुए भी संग्रहणीय महत्व के हैं। इस संदर्भ में संपादकीय आलेख भारत निर्माता के प्रति महत्वपूर्ण तथा सराहनीय है। इस पर प्रकाश डालना सराहनीय है।

गंगा स्वच्छता पर विद्वान लेखक श्री सुभाष शर्मा का आलेख मैने बड़े मनोयोग से पढ़ा। मैं इनकी लेखकीय क्षमता तथा विश्लेषण की तारीफ करता हूं। किंतु पटना को ही आधारं बनाकर संपूर्ण गंगा धारा का विवरण प्रस्तुत करने में कुछ भ्रांतियां आ गई हैं। जैसे गंगा या किसी नदी पर बांध निर्माण के पहले उसकी इंजीनियरी, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं से जांच कर ली जाती है। तब सरकार द्वारा कार्यारंभ होता है।

जहां तक गंगा पर निर्मित दो निर्माण टिहरी तथा फरक्का की बात है। ये दोनों वर्षों से विवाद में रहे हैं। किंतु हाल में अब विशेषज्ञों तथा निर्माताओं ने यह तथ्य उजागर किया कि टिहरी बांध नहीं बना होता तो पिछले साल आई भंयकर बाढ़ से हरियाणा और दिल्ली तक तबाह होती। और फरक्का बांध (जलनियामक) नही होता, तो कोलकाता बंदरगाह बंद हो जाता और गर्मियों में हुगली सूख जाती। 'योजना' में ऐसी विचारोत्तेजक रचनाएं प्रकाशित करने के लिये पुन: धन्यवाद।

राधाकांत भारती
पीरागढ़ी, नई दिल्ली

सराहनीय संपादकीय

58 वर्षों से लगातार अपनी सेवा से अनुग्रहित करने वाली पत्रिका योजना को एक किशोर पाठक की ओर से नमन, वंदन व अभिनंदन।

दरअसल् मै योजना को बहुत पहले से देखता, गुनता एवं समझता आया हूं। मेरे घर में पिताजी इस ऐतिहासिक पत्रिका के नियमित पाठक थे, और अब हम सब इस पत्रिका के चर्तुदिक, विकास की कामना करता हूं।

इतने कम मूल्य में समाज के गरीब से गरीब बच्चे भी ओजस्वी लेखों से परिपूर्ण पत्रिका को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकतें है। आज हम गौरव एवं स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि आज अगर राष्ट्रीय विकास युगबोध की हुंकार भरने वाली कोई पत्रिका है, तो वो सिर्फ 'योजना' है। अक्टूबर अंक के संपादकीय में माटी की पुकार, एवं जनमानस की गुहार प्रतिध्वनित होती है।

नचिकेता वत्स
एस.बी.ए.एन. कॉलेज
दरोहा, लारी, (अरवल) बिहार

मानवीय गरिमा से जुड़े स्वच्छ भारत अभियान

गत अंक में प्रोद्योगिकी, नवाचार पर केंद्रित लेख अच्छे लगे। 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' का संक्षिप्त व सारगर्भित बिन्दु रोचक रहा। अमृत पटेल का लेख 'मैला ढ़ोने की कुप्रथा' आज के प्रासंगिक 'स्वच्छ भारत अभियान' में समाहित करने योग्य एक विचारणीय समस्या है।

इस अभियान को केवल सफाई के मुद्दों से जोड़कर नहीं अपितु मानव की गरिमा पर केन्द्रित किया जाना आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में जाति आधारित भेद से बहुत से लोग मुख्य धारा से पीछे छूट गये हैं। समाज द्वारा उन्हें 'गन्दा व केवल मैला ढ़ोनें वाला' ही मानकर व्यवहार करते हैं।

स्वच्छता का अभियान, मानवीय गरिमा के बजाय सफाई के मुद्दे से जोड़कर देखा जाता है। जबकि संविधान हर नागरिक को गरिमामय जीवन की गारण्टी देता है, जिसको आधार बनाकर 1993 का कानून, पुनर्वास कार्यक्रम आदि द्वारा सरकारी प्रयास किए जा रहें है, परन्तु ये तब तक अधूरे व असफल रहेंगे, जब तक इकाई स्तर पर हर नागरिक अपनें इन परिजनों, अपने बन्धुओं की सम्मानजनक वापसी तथा अच्छे जीवन का अभीष्ट दिलाने के लिए हाथ न बढ़ाएगा।

नगेन्द्र प्रताप सिंह
करमैनी, सन्त कबीर नगर (उ. प्र.)

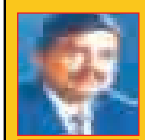

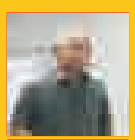

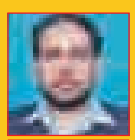

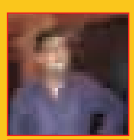

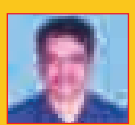

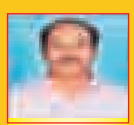

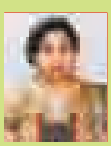

IAS
"सर्वश्रेष्ठ समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों की संस्था"
PCS
GSI
हिन्दी & English Medium
सामान्य अध्ययन
by Team of Renowned & Experienced Teachers
मणिकांत सिंह
(THE STUDY)
History & Culture
जाने माने भूगोलवेत्ता एवं लेखक...
(Pragati IAS)
Geography & Answer Writing
आर. कुमार
(Aastha IAS)
Economy & Sci. Tech.
अभय कुमार
(SYNERGY)
Governance, Ethics & Polity
FOUNDER OF PARAMOUNT
Applied Geography & Physical Geography
राजेश मिश्रा
(Saraswati IAS)
I.R., Constitution & Polity
पंकज मिश्रा
(Aastha IAS)
Social Issues & Social Justice
सुबोध मिश्रा
(Aastha IAS)
Geography
Courses Offered
Foundation Batch
सामान्य अध्ययन
नामांकन जारी... (सीमित सीट उपलब्ध)
General Studies
English Medium Team
Manikant Singh, R. Kumar, Rajesh Mishra, Rajeev Saumitra, Abhay Kumar, Subodh Mishra & Other Teachers of National Fame
Comp. English
CSAT 2015
Under the Guidance of Neetu singh
अब IAS (Mains) Comp. English की चुनौती सरल
नीतू सिंह के द्वारा Paramount में बीस हजार से अधिक छात्रों का English का मार्गदर्शन किया जा रहा है। अब इनके द्वारा GSI के छात्रों को नि:शुल्क मार्गदर्शन किया जाएगा।
Neetu Singh
FOUNDER OF PARAMOUNT
Guest Faculty
Security & Disaster management
Major General V.K. Dutta, Brig. B.K. Khanna, Retd. I.G. Shivaji Singh (BSF) & Team GSI.
Current Affairs & International Issues
by
Retd. Prof. & Bureaucrat of International Fame
(Name Will be Announced Soon...)
सामान्य अध्ययन
पत्राचार पाठ्यक्रम
Features:
एक ऐसी संस्था जो कक्षा के साथ भी, कक्षा के बाद भी आपके साथ।
Team GSI एक संतुलित समर्पित एवं एकजुट होकर काम करने में तथा पढ़ाने में विश्वास करने वाली टीम है न कि दिखावे एवं रणनीति में।
Team GSI के भूगोल विषय के शिक्षक भूगोलवेत्ता हैं। राजीव सौमित्र के द्वारा विश्व के अधिकांश स्थानों की प्रत्यक्ष यात्रा की गई है जो पाठ्यक्रम में शामिल है।
विस्तृत एवं समयबद्ध Course समापन, नियमित जाँच, परीक्षोपयोगी एवं अद्यतन अध्ययन सामग्री तथा समसामयिकी के लिए पत्रिका।
विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए Revision Classes.
GSI एवं Paramount के बीच गठबंधन से इस संस्थान की सुविधाएं GSI के छात्रों के लिए उपलब्ध।
GSI ADD:- 705, IIND FLOOR, MUKHERJEE NAGAR, MAIN ROAD OPP. BATRA CINEMA, DELHI-9
Ph:. 011-27658013, 7042772062, 7042772063
GSI, Allahabad Office: 6/8 Algin Road, Near Vatslya Hospital, Civil Lines, Allahabad. Ph:. 07754839012, 09935987878

YH - 250/2014

संपादकीय

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

नियती के साथ भारत के साक्षात्कार के छः दशक बीत चुके हैं। तबसे न सिर्फ़ गंगा में बल्कि मिसिसीपी, यांग्झी, डेन्यूब, नील तथा अमेजन में भी बहुत पानी बह चुका है। इस दौरान विश्व के आर्थिक हालात में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में उभरने वाला राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बीसवीं सदी के मध्य में अपनी चमक बहुत हद तक खो चुका है। बीसवीं सदी के पहले पचास वर्षों की तुलना में दुनिया के देश आज एक दूसरे से कहीं अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने उभार पर है।

विख्यात इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम की किताब का स्मरण करते हुए यह कहा जा सकता है कि जिस औपनिवेशिक युग ने क्रांति युग को जन्म दिया, उसने बीसवीं सदी की दुनिया में हमारे कदम रखने के रूप में पूंजी युग की घोषणा का एक चक्र पूरा कर लिया है। वैश्विक आर्थिक तंत्र की इमारत अब विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक विशाल पूंजी प्रवाह के ज़रिये और अधिक मजबूत हुई है। अंतर्संबद्ध विश्व की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में यह आववश्यक है कि हम इसका गहराई से परीक्षण करें तथा इसके जटिल वित्तीय व्यवस्था के तंत्रिका तंत्र को समझें जो वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था के मूल में निहित है।

आर्थिक विकास की रणनीति के तौर पर भारत ने शुरुआती दौर में आयात प्रतिस्थापन पर आधारित औद्योगिकीकरण का रास्ता अपनाया। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में अर्थशास्त्रियों ने नीतिगत दौर चिह्नित किए हैं। शुरुआत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विरोधी युग (1969-75) से होती है, फिर चयनामत्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश युग (1975-91) आता है और अंततः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सहयोगात्मक युग 1991 के आर्थिक सुधार के साथ आता है।

आर्थिक नीति के ये चरण भारतीय राजनीति के भी अभिज्ञेय चरण हैं। जिन समग्र सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में आर्थिक नीतियां परिवर्तित होती रही हैं, उन्हीं संदर्भों में इसे देखना कहीं अधिक यथार्थवादी और सटीक है क्योंकि उन्हीं संदर्भों में ये नीतियां व्यक्त हुई हैं और इसने वास्तविक स्वरूप भी ग्रहण किया है। हालांकि स्वाधीनता के बाद के कुछ दशकों में भारत ने जिस आर्थिक मॉडल को अपनाया है, उसके बारे में वाद-विवाद हो सकता है लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि भारत ने एक मज़बूत तथा टिकाऊ आर्थिक आधारभूत संरचना एवं संस्थागत तंत्र का निर्माण किया है, जो इसे अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है।

संस्थागत सुधार देश में एफडीआई को आकर्षित करने वाली नीतियों की सफलता की कुंजी है। भारत को एफडीआई के लिए आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने अनगिनत पहलों की शुरुआत की है। रक्षा उत्पादन, निर्माण, खुदरा आदि जैसे क्षेत्र एफडीआई के लिए खोल दिये गए हैं। सरकार भारत में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रण तथा मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारत को विनिर्माण का केन्द्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत में एफडीआई के शुद्ध अंतर्वाह की हिस्सेदारी 1992 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गयी और आने वाले समय में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2011 में कुल का 6.4 प्रतिशत के स्तर को छूते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का अधिक से अधिक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न अवसरों का उपयोग तथा दोहन करना आज सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। स्पष्ट रूप से यह तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक, पर्यावरण तथा राजनीतिक घटक इसकी राह में रुकावट नहीं बनें। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की आर्थिक पहल की सफलता समाज में आम सहमति बनाने पर निर्भर करती है और ख़ासकर उन लोगों के बीच जो हाशिये पर हैं तथा जो इस प्रक्रिया में विस्थापन तथा आजीविका तथा पर्यावरण के विघटन के दर्द से दो चार हो सकते हैं। अगर हम इस दृष्टि को खो देते हैं तो एफडीआई की कामधेनु उस ईस्ट इंडिया कंपनी की काली छाया से ग्रस्त हो सकती है जिसने भी दो सदी पहले व्यापार तथा निवेश के नाम पर अपने दंश फैलाने की शुरुआत की थी। ❑

दृष्टि The Vision

For Complete IAS Prep: visit: drishtiias.com

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

नि:शुल्क कार्यशाला

30 नवंबर प्रातः 8:30 बजे

CSAT नि:शुल्क परिचर्चा 23 नवंबर 11:30 बजे

अन्य उपलब्ध विषय

हिंदी साहित्य | निबंध | इतिहास

DLP Distance Learning Programme

यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन (प्रा.+मुख्य परीक्षा) (30 Booklets)

सामान्य अध्ययन + सीसैट (30+8 Booklets)

दिल्ली के अलावा देश के किसी भी शहर में हमारी कोई भी शाखा अथवा फ्रैंचाइज़ी नहीं है। विद्यार्थी किसी भी भ्रामक विज्ञापन से बचें।

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH - 253/2014

भारतीय कारोबारी क्यों जाते हैं परदेस

वी एन बालासुब्रमण्यम
निकोलस फोरसेंस

भारतीय कंपनियों की प्रबंधकीय निपुणता उनके मालिक बनने में मददगार है जो उन्हें विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है लेकिन प्रबंधकीय क्षमता के तहत कई तरह के गुण आते हैं जो आसानी से तौले-परखे नहीं जा सकते। जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों में निवेश किया है वे विशिष्ट मालिकाना-बढ़त का आनंद ले रहे हैं। इसे एक ऐसी उद्यमशीलता कहा जा सकता है जिसमें प्रबंधकीय दक्षता, खतरा झेलने, पूर्वानुमान लगाने, नये बाजार की पहचान आदि कुछ गुण हैं जो उन्हें उद्यमशील बनाते हैं

हाल के वर्षों में भारत और चीन ने न सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को उदार बनाया है, बल्कि ये विदेश में निवेश करने वाले प्रमुख मुल्क के रूप में भी उभरे हैं। हालांकि भारत का निवेश चीन की तुलना में काफी कम है, लेकिन वह अन्य उभरते आर्थिक निवेशक देशों से भिन्न है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निर्माण और सेवा क्षेत्र में केंद्रित है और विकसित देशों में उसकी सघन मौजूदगी है। विदेशी बाजार खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में भारतीय एफडीआई का प्रवेश अधिग्रहण आधारित है। भारतीय निवेश की यही वे खासियतें हैं जिनका विश्लेषण आवश्यक है। यह आलेख भारतीय उद्यमियों के बेजोड़ प्रबंधन कौशल की बात करता है।

भारतीय विदेशी निवेश: आकार और पैटर्न

सन् 1990 में भारत का एफडीआई महज एक करोड़ 24 लाख अमेरिकी डॉलर था जो 2011 में बढकर 11 अरब 12 करोड़ 57 लाख डॉलर हो गया जो कि विकासशील देशों के द्वारा अन्य देशों में प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) स्टॉक का 3 प्रतिशत है।

भारत का ओडीआई अपनी बनावट में चीन से खास तौर पर अलग है। चीन के निवेश में जहां तेल और कच्चे माल का बडा हिस्सा है वहीं भारतीय निवेश निर्माण और सेवा क्षेत्र में है।

50 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय ओडीआई विकसित आर्थिक व्यवस्थाओं में है जबकि 75 प्रतिशत से ज्यादा चीन का ओडीआई विकासशील देशों में है। भारत 2008 की समाप्ति तक ब्रिटेन में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बडा निवेशक था (देखें आकृति 2)

भारतीय ओडीआई की वृद्धि मुख्य रूप से अधिग्रहण के जरिये हुई है। सन 2010 के अगस्त तक भारत सर्वाधिक अधिग्रहण करने वाले 10 मुल्कों की सूची में दूसरे स्थान पर था। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में 24 प्रतिशत विलय और अधिग्रहण लेनदेन के आंकड़ों के साथ भारत दूसरे स्थान पर था। (वांग्स्टिन 2010). सन 2000 से 2009 के बीच भारतीय कंपनियों ने विदेश में 72 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम के साथ 1347 विलय और अधिग्रहण किया। (देखें तालिका 3)

टाटा ने टेटली टी, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील का अधिग्रहण किया जबकि स्कॉटलैंड की डिस्टलरी कंपनी व्हीते और मैकके को भारतीय व्यवसायी विजय माल्या ने अधिग्रहण किया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों ने काफी निवेश किया है जो मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं।

तालिका 1: भारत और चीन का ओडीआई स्टॉक (10 लाख अमेरिकी डॉलर में)

देश	1981	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
चीन	39	900	4,45	17,76	27,76	57,20	73,33	95,79	147,94	229,60	297,60
भारत	80	93	124	495	1,733	9,741	27,036	44,080	62,451	77,207	92407

यूएनजीएडी (www.unctad.org/fdistatistis)

वी एन बालासुब्रमण्यम लैंशेस्टर विश्वविद्यालय के प्रबंधन स्कूल में विकास अर्थशास्त्र के अमीरात प्रोफेसर हैं। वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित दर्जनों पुस्तकों के अलावा एफडीआई, अनिवासी भारतीय, सॉफ्टवेयर आदि विषयों पर अनेक लेख प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लिख चुके हैं। वह वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकनॉमिक जर्नल और अंकटाड द्वारा प्रकाशित ट्रांजेक्शन कारपोरेशन जर्नल के संपादकीय मंडल के सदस्य भी हैं। ईमेल: v.balasubramanyam@lancaster.ac.uk

निकोलस फोरसेंस एक्सेटर विश्वविद्यालय के एक्सेटर बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। उनकी शोध विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कॉरपोरेट रणनीति के क्षेत्र में हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयों पर उनके आलेख प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। ईमेल: n.forsans@exeter.co.uk

तालिका 2: चीन और भारत का ओडीआई (अरब डॉलर में)

	भारत				चीन			
	2000-01 2006-07	प्रतिशत	2008-09 2011-12	प्रतिशत	2004 से 2007	प्रतिशत	2008 से 2010	प्रतिशत
प्राथमिक प्रक्षेत्र	1.06	0.64	4.94	8.53	16.93	26.0	25.93	14.30
द्वितीयक प्रक्षेत्र	10.98	43.46	25.96	45.00	6.06	9.0	14.18	7.83
तृतीयक प्रक्षेत्र	13.22	52.00	26.93	46.54	42.34	65.0	141.14	77.87
कुल	25.26		57.86		65.43		181.24	

स्रोत: *यूएनसीटीएडी (www.unctad.org/fdistatistis)*

परंपरागत व्याख्या

कंपनियां विदेशों में इसलिए निवेश करती हैं ताकि वे अपनी व्यावसायिक बढ़त की बजाय अपने एकाधिकार (ओ) का फायदा उठा सकें। खासकर तब, जब बाजार की त्रुटियां और संस्थागत कारक उन्हें अपने उत्पादन को निर्यात करने या बढ़त को अनुज्ञप्तिकरण कराने से विदेशी होने के कारण रोकती हैं। स्टीफन हाइमर (1976) का यह गूढ़ ज्ञान काफी चर्चित है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इसमें विदेशों में निवेश के मद्देनजर स्थान के चयन (एल) को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें एकाधिकारवादी बढ़त को आर्थिक लुटेरों (प्रेडैटरर्स) से बचाने के लिए रास्ते और तरीके (आई) भी दिखाया गया है। एफडीआई के ये तीनों अवयव सामूहिक रूप से ओएलआई पैराडिम या इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ एफडीआई के नाम से जाने जाते हैं (ड्यूमिंग 1993)। भारत और चीन के ओडीआई के संदर्भ में ओएलआई थ्योरी के अद्यतन परीक्षण हैं (प्रधान 2011, बकले और सहयोगी लेखक, 2007, कुमार, 2007 और नूनेकैंप और सहयोगी लेखक 2010)। भारत से संबंधित शुरुआती अध्ययनों में जयप्रकाश प्रधान (2008, 2011, 2004) का शोध महत्वपूर्ण है जिन्होंने काफी परिश्रम से विभिन्न स्रोतों से आंकडे जुटाये हैं जिनमें कुछ मीडिया से लिये गये हैं तो कुछ अप्रकाशित आंकडे सरकारी स्रोतों से भी लिये गये हैं। प्रधान के विश्लेषण भारतीय उत्पाद निर्माता कंपनियों के विदेश जाने के पीछे की कई वजह बताते हैं। इनमें उच्च श्रम उत्पादकता, अनुसंधान और विकास खर्च, प्रबंधन कौशल, निर्यात और 1991 के उदारीकरण के बाद के कारक प्रमुख हैं। यह बहस का विषय है कि ये परिणाम भारतीय कंपनियों के विदेश में निवेश करने और मालिकाना हक से संबंधित कारकों जैसा कि ओएलआई सिद्धांत में कहा गया है, उसका समर्थन करते हैं या नहीं। भारतीय निर्माता कंपनियों की उच्च श्रम उत्पादकता तुलनात्मक तौर पर उनकी उत्पादन प्रक्रिया में निहित उच्च पूंजी तीव्रता है और इसकी भारी मौजूदगी उद्योगों में है जोकि लक्षण से ही पूंजी-प्रधान है। भारतीय निर्माण क्षेत्र के ये दो रूपक मुख्य रूप से उदारीकरण से पहले के आयात वैकल्पिक औद्योगिकीय (आईएसआई) युग का परिफल है। इसकी विस्तार से चर्चा भगवती और देसाई 1970 और पंगारिया 2008 ने अपने लेख में की है। वास्तव में भारत के निर्माण प्रक्षेत्र के अधिकतर उप-समूह अपने ही स्तर के चीन के औद्योगिक समूहों की तुलना में कहीं ज्यादा पूंजी-प्रधान हैं। (बालासुब्रमण्यम और सैप्सफोर्ड 2007)

प्रधान ने ओडीआई का जो विश्लेषण किया है उसमें परिवर्तनशील कारक (वैरियेबल्स) की सूची में भारतीय कंपनियों के प्रबंधकीय कौशल सब से ऊपर है। निश्चित ही भारतीय कंपनियों की प्रबंधकीय निपुणता उनके मालिक बनने में मददगार है जो उन्हें विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है लेकिन प्रबंधकीय क्षमता के तहत कई तरह के गुण आते हैं जो आसानी से तौले-परखे नहीं जा सकते। प्रधान इसे पूंजी के प्रति इकाई लाभ में से विभिन्न कारकों को घटाकर परखते हैं। ये कारक हैं- उम्र, आकार, अनुसंधान और विकास, विक्रय खर्च। इसके अलावा वे डम्मी वैरियेबल्स के एक सेट का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार आंके गये लाभ को वास्तविक लाभ से घटाकर प्रबंधकीय कौशल का आकलन होता है। यह प्रबंधकीय कौशल का पता लगाने का एक सरल तरीका है। ऐसा प्रबंधकीय कौशल प्रबंधकों में स्वाभाविक तौर पर होता है और इनमें व्यावसायिक हुनर भी शामिल है जो कंपनी के चारित्रिक कारक से भिन्न है।

हालांकि इस मूल्यांकन में एक समस्या हो सकती है। यह महज पूंजी से हुई कुल प्राप्ति को ही दर्शा सकती है जैसे कि वैल्यू एडेड कुल मजदूरी। अगर मजदूरी दर कम है या रोजगार का स्तर ही कम है तो मजदूरी को वैल्यू एडेड से

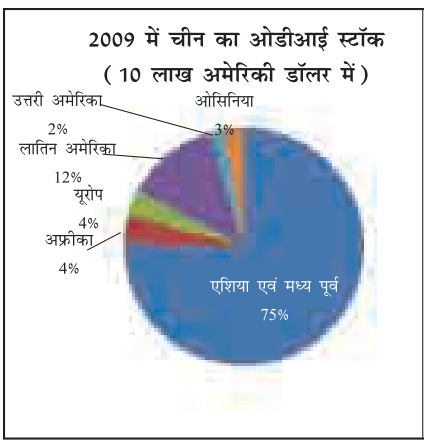

आकृति 1

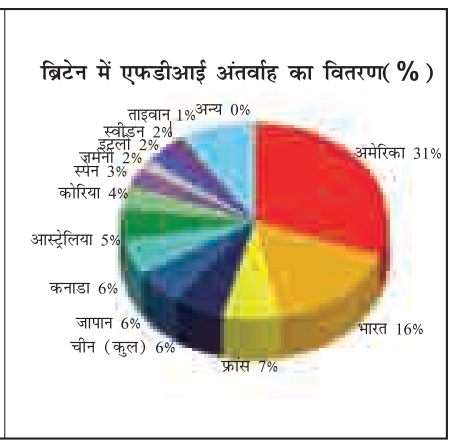

आकृति 2 (स्रोत: द इकोनामिस्ट, 2009)

तालिका 3: वर्ष 2000-09 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा विलय और अधिग्रहण

देश	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	कुल
अमेरिका	22	12	9	17	20	35	43	62	76	27	323
यूके	5	2	8	11	7	16	26	20	36	12	143
योग*	27	14	17	28	27	51	69	82	112	39	466
कनाडा	0	0	0	0	0	2	5	9	7	9	32
अन्य	34	29	34	52	47	91	111	112	198	141	849
कुल	61	43	51	80	74	144	185	203	317	189	1,347

* अमेरिका और यूके

स्रोत: *थामसान वन बैंकर (2010)*

आरेख1: भारत और चीन अधिग्रहण

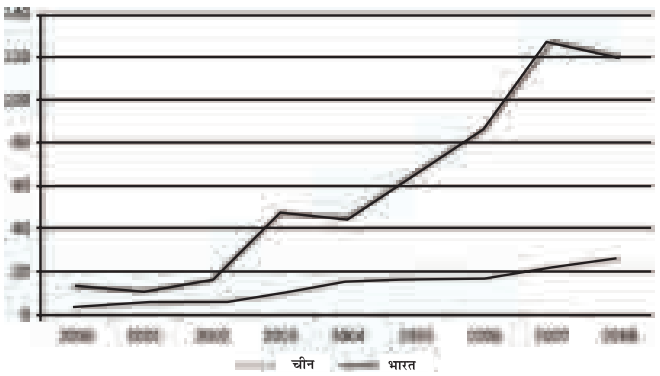

स्रोत: *डिब्यूले डुएन्यु* (2012)

निकालने के बाद प्राप्ति काफी ज्यादा होगी। दूसरे तरीके से कहें तो उच्च लाभ प्रबंधकीय प्रवीणता की देन नहीं भी हो सकता है, बल्कि मालिकाना पूंजी की कुल प्राप्ति हो सकती है जिसे मार्क्सवादी भाषा में अनार्जित आमदनी कही जाती है।

कॉब-डगलस के उत्पादन फंक्शन में प्रबंधकीय प्रतिभा सांगठनिक क्षमता के साथ -ए- (कुल फैक्टर उत्पादकता का संकेतक) में रखा गया है, स्थिर वापसी के मानदंड की शर्त के साथ। कुल फैक्टर उत्पादकता की वृद्धि का उपलब्ध प्राक्कलन बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद कुछ खास बढोतरी नहीं हुई है (देव कुसुम और सहायक लेखक 2010, गोल्दार और कुमार 2002, सेन 2007)। गोल्दार और कुमार के अध्ययन के मुताबिक, भारतीय निर्माण प्रक्षेत्र में कुल फैक्टर उत्पादकता में सालाना वृद्धि उदारीकरण के बाद उदारीकरण से पहले की तुलना में कम हुई है। उनके अनुसार, यह गिरावट सामान्य तौर पर क्षमता-उपयोग में कमी के कारण हुई है। मुखर्जी और मजूमदार, 2007 द्वारा किये गये एक अन्य अध्ययन भारत के संगठित निर्माण उद्योग के तकनीकी परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराता है। सन् 1980 से 2000 के बीच का यह अध्ययन भी समान निष्कर्ष पर पहुंचता है। अधिकतर निर्माता कंपनियों में व्याप्त तकनीकी कार्य-दक्षता के अभाव को प्रबंधकीय प्रतिभा की अनुपस्थिति के रूप में देखी जा सकता है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। यह सिर्फ सख्त मजदूर कानून, कड़ी पहल को लेकर नौकरशाही का आचरण है जिसके कारण प्रबंधक लाभ को बढ़ाने के लिए शायद पूंजी-प्रधान तकनीकों को चुनते हैं। उस पर उल्लेखित आंकड़े बताते हैं कि बडे लाभ वाली कंपनी विदेश जाने की इच्छा रखती हैं। लेकिन बडे लाभ कमाने वाली सभी कंपनियां ऐसा कर पाने सक्षम नहीं भी हो सकती हैं। निश्चित ही यह संभव है कि विदेशों में निवेश करने वाली कई कंपनी राशि की उगाही अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से कर रही हैं।

जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों में निवेश किया है वे विशिष्ट मालिकाना-बढ़त का आनंद ले रहे हैं। इसे एक ऐसी उद्यमशीलता कहा जा सकता है जिसमें प्रबंधकीय दक्षता, खतरा झेलने, पूर्वानुमान लगाने, नये बाजार की पहचान आदि कुछ गुण हैं जो उन्हें उद्यमशील बनाते हैं। इस लिहाज से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय कंपनी बेजोड़ हो सकती है। भारतीय प्रबंधकों में ये अनोखे गुण कहां से और कैसे आते हैं?

अधिग्रहण पर अब तक तैयार रिर्पोटों से पता चलता है कि भारतीय फर्मों के विदेशी निवेशक इन फर्मों में नकद निवेश कर इक्विटि हासिल करने की इच्छा रखते हैं।

बहिर्गामी भारतीय कंपनियों के अनोखे गुण

विदेश जाने वाली कंपनियों को उन प्रेरक कारकों के आधार पर सामान्यीकृत करना असंभव है (राममूर्ति 2008,अथ्रेई ऐंड सईद 2013, अतुकोराला 2009) । इसका एक कारण यह है कि उभरते बाजारों की अधिकतर कंपनियां विदेशों में इसलिए निवेश करती हैं ताकि वे पहले से मौजूद कंपनियों की तकनीकी दक्षता हासिल कर सके जो ओडीआई के लिए पूंजी जमा करने की चाहत कही जाती है। मौजूद कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रबंधकीय कौशल की जरूरत होती है लेकिन यह ऐसा नहीं है जैसा कि आंकडेनुमा अध्ययनों में कहा जाता है। यह कुछ अलग किस्म का है जिसमें पूंजी-परिसंपत्ति की उत्पादकता की प्रकृति की पहचान शामिल है जोकि लक्षित कंपनियों के पास मौजूद होती है। इसके साथ उसकी बाजार-संभावना, बाहर काम करने के खतरे और विदेशों में काम करने का हुनर भी शामिल है जो सबसे बढ़कर है।

इसके अतिरिक्त, अधिग्रहीत कंपनी को पुनर्स्थापित भी करना पड़ सकता है। इन कंपनियों के पास उत्पादन आधारित बढ़त हो सकती है, लेकिन वह बाजार खोजने और उसे विकसित करने में अक्षम होने के कारण बीमारू स्थिति में हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेश में निवेश करने वाले भारतीय प्रबंधको में ये गुण हैं। इसके लिए केन्स द्वारा प्रतिपादित 'एनिमल स्पिरिट्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स' शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वही प्रतिभा है जो कई उन भारतीय कंपनियों में दिखती है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से पूंजी उगाही कर पा रही हैं। इसमें सर्वाधिक चिह्नित टाटा हैं। नैथेनील लीफ्फ (1979) के अनुसार,' उद्यमशीलता में बेहतरीन सूचना खासकर कल्पनाशीलता दिखनी चाहिए। वे विषयगत रूप से खतरे और नये अवसर में निहीत अनिश्चितता को कम करे जिन्हें अन्य निवेशक अनदेखा कर देते हैं।

उद्यमशीलता के अध्ययनों में इसे दो मोटे समूहों में वर्गीकृत किया गया है-आवश्यकता आधारित उद्यशीलता और उन्नत आधारित उद्यमशीलता (कोस्टर ऐंड राज 2008)। पहली स्थिति तब बनती है जब रोजगार के अवसर घटते हो और रोजगार की तलाश करने वाले खुद अपना उत्पादन करने के लिए मजबूर हों। दूसरी स्थिति तब बनती है जब कंपनियां नये बाजार के लिए रास्ता और तरीके तलाशती हैं। उदारीकरण के बाद के दौर में जो भारतीय कंपनी विदेश में कारोबार कर रही है वे अवसर आधारित उद्यमशीलता में आ सकती है।

भारतीय कंपनियों की उद्यमी-प्रवृति और विशेषज्ञता भारतीय अर्थव्यवस्था गौलार्द्धों की अनेक खासियतों में खोजी जा सकती है। इनमें सबसे प्रमुख इतिहास से मिली विरासत है। व्यापार और उद्यमशीलता के मामले में भारत का लंबा इतिहास रहा है जो जाति और समुदाय आधारित रहा है। इन समूहों में मुख्य रूप से बनिया और मारवाड़ी हैं जो अंग्रेज शासन के दौरान मुख्यत: सौदागर और महाजन थे और भारत के विदेश व्यापार में मुख्य भूमिका निभाते थे। पारसियों का भी अपना एक वर्ग था जिसका न तो हिंदू और न ही मुस्लिम धर्मों से कोई नाता था लेकिन वे अंग्रेज और भारतीय औद्योगिक घरानों के बीच सूत्रधार की भूमिका निभाते थे। हरीश दामोदरन (2008) ने भारतीय व्यापारी वर्गों पर किये अपने अध्ययन में पारसियों और अंग्रेज के संबंधों को खास तौर पर रेखांकित किया है। दामोदरन के अनुसार,'' पारसी न तो हिंदू और न ही मुस्लिम समुदाय के हिस्सा थे और उनका कोई राजनीतिक लक्ष्य भी नहीं था लेकिन भरूच, सूरत, दमन के बंदरगाह

से नजदीक होने के कारण पारसी व्यापारिक प्रभाव में रहे। पारसी घरेलू ब्रोकर, एजेंट, जहाजकर्मी के लिए आदर्श थे। दामोदरन (2008, पेज 14)।'' उनका ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यावसायिक गठजोड़ था जोकि चीन से होने वाले लाभदायक अफीम व्यापर तक फैला हुआ था।

विश्व बाजार में पारसी और बनियों के व्यापारिक हित सूती कपडा, चाय, रेशम और अन्य कच्चे मालों के व्यापार के साथ जुड़े थे। दो संस्कृतियों यानी भारतीय और यूरोपीय संस्कृति के बीच आवागमन की क्षमता औपनिवेशिक काल में भारतीय व्यापारी वर्गों से जुड़ा एक खास पहलू था। जैसा कि तीर्थंकर राय (2011) लिखते हैं- यूरोपीय की तुलना में भारतीयों ने समुदाय की अनौपचारिक दुनिया और कॉरपोरेट के औपचारिक कायदे के बीच आवाजाही की। उन्होंने दोनों गोलार्द्धों के बीच सफलतापूर्वक चहलकदमी की और इसका भरपूर इस्तेमाल यूरोपीय बाधा की काट की तरह किया।''

भारतीय व्यापार प्रतिभा के विकास का दूसरा कारक व्यापारिक समूहों की उपस्थिति है, जोकि ज्यादातर परिवार केंद्रित हैं। इसने भारतीय व्यापार प्रतिभा के विकास में बड़ी भूमिका अदा की है। विदेशों में 2000-2008 के बीच जितने अधिग्रहण हुए उसकी तीन चौथाई अधिग्रहण समूह आधारित कंपनियों द्वारा किया गया। यह एकल कंपनियों की तुलना में समूह कंपनियों की उच्च बढ़त को दर्शाता है और यह बात उन्हें बाजार के बाह्य तत्वों को आत्मसात करने के लिए सक्षम बनाता है। (प्रधान 2010, खन्ना ऐंड पालेपु, 1997, खन्ना ऐंड यातेह 2007)। समूह आधारित कंपनियां भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी मौजूद हैं लेकिन परिवार-केंद्रित समूह भारती औद्योगिक घरानों की खासियत है। समूह का निर्माण करने वाली यूनिट्स विभिन्न तरह के उत्पाद और सेवा का निर्माण करती है लेकिन सभी खतरे साझा करती हैं और वित्त, सूचना से लेकर मजदूरों के प्रशिक्षण और प्रबंधन में निवेश करती हैं। विकसित पूंजी बाजार और संस्थान के अभाव में समूह का निर्माण होता है जोकि विकसित देशों में खतरे झेलने और योजना बनाने में मदद करता है।

एक तीसरा कारक भारत की शिक्षा पद्धति है, जिसने व्यावसायिक कौशल के विकास में पुराने समय से लेकर आज तक अनोखी भूमिका अदा की है। जैसा कि तीर्थंकर राय (2011) लिखते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत में शिक्षा पद्धति जाति आधारित थी। बकौल राय,'' शिक्षा के मामले में भारत का ऐतिहासिक पैटर्न यह था कि सभी स्तरों पर शिक्षा की मांग खास जाति और समुदाय की ओर झुकी थी। ऐसा इसलिए कि ये लोग जन्मजात रूप से ज्ञान आधारित सेवा-कर्म से जुड़े थे। जो समुदाय औपनिवेशिक काल से पहले लिखने-पढ़ने, चिकित्सा, शिक्षण, पूजाकर्म के पेशे से जुड़े थे वे औपनिवेशिक काल में शिक्षा, चिकित्सा और नागरिक प्रशासन में प्रवेश कर गये। इन वर्गों और जातियों ने बेसब्री से नये विद्यालयों और महाविद्यालयों का लाभ लिया जबकि अन्य वर्ग और जातियां कम संख्या में विद्यालय जाते और शीघ्र विद्यालय छोड़ देते। ज्ञान सेवा का पारिवारिक इतिहास, सेवा पेशे के लिए अनुराग और इस प्रकार शिक्षा के प्रति अनुराग के बीच में अंतर्संबंध था। तीन बंदरगाह शहर मद्रास,बंबई और कलकत्ता में यह अतर्संबंध काफी सघन था।''

शिक्षा पद्धति जाति आधारित थी और उन लोगों के प्रभुत्व में थी जो संबंधित पेशे में जाने की इच्छा रखते थे। इस तरह उच्च जाति समूह प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बढते गये और व्यवस्था उनकी जरूरतों को पूरी करती रही। और आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा सामान्यतया उपेक्षित रही। जाति आधारित शिक्षा पहले नागरिक सेवा और पेशा केंद्रित रही जिसने बाद में सेवा अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया। सेवा समूह से सॉफ्टवेयर क्षेत्र तैयार हुआ जो आज विदेशों में भारत के बडे निवेशकों में से है।

चौथा फैक्टर है यूके और अमेरिका में अनिवासी भारतीयों की बड़ी संख्या में मौजूदगी। इस फैक्टर ने भी भारतीय औद्योगिक घरानों की प्रबंधकीय प्रवीणता के विकास में योगदान दिया है। पिछले दशक के आखिरी वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक, यूके में 1 करोड़ 60 लाख भारतीय हैं जो वहां की कुल आबादी का 1.8 प्रतिशत है। अमेरिका में 2.8 करोड भारतीय रहते हैं जोकि वहां की जनसंख्या का 0.9 फीसद है। अमेरिका और यूके के पेशेवरों के बारे में देवेश कुमार (2010) कहते हैं- ''रेपुटेशनल इंटरमीडियरिज'' ये भारतीय और विदेशी कंपनियों के दरम्यान सूत्रधार का काम करते हैं कई अनिवासी भारतीय वे भी हैं जैसा कि जगदीश भगवती (1974) कहते हैं-''टू एंड फ्रो माइग्रेंट''। वे भारत और अपने अधिवास-देश के बीच यात्रा करते हैं और दोनों जगह उनके व्यापारिक हित हैं। ये सभी भारतीय व्यापारिक कंपनियों के प्रबंधकीय विशेषज्ञता खासकर अर्थव्यवस्था के सेवा प्रक्षेत्र के तत्वों मसलन वित्त, मार्केट इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ाते हैं।

भारत के विदेशी निवेश की शानदार वृद्धि के संदर्भ में दो और स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं। पहला यह कि विदेशों में मौजूद व्यापारिक माहौल के कारण वहां काम करना स्वदेश की अपेक्षा आसान हो सकता है। मीडिया की हालिया खबर में कहा गया है कि भारतीय व्यापारी मंद गति से बढ़ रही सरकारी नियामक व्यवस्था से परेशान हैं। इनमें वे भी हैं जो जो 'बॉलीगार्च' के नाम से जाने जाते हैं और जिन्होंने नौकरशाही के साथ कामकाजी रिश्ते बना रखे हैं (क्रैबट्री 2012) ।

दूसरा, भारत में ठीकठाक लाभ देने वाले देसी बाजार के बावजूद विदेशी बाजारों के प्रति आकर्षण रहा है। यह बात उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के व्यापारिक अनुभव में भी बार-बार गूंजती रही है। ब्रिटेन ने 1870 से 1914 के बीच ठीकठाक मात्रा में पोर्टफोलियो पूंजी अपने आधिपत्य वाले मुल्कों में निर्यात किया था। सन् 1914 में ब्रिटेन की पूंजी का विदेशों में कुल स्टॉक 20 अरब अमेरिकी डॉलर था। पूंजी का यह निर्यात होता रहा जबकि ब्रिटेन में बेरोजगारी थी और उसका व्यापार संतुलन घाटे में चल रहा था। ब्रिटिश निवेश के प्राप्तकर्ता पराधीन देश थे। ब्रिटेन औपनिवेशिक देशों से कच्चा माल के आयात के लिए उन्हें भुगतान करता था जबकि उपनिवेश मुल्क निर्यात के बावजूद उधारी बढाते थे। व्यापार के इस गणित से प्राप्त धन को ब्रिटेन विदेशों में निवेश करता था। यह परिस्थिति 1980 के दरम्यान फिर से आयी जिसने एक विचारणीय बहस पैदा की। बहस घरेलू इक्विटी, विदेशी बांड और वापसी दर की असंगति के लिए ब्रिटेन के पूंजी निर्यात को जिम्मेदार ठहराने वाले (टेमिन, 1987) और घरेलू बाजार की विभिन्न असंगतियों को जिम्मेवार ठहराने वालों के बीच थी (पोलार्ड 1985 और बालासुब्रमण्यम 1987)। ब्रिटेन के घरेलू बाजार की त्रुटियों ने पूंजी के निर्यात को बढ़ावा दिया। इनमें संरचनात्मक अक्खडपन, ट्रेड यूनियन पॉवर और पेशा बदलने के प्रति अनिच्छा शामिल थी। इस तरह के अक्खडपन और त्रुटियां मौजूदा दौर की भारतीय अर्थव्यवस्था में भी प्रतीत होती है, जो भारतीय कंपनियों के ओडीआई में बढ़ोतरी का कारण हो सकती है।

कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह का कौशल भारतीय उद्यमियों के पास है वह उनके विदेशों में निवेश करने के लक्ष्य को पूरा करते हैं और यह

देश को इतिहास से विरासत में मिला है। व्यापारिक और उद्यमी कौशल औपनिवेशिक दौर से (जबकि अभियंत्रण और मानवीय हुनर निकट अतीव से यानी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में मिला है।) लाइसेंस राज के दौरान इस तरह के कौशलों पर ताला लगा था जो 1991 से पहले करीब तीन दशकों तक रहा। आर्थिक उदारीकरण ने विभिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया। उदारीकरण ने उद्यमियों को मुकाबला करने के कमजोर, नियम-नियमन से युक्त सुनसान स्थितियों से मुक्त कराया और उन्हें वैश्विक बाजार में मौजूद खतरा लेने के माहौल और प्रतियोगी बाजार की चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया।

निष्कर्ष

भारत का बाह्योन्मुख एफडीआई ऐतिहासिक कारणों और साल-दर-साल भारतीय आर्थिक नीतियों में हुए क्रमिक विकास के जरिये हुआ है। यह अनोखा ही नहीं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अलग भी है। यह आलेख इस बात की पैरवी करता है कि बाह्योन्मुख भारतीय एफडीआई की वृद्धि उसे विरासत में मिले उत्कृष्ट उद्यमी वर्ग के कारण संभव हुआ है। आलेख उद्यमी वर्ग की मूलों की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें उन आर्थिक और सामाजिक कारकों की भी चर्चा है जो उसे उद्यम-कौशल से संपन्न करता है और जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्था के पास नहीं है। कानूनों, नियमनों और 1990 के दशक के दबावों के खात्मे ने उद्यमियों के मन की लहर को खोल दिया है। व्यापार और निवेश के जरिये विदेशी अर्थव्यवस्था में भाग लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई है। विदेशों में निवेश करने वाले भारतीय कंपनियों के पास जो मालिकाना बढ़त है वे सांगठनिक परिक्षेत्र, निवेश की पहचान, बाजार की संभावनाएं और उद्यम-कौशल हैं। ये सब उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये और अन्य विशेषताएं जो इस आलेख में चिह्नित की गयीं हैं उन्हें आसानी से मात्रात्मक स्तर पर नहीं मापा जा सकता। इस विषय पर आगे के अनुसंधान के प्रसंग अध्ययन आधारित हों। ❑

संदर्भ

- **अथरेयी, एस ऐंड सईद, ए** (2013), [https://www.conftool.pro/aibuki2013/index.php?page=kbrowseSessions&path=kadminSessions&form_session=k37&print=kyes].
- **प्रेमचंद्र, ए (2009)** एशियन डेवलपमेंट रीव्यू, वर्ष 26 अंक 2
- **बालासुब्रमण्यम वीएन (1989)** ''कैपिटल एक्सपोर्टस, 1870-1914'' इकोनोमिक हिस्ट्री रीव्यू, सकेंड एडिशन
- **बालासुब्रमण्यम वीएन ऐंड सैप्सफोर्ड डी (2007)** इकोनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 42, अंक 17, पृष्ठ 1549-1555
- **भगवती जे ऐंड देसाई पी (1970),** ''इंडिया, प्लैनिंग फार इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐंड ट्रेड पॉलिसिज सिंस 1951'', आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
- **भगवती जे, राइटिंग्स ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक्स, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली-(2004)**- इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
- **बकले पी, क्लेग जे, क्रॉस ए, ल्यू एक्स, वॉसा एच ऐंड जेंग पी (2007),** जरनल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टडिज, वर्ष 38, पेज 499-518
- **क्रैबट्री, जे (2012),** इंडिया: बॉलीगार्चस एट बे, फाइनेनशियल टाइम्स, [http://www.ft.com/cms/s/0/aa6814e4-aee9-11e1-a8a7-00144feabdc0.html#axzz2S8aCdfKu].
- **दामोदरन एच, (2008)** ''इंडियाज न्यू कैपिटलिस्ट्स'', परमानेंट ब्लैक इन कोलैबरेशन विद न्यू इंडिया फाउंडेशन
- **कुसुम दास, डी, अजीज ई, सुरेश ए एंड वाधवा डी (2010),** '' टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन इंडिया इन द रिफार्म पीरियड, अ डिसअग्रीगेटेड सेक्टोरियल एनालाइसिस, ऐंड में प्रस्तुत आलेख केएलईएम कांफ्रेंस हारवार्ड युनिवर्सिटी
- **डे ब्यूले, फिलिप ऐंड द्वानमू, जिंग-लिन (2012),** यूरोपीयन मैनेजमेंट जरनल, वाल्यूम 30 नंबर 3 पेज 264-277
- **ड्यूनिंग जे (1993),** ''मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज ऐंड द ग्लोबल इकोनोमी'' एडिसन-वेसली
- **गोल्दार, बीएन एंड कुमारी (2002),** वर्किंग पेपर नंबर ई/219, इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली
- **गोल्डस्टीन ए (2008),** इमर्जिंग इकोनोमिज ट्रांसनेशनल्स, द केस ऑफ टाटा, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, वर्ष 17, अंक 3
- **हाइमर एस (1976),** द इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑफ नेशनल फर्म्स: अ स्टडी ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमेंट, कैंब्रिज, एमए: एमआईटी प्रेस (1960 पीएचडी थेसिस)
- **कपूर, डी (2010),** डायस्पोरा डेवलपमेंट ऐंड डेमोक्रेसी, द डोमेस्टिक इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रम इंडिया, प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन एंड ऑक्सफोर्ड
- **कानन पी ऐंड रविंद्रन जी (2009),** इकोनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 44, अंक 10
- **कोस्टर एस ऐंड राय एस के (2008),** जरनल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, वॉल्यूम 17 नंबर 117
- **कुमार नागेश (2008),** इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज, पैटर्नस, स्ट्रेटजिज, ऑनरशिप एडवांटेज्स ऐंड इम्पलिकेशंस, एशियन इकोनोमिक पॉलिसी रिव्यू
- **कुमार नागेश (2007)** इमर्जिंग टीएनसी-एस, ट्रेंड, पैटर्न ऐंड डिटरमिनैन्टस ऑफ आउटवार्ड एफडीआई बाय इंडियन इंटरप्राइजेज, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, अंक 1, वर्ष 16
- **लेफ एन (1979),** ''इंटरप्रेन्योरशिप ऐंड डेवलपमेंट, द प्रॉब्लम रिविजिटेड'' जरनल ऑफ इकोनोमिक लिटरेचर, वर्ष 17, अंक1
- **मुखर्जी दीपा ऐंड मजुमदार राजर्षि (2008),** इफिसियेंसी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐंड रिजनल कॉम्पैरेटिव एडवांटेज: अ स्टडी ऑफ आर्गेनाइज्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, एमपीआरए पेपर 12758, युनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ म्युनिख
- **मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स (2008),** स्टैटिसटिकल बुलेटिन ऑफ चाइनाज आउटवार्ड फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट, [http://hzs2.mofcom.gov.cn].
- **नूनेनकैंप पी, मैक्सीमिलियानो, एसए कृष्णा, सीवी ऐंड एनड्रियाज डब्लू (2012),** व्हाट ड्राइव्स इंडियाज आउटवार्ड एफडीआई? किइल वर्किंग पेपर्स, किइल इंस्टिट्यूट फार द वर्ल्ड इकोनोमी, नंबर 1800
- **पनगारिया अरविंद (2010),** ''इंडिया, द इमर्जिंग जाइंट, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
- **प्रधान जे पी (2010),** ग्रुप एफीलिएशन एंड लोकेशन ऑफ इंडियाज फारेन अक्वाइजेशंस, एमपीआरए पेपर नंबर 24018, जरनल ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इकोनोमिक्स ऐंड पॉलिसी (जेआइसीईपी)
- **प्रधान जेपी (2008),** इंडियन मल्टीनेशनल्स इन द वर्ल्ड इकोनोमी, इम्पलिकेशंस फार डेवलपमेंट'' बुकवेल फर्स्ट एडिशन
- **प्रधान जेपी (2004),** द डिटरमिनैंट्स ऑफ आउटवार्ड फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट : अ फर्म लेवल एनालाइसिस आफ इंडियन मैनुफैक्चरिंग, ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडिज, वाल्यूम 32
- **पोलार्ड एस (1985),** कैपिटल एक्सपोर्टस, 1870-1974, हार्मफुल ऑर बेनीफिसियल इकोनोमिक हिस्ट्री रिव्यू, सकेंड सीरिज एक्सएल''
- **राजेश आर एंड कुणाल एस (2012),** द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन मैनुफैक्चरिंग इम्पलायमेंट इन इंडिया ''इन पुश्पनगदन के ऐंड बालसुब्रमण्यम वीएन (2012)'' इंडिया रिकॉर्ड सिंस लिबरलाइजेशन,ग्रोथ डेवलपमेंट ऐंड डाइवर्सिटी, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
- **सेन कुणाल (2007)** इकोनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, 27 नवंबर, वर्ष 43, अंक 2 पृष्ठ 37-47
- **मूर्ति आर (2010),** इमर्जिंग मल्टीनेशनल्स: आउटवार्ड एफडीआई फाम इमर्जिंग ऐंड डेवलपिंग इकोनोमिज कांफ्रेंस'', कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, कोपेनहेगन, डेनमार्क, अक्तूबर 9/10/2008
- **रॉय टी (2011)** द इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757-2010, थर्ड एडिशन, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
- **टेमिन पी (1987)** ''कैपिटल एक्सपोर्ट्स 1870-1914: एन अल्टरनेटिव मोडल, इकोनोमिक हिस्ट्री रीव्यू सकेंड सीरिज एक्सएल
- **अंकटाड (2010)** वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट, युनाइटेड नेशंस, जेनेवा
- **वाग्सटिल एस (2010),** ''द राइज ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड'' फायनेनशियल [http://www.ft.com/cms/s/2/35a004c6-ca4f-11df-a860-00144feab49a.html#axzz2S8aCdfKu].

Pi PATANJALI I.A.S.

To nourish the spirit of success

संपूर्ण पाठ्यक्रम की प्रामाणिक व समयबद्ध तैयारी 'पतंजलि' संस्थान के साथ

उनके लिए : जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

धर्मेन्द्र कुमार (Director 'PATANJALI' IAS) के मार्गदर्शन में

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच

निःशुल्क कार्यशाला **24 Nov.** 11:30 am

प्रत्येक खण्ड हेतु प्रामाणिक विशेषज्ञों की अनुभवी टीम

■ नियमित कक्षाएँ ■ निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम का योजनाबद्ध अध्यापन ■ परिष्कृत, सारगर्भित एवं सटीक सामग्री ■ नियमित टेस्ट एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति	संविधान-राजव्यवस्था	भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन	अंतर्राष्ट्रीय संबंध
श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री मंजेश कुमार	श्री संजीव शर्मा	प्रख्यात विशेषज्ञ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	भारत एवं विश्व इतिहास व भारत की विरासत एवं संस्कृति	सुरक्षा (विशेषतः आंतरिक सुरक्षा)	अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास
श्री रितेश जायसवाल	श्री सुजीत सिंह	डॉ. सी. ओमप्रकाश	श्री ए.के. अरूण

IAS **दर्शनशास्त्र**

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों?

छोटा सिलेबस, स्पष्ट पाठ्यक्रम, अंकदायी विषय निबंध एवं GS-4 Paper में अत्यंत उपयोगी

भारत भर में हिन्दी माध्यम में किसी एक विषय के साथ कक्षा कार्यक्रम के आधार पर सर्वाधिक रिजल्ट प्रस्तुत करने वाला प्रामाणिक संस्थान

नया बैच **9 Jan. 2015 8:45 AM**

2014 रिजल्ट

दर्शनशास्त्र के सभी टॉपर्स (हिन्दी एवं Eng. Med.) सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्त्ता

संस्थान से संबंधित सर्वश्रेष्ठ परिणाम

Kiran Kaushal (IAS) Rank 3 | Jai Prakash Maurya (IAS) Rank 9 | A. Amrutesh Kalidas (IAS) Rank 10 | Pradeep Singh Rajpurohit (IFS) Rank 13 | Vipul Ujjval (IAS) Rank 14 | Sufiyah Faruqui (IAS) Rank 20 | PRIYANKANIRANJAN M.A. (Eco.) Rank 20 | Saroj Kumar (IAS) Rank 22 | DHARMENDRA KR. M.A. (History) (द्वितीय प्रयास) Rank 25 | Karamveer (IAS) Rank 28 | Jitender Kumar Soni (IAS) (प्रथम प्रयास) Rank 29 | Bhanu Chandra Goswami (IAS) Rank 33

JAIPUR CENTRE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 0141-2741123, 9571456789, 9680677789

RAS प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा का बैच जारी

नया बैच प्रारम्भिक परीक्षा के तुरंत बाद

PATANJALI

HEAD OFFICE
202, 3rd Floor, Bhandari House, Mukherjee Nagar
Ph.: 011- 32966281, 9810172345

YH - 250/2014

विदेशी निवेश से ज्यादा जरूरी सही आर्थिक नीतियां

अश्विनी महाजन

विदेशी निवेशकों द्वारा भारी रूप से निवेश आय बाहर ले जाने वाले आकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि बढ़ते आयातों और कम गति से बढ़ते निर्यातों के कारण बढ़ते हुए व्यापार घाटे को पाटने का काम यदि वास्तव में संभव हो पा रहा है, तो वह है अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने वतन को भेजी जाने वाली राशियां और साफ्टवेयर निर्यातों से होने वाली आमदनियां। गौरतलब है कि वर्ष 2012-13 में जबकि हमारा व्यापार घाटा 195.7 अरब डालर था, उसको पाटने में अनिवासी भारतीयों का योगदान 64.3 अरब डालर और सॉफ्टवेयर निर्यातों का योगदान 55.6 अरब डालर था

सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसकी विकास की अवधारणा विदेशी निवेश से होकर गुजरती है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए स्वाभाविक तौर पर वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। या यों कहें कि आर्थिक सुधार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी हैं लेकिन आखिर यह आर्थिक सुधार हैं क्या और वे क्यों होने चाहिए, इस बात पर सही मायने में कभी बहस नहीं हुई। ऐसा मान लिया गया कि विदेशों से आने वाले आयातों पर टैरिफ और टैरिफ भिन्न बाधाएं दूर हो जाएं, विदेशी पूंजी को देश में खुले तौर पर आने दिया जाए और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें सुविधाएं दी जाएं, तो वही आर्थिक सुधार माना जाएगा।

वर्तमान सरकार भी आर्थिक सुधारों को कुछ इसी प्रकार से परिभाषित करने का काम कर रही है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की तर्ज पर विदेशी निवेश आधारित अवसंरचना, खासतौर पर बुलेट ट्रेन, इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर, एयरपोर्ट इत्यादि इस विकास मॉडल के महत्वपूर्ण घटक माने जा रहे हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशी निवेशकों को मेक-इन-इंडिया का आह्वान भी विदेशी निवेश की तरफ सरकार के रुझान को दिखाता है। जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी या कम थी, उसे भी और आगे बढ़ाने की कवायद जारी है। प्रतिरक्षा और बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत, पेंशन फंडों में शून्य से 49 प्रतिशत और कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति सरकार की विदेशी निवेश के प्रति झुकाव की परिचायक है।

विश्व में औद्योगिक विकास में अग्रणी इंगलैंड को छोड़कर आर्थिक विकास के लिए अग्रसर सभी देशों को किसी-न-किसी सीमा तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है। प्रत्येक देश में वहां के समयकाल के अनुसार विदेशी पूंजी की भूमिका अलग-अलग रही है, लेकिन फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विदेशी पूंजी ने आर्थिक विकास और औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

भारत जैसे अल्पविकसित देश में पूंजी की कमी रही है। विकास की गति तीव्र करने के लिए पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि हुई है और चूंकि बचत में तदनुरूप वृद्धि नहीं होती, इसलिए सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि विदेशी पूंजी इस कमी की पूर्ति कर सकती है। इस कमी के दो रूप हैं- एक का संबंध आन्तरिक बचत की कमी से है और दूसरी का संबंध भुगतान-शेष के घाटे से। पहली प्रकार की कमी अर्थव्यवस्था के विकास की आयोजित दर पर निर्भर करती है। यदि निवेश की आयोजित दर के अनुरूप आवश्यक आन्तरिक बचत न हो, तो उसे पूंजी की कमी कहा जा सकता है। इस कमी को पूरी करने के लिए इस सीमा तक विदेशों से ऋण, अनुदान और निवेश लेना आवश्यक हो जाता है। उत्पादन की विकास दर के आधार पर निर्यात और आयात

लेखक पीजीडीएवी कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफसर हैं। पुस्तकें- इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमेट्रिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमेट्रिक्स, एनसाक्लोपीडीया ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमेट्रिक्स क्रिसीस (दो भागों में), दत्त एवं सुंदरम: इंडियन इकोनॉमी इत्यादि। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ ही वह जर्नल ऑफ कॅटेम्परी इंडियन पालिटी एंड इकोनॉमी के मुख्य संपादक भी हैं।
ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com ब्लॉग: www.ashwanimahajan.blog.co.uk

पहले जो यह तर्क दिया जाता था कि इससे न केवल देश में संसाधनों का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर, रुपये की गिरावट को भी रोका जा सकेगा, अब वह सिमट कर मजबूरी का तर्क रह गया है।

में सम्भावित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इससे दूसरे प्रकार की कमी उत्पन्न होती है। इस प्रकार, इसका स्वरूप भुगतान-शेष का घाटा होता है जिसकी पूर्ति भी ऋणों, अनुदानों और विदेशी निवेश से पूरी होती है।

उक्त दोनों प्रकार की कमी का हमेशा एक साथ होना आवश्यक नहीं है क्योंकि कई बार विदेशी मुद्रा कोष से धन निकालकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है लेकिन भारत में भुगतान शेष में लगातार घाटे के चलते हमेशा विदेशी मुद्रा कोष से धन निकालकर विदेशी मुद्रा की कमी को पाटा नहीं जा सकता।

1991 के बाद शुरू हुए आर्थिक सुधारों के नाम पर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह तर्क दिया जाता रहा कि इसके माध्यम से देश में संसाधन बढ़ेंगे, तकनीक का विकास होगा और तदनुसार देश का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, आमदनियां बढ़ेंगी और आम जन का जीवन सुखमय होगा लेकिन आज विदेशी निवेश के लिए ये सब तर्क अब बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते।

यूपीए सरकार के अंतिम वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि अब यह बहस बेमानी है कि विदेशी निवेश सही नीति है, चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि अब भुगतान शेष में भारी घाटे के चलते विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी निवेश (चाहे प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो) और बाजारी विदेशी ऋण मजबूरी बन चुका है। ऐसा इसलिए है यदि विदेशी निवेश नहीं आया तो भारत के रुपये में और अधिक अवमूल्यन हो जाएगा? यानी पहले जो यह तर्क दिया जाता था कि इससे न केवल देश में संसाधनों का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर, रुपये की गिरावट को भी रोका जा सकेगा, अब वह सिमट कर मजबूरी का तर्क रह गया है।

बढ़ता जा रहा है विदेशी निवेश

सामान्यतौर पर विदेशी कर्ज की अपेक्षा निवेश के पक्ष में यह तर्क दिया जाता रहा है कि विदेशी ऋण लेने पर उसकी अदायगी का दबाव होता है, जबकि विदेशी निवेश में वह बोझ नहीं होता। देखा जाए तो 1991-92 के बाद भारत में विदेशी निवेश बढ़ता गया और 1991-92 और 2013-14 के बीच देश को कुल 498 अरब डालर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें 306 अरब डालर प्रत्यक्ष निवेश में प्राप्त हुए और 192 अरब डालर पोर्टफोलियो निवेश में। भारत जिसका हिस्सा पहले दुनिया के कुल विदेशी निवेश में नगण्य होता था, अब काफी बढ़ गया है। और अब वह दुनिया के विदेशी निवेश के मेजबान देशों में अग्रणी हो गया है।

विदेशी निवेश बिना देनदारी की अनिवार्यता के नहीं होता। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि पिछले कई वर्षों से विदेशी निवेशक

तालिका 1: विदेशी निवेश (अरब डॉलर)

वर्ष	प्रत्यक्ष निवेश	पोर्टफोलियो निवेश	कुल
1991-92	.13	.01	.13
1992-93	.31	.24	.56
1993-94	.59	3.58	4.15
1994-95	1.31	3.82	5.12
1995-96	2.14	2.75	4.89
1996-97	2.82	3.31	6.13
1997-98	3.55	1.83	5.38
1998-99	2.46	-.06	2.40
1999-00	2.15	3.02	5.18
2000-01	4.03	2.76	6.79
2001-02	6.13	2.02	8.15
2002-03	5.03	.98	6.01
2003-04	4.32	11.38	15.67
2004-05	6.05	9.32	15.37
2005-06	8.96	12.49	21.45
2006-07	22.83	7.00	29.08
2007-08	34.83	27.27	62.11
2008-09	37.84	-13.85	23.98
2009-10	37.63	32.37	70.14
2010-11	27.02	31.47	58.50
2011-12	46.56	17.17	63.72
2012-13	36.86	27.77	64.63
2013-14	36.05	5.03	41.08
कुल*	306.24	191.69	497.93

*1991-92 से 2013-14,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जून 2014 एवं अन्य बुलेटिन

भारी मात्रा में रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज और अन्य मदों में विदेशी मुद्रा बाहर ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2001-02 में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश आय के रूप में 7.1 अरब डालर बाहर ले जाए गये और यह राशि 2013-14 में बढ़कर 31.6 अरब डालर पहुंच चुकी है।

समझना होगा कि विदेशी निवेश बिना देनदारी की अनिवार्यता के नहीं आता। यह सही है कि विदेशी निवेशकों को ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन वे वैधानिक तरीके से तो बड़ी मात्रा में धन बाहर लेकर जाते ही हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी गलत प्रक्रियाओं से वे गैर कानूनी रूप से भी भारी मात्रा में धन बाहर ले जाते हैं। ऐसे कई मामलें भारत की अदालतों में चल रहे हैं।

विदेशी निवेश पर भारी अनिवासी भारतीयों की बचतें

हालांकि जितना गुणगान विदेशी निवेश का होता है, उतना अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे धन का नहीं होता लेकिन भारत से विदेशों में जाकर बसे अथवा काम के लिए गए भारतीयों द्वारा भेजी गई राशियों पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि अनिवासी भारतीय विदेशी निवेश से कहीं अधिक विदेशी मुद्रा देश के लिए जुटा रहे है। गौरतलब है कि 2001-02 में 15. 4 अरब डालर अनिवासी भारतीयों ने देश में भेजे जो अब बढ़कर 2013-14 में 65.5 अबर डालर हो गए हैं।

विदेशी निवेश और विदेशी ऋण की मजबूरी

जब यूपीए सरकार के वित्त मंत्री यह कहते थे कि विदेशी निवेश और विदेशी बाजारी ऋण अब देश के लिए मजबूरी बन गया है, तो उसके पीछे का कारण यह था कि पिछले कई वर्षों से विदेशी व्यापार का घाटा हो या भुगतान शेष का घाटा दोनों निरंतर द्रुत गति से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते भुगतान संकट से बचने और रुपये के और अधिक अवमूल्यन को रोकने के लिए विदेशी निवेश और विदेशी ऋण लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

इसलिए यदि यह कहा जाए कि विदेशी निवेश देश के विकास की आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि भुगतान शेष घाटा, जो निरंतर बढ़ते आयातों के कारण बढ़ रहा है, को पाटने के लिए आ रहे हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

तालिका 2: बढ़ता व्यापार और भुगतान शेष घाटा (अरब डालर)

	2001-02	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निर्यात	44.7	85.2	105.2	128.9	166.2	189.0	182.2	250.5	309.8	306.6	318.6
आयात	56.3	118.9	157.1	190.7	257.6	307.6	300.6	330.9	499.5	502.2	466.2
व्यापार शेष	-11.6	-33.7	-51.9	-61.9	-91.5	-118.6	-118.4	-130.5	-189.8	-195.7	-147.6
भुगतान शेष	3.4	-2.4	-9.9	-9.6	-15.8	-28.7	-38.4	-44.3	-78.1	-88.2	-32.4

स्रोत: *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जून 2014 एवं अन्य बुलेटिन।*

देश को बचा रही हैं अनिवासी भारतीयों की बचतें और सॉफ्टवेयर निर्यात

विदेशी निवेशकों द्वारा भारी रूप से निवेश आय बाहर ले जाने वाले आकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि बढ़ते आयातों और कहीं कम गति से बढ़ते निर्यातों के कारण बढ़ते हुए व्यापार घाटे को पाटने का काम यदि वास्तव में संभव हो पा रहा है, तो वह है अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने वतन को भेजी जाने वाली राशियां और साफ्टवेयर निर्यातों से होने वाली आमदनियां। गौरतलब है कि वर्ष 2012-13 में जबकि हमारा व्यापार घाटा 195.7 अरब डालर था, उसको पाटने में अनिवासी भारतीयों का योगदान 64.3 अरब डालर और सॉफ्टवेयर निर्यातों का योगदान 55.6 अरब डालर था।

कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रुपये की कमजोरी के कारण ज्यादा हुई। जरूरत इस बात की है कि रुपये को मजबूत बनाया जाए और उसके लिए जरूरी है कि भुगतान शेष को कम रखा जाए। उसका एक मात्र तरीका है गैर जरूरी आयातों खासतौर पर चीनी आयातों पर अंकुश।

कल्पना करें कि यदि ये दो प्राप्तियां न हुई होतीं तो हमारे देश को विदेशी मुद्रा के कितने भारी संकट का सामना करना पड़ता। गौरतलब है कि सामान्यतौर पर अनिवासी भारतीय अपनी बचतों को एक बार स्वदेश लाने के बाद वापिस नहीं लेकर जाते। कह सकते हैं कि विदेशी निवेश के कारण देश पर देनदारियां बढ़ती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं, जबकि अनिवासी भारतीयों की बचतों से देश पर कोई विशेष देनदारी नहीं बढ़ती।

सही आर्थिक नीतियों की है जरूरत

पिछले कई वर्षों से कीमतों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रारम्भ में मुद्रा स्फीति बढ़ने के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि ज्यादा जिम्मेदार रही और वह है खाद्य मुद्रा स्फीति। कृषि की लगातार अनदेखी और बढ़ती आमदनियों के कारण खाद्य वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन बढ़ता गया और उसका असर पहले तो खाद्य मुद्रा स्फीति पर देखने को मिला, लेकिन बाद में अखाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि होने लगी और मुद्रा स्फीति की दर 7 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच झूलती रही। पिछले कुछ समय पहले तक रुपये के कमजोर होने से आयातित वस्तुओं विशेषतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों, धातुओं और अन्य प्रकार के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रा स्फीति और ज्यादा भयंकर स्तर पर पहुंच चुकी थी। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण इसमें कुछ सुधार आ रहा है। पिछले कई वर्षों से बढ़ता राजकोषीय घाटा मुद्रा स्फीति को और अधिक हवा देता रहा है।

इन सब के बावजूद सरकार कीमतों को थामने में लगातार असमर्थ दिखाई दे रही थी। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, जो न केवल निवेश को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि मांग भी बढ़ नहीं पा रही और नतीजा यह है कि विकास घटता जा रहा है।

एक ओर आयातों में भारी वृद्धि और निर्यातों में कहीं कम वृद्धि के कारण हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारी खर्च में वृद्धि और राजस्व में उसके अनुपात में कम वृद्धि के चलते हमारा राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में लगभग 6 प्रतिशत पहुंच गया, हालांकि वर्ष 2014-15 में उसके 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, देश बड़े राजकोषीय घाटे को सहने की स्थिति में नहीं बचा है। दूसरी ओर बढ़ता भुगतान शेष घाटा समस्या को और गंभीर बनाता रहा है। सोने के आयातों पर अंकुश समेत कई अन्य उपायों के कारण वर्ष 2013-14 में भुगतान शेष का घाटा कम हुआ है और राजकोषीय घाटा भी 4.6 प्रतिशत पर रहा, इन प्रयासों को जारी रखने की जरूरत है, तभी विदेशी निवेश पर निर्भरता भी घटेगी और महंगाई पर भी काबू हो सकेगा।

माना जा सकता है कि विदेशी तकनीक एवं उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उद्योगों के लिए विदेशी निवेश जरूरी है लेकिन संसाधनों की दृष्टि से अनिवासी भारतीयों की बचतें वास्तव में बेहतर हैं। इसलिए अनिवासी भारतीयों की बचतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देते हुए, अनिवासी भारतीयों के धन को देश के विकास एवं व्यापार शेष के सुधार हेतु अधिकाधिक उपयोग में लगाया जाना चाहिए।

आर्थिक संवृद्धि की दर घटने में सबसे बड़ा कारण फैक्ट्री उत्पादन में धीमापन है और यह मुख्यत: दो कारणों से रहा है- एक, कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि और दूसरा, ब्याज दरों में लगातार वृद्धि। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण ईंधन सस्ता हो रहा

तालिका 3: अनिवासी भारतीयों और साफ्टवेयर निर्यात से प्राप्तियां (अरब डालर)

	2000-01	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
अनिवासी प्राप्तियां*	12.9	20.5	24.5	29.8	41.7	44.6	51.8	53.1	63.5	64.3	65.5
सॉफ्टवेयर निर्यात	5.7	16.9	22.3	26.7	37.7	54.1'	34.0'	44.0'	56.7'	55.6'	63.8'

*अनिवासी प्राप्ति द्वारा भेजा गया धन

स्रोत: *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जून 2014 एवं अन्य बुलेटिन।*

है और उधर महंगाई घटने की सूरत में यदि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर घटाता है तो उससे भी लागतें घट सकती हैं।

कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रुपये की कमजोरी के कारण ज्यादा हुई। जरूरत इस बात की है कि रुपये को मजबूत बनाया जाए और उसके लिए जरूरी है कि भुगतान शेष को कम रखा जाए। उसका एक मात्र तरीका है गैर जरूरी आयातों खासतौर पर चीनी आयातों पर अंकुश। ब्याज दरों में वृद्धि मुद्रा स्फीति के कारण है और इसके लिए जरूरी है मुद्रा स्फीति पर काबू किया जाए। ब्याज दरों में कमी करते हुए ही हम फैक्ट्री उत्पादन, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करते हुए अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। चाहे मुद्रा स्फीति हो अथवा घटता औद्योगिक उत्पादन या अवसंरचना के विकास में धीमापन, यह सब इसलिए है कि सरकार कीमतों पर अंकुश नहीं लगा पा रही और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी सरकारी खजाना भी खाली है। ऐसे में सरकार नीतिगत परिवर्तन करते हुए कृषि को प्रोत्साहन, उद्योगों के लिए ब्याज दर में कमी और आयातों, विशेषतौर पर सोने-चांदी और चीन से गैर जरूरी चीजों के आयातों पर अंकुश जारी रख रुपये को मजबूती प्रदान करे। तभी देश पुन: विकास की पटरी पर आ पाएगा।

माना जा सकता है कि विदेशी तकनीक एवं उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उद्योगों के लिए विदेशी निवेश जरूरी है लेकिन संसाधनों की दृष्टि से अनिवासी भारतीयों की बचतें वास्तव में बेहतर हैं। इसलिए अनिवासी भारतीयों की बचतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देते हुए, अनिवासी भारतीयों के धन को देश के विकास एवं व्यापार शेष के सुधार हेतु अधिकाधिक उपयोग में लगाया जाना चाहिए। ❑

स्वच्छ ऊर्जा निवेश पर समझौता

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) व अमेरिकी एक्जिम बैंक ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहभागिता के साथ निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता आपसी भागीदारी से अक्षय ऊर्जा प्रोजक्ट में कार्य करने के लिए व्यवस्था बनायेगा, जहां पर अमेरिकी मूल के उत्पादकों को अपने सामान व सेवाओं को निर्यात करने में सुविधा होगी, उन्हें अपनी साख के हिसाब से वित्तीय सहयोग भी मिलेगा। साथ ही वो आईआरईडीए व अमेरिकी बैंक से जुड़े फर्मों के साथ काम कर पायेंगे।

आईआरईडीए द्वारा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने के लिए अमेरिकी एक्जिम बैंक एक बिलियन अमेरिकी डॉलर (मध्यम व दीर्घावधि का गारंटेड) लोन, उन्हें देगा जो यूएस टेक्नोलॉजी, वस्तु व सेवा का उपयोग वाणिज्यिक विकास के लिए करेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में निवेश के लिए जिन मुख्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है वे हैं- सौर (उपयोगिता मानक पीवी और सीएसपी सौर टावर के साथ) पवन, जल और अन्य कोई अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्टस (वेस्ट-टू-एनर्जी) व अन्य क्षेत्र जहां पर सहयोग के लिए समहति है।

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH - 249/2014

भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश प्रवाह में क्षेत्रगत असमानता

एस आर केशव

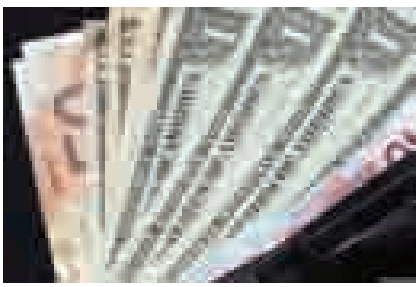

विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह का 70 प्रतिशत हिस्सा भारत के छह राज्यों में केंद्रित है जिसकी वजह से भारत में क्षेत्रीय असमानता की खाई और चौड़ी हुई है। अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह पर जनसंख्या घनत्व का प्रभाव नगण्य है जबकि कुशल श्रम की उपलब्धता, आर्थिक विकास, मज़बूत आधारभूत संरचना, बेहतर विद्युत उत्पादन ने राज्यों में एफडीआई के अंतर्प्रवाह पर आकर्षक और सकारात्मक प्रभाव डाला है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दुनिया के अन्य सभी पूंजी प्रवाहों में पहली पसंद है। एक गैर-ऋण वित्तीय पूंजी के रूप में एफडीआई बेहद ज़रूरी है। एफडीआई मेजबान अर्थव्यवस्था में निवेश को जन्म देता है जो अपने बहुगुणज प्रभाव से रोज़गार, आय तथा बचत में वृद्धि करता है। यह मेजबान अर्थव्यवस्था को नवीनतम मशीनरी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशलता, प्रबंधकीय ज्ञानविधि की जानकारियां उपलब्ध कराता है तथा विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात एवं सेवाओं को बढ़ावा देता है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदान करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक कंपनियों के रूप में यह उपभोक्ताओं के लिए व्यापक और विविध विकल्प प्रदान करता है। इस प्रतिस्पर्धा से घरेलू एकाधिकार समाप्त होता है और क़ीमतें नीचे आती हैं। एफडीआई मेजबान अर्थव्यवस्थाओं की कंपनियों के कर राजस्व में भी योगदान देता है।

एफडीआई की सकारात्मक विशषताएं सैद्धांतिक तौर सवालों से परे है लेकिन जब यह वास्तविकता के धरातल पर आता है तब यह अंशत: ही सही साबित होता है। कई बार एफडीआई न तो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और न ही अपेक्षित रोज़गार ही मुहैया करा पाता है। हालांकि कई कंपनियां एफडीआई की सकारात्मक विशषताओं के साथ हो लेती हैं। सरकारें कई रियायतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन की घोषणा करके एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। सरकारें एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कंपनियों को न सिर्फ़ भूमि, जल, बिजली तथा रियायती दरों पर अन्य सार्वजनिक लाभ मुहैया कराती हैं बल्कि कर अवकाश, अवितरित मुनाफ़ा पर छूट, अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ते के रूप में कई रियायतें देती हैं।

लेकिन मेजबान अर्थव्यवस्था द्वारा भारी भरकम रियायतों तथा प्रोत्साहन देने के बावजूद एफडीआई अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में एक ही तरह से नहीं आगे बढ़ता है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई का प्रवाह काफ़ी सघन होता है, जिससे विश्व में एफडीआई अंतर्प्रवाह उच्च क्षेत्रीय विषमता पैदा करता है। एफडीआई में इसी तरह की क्षेत्रीय असामनता पाये जाने के कारण यह भारतीय राज्यों के लिहाज़ से भी क्षेत्रीय असामनता पैदा करने वाला है।

मुख्य लाभदायी निर्धारक

राज्यों में उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को आगे ले जाने वाले मुख्य कारणों और इनके द्वारा बढ़ती क्षेत्रीय असामनता को उन कारकों के रूप में देखा जा सकता है जो निवेशकों के निवेश निर्णय को प्रभावित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (2001) बाज़ार के आकार, उसकी संवृद्धि संभावना,राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता, दूसरे महत्वपूर्ण बाज़ारों से निकटता और जुड़ाव, प्रशिक्षित मानव क्षमता तथा पारिश्रमिक संरचना को चिह्नित करता है। इन कारकों के अलावा औद्योगिक तथा संस्थागत आधारभूत संरचना जैसे कारक भी एफडीआई के अंतर्प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

एक अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि बाज़ार का आकार, श्रम लागत, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता,भौतिक तथा मानव आधारभूत संरचना, प्रोत्साहन, वृहत आर्थिक वातावरण के अलावा संस्थागत ढांचा एफडीआई को आकर्षित करने वाले कारणों में से महत्वपूर्ण हैं।

विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था एफडीआई को आकर्षित करने वाले मुख्य निर्धारकों के रूप

लेखक बंगलुरु विश्वविद्यालय बंगलुरु के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफसर हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कृषि, हरित सकल घरेलू उत्पाद तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों व क्षेत्रों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव इत्यादि उनकी रुचि के शोध विषय हैं ईमेल: sr_keshava@yahoo.com

में जिन कारकों को चिह्नित करती है, वो हैं: (1) सामान्य क़ानून व्यवस्था, (2) आधारभूत संरचना, (3) सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध, (4) प्रशिक्षित और उत्पादक कार्यबल, (5) सामाजिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता (6) निवेशक अनुकूल वातावरण, (7) राजनीतिक स्थिरता, (8) समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंज़ूरी का निपटान, (9) न्यूनतम लालफ़ीताशाही तथा (10) प्रोत्साहन और रियायतें ।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा

भारतीय राज्यों की एक बड़ी संख्या इस विश्वास के साथ एक व्यापक प्रोत्साहन के ज़रिये एफडीआई के साथ अपना जुड़ाव दिखाती है कि एफडीआई उनके विकास को ज़बरदस्त बढ़ावा देगी। इन प्रोत्साहनों में शामिल है: बैंक से रियायती दर पर ब्याज़, विभिन्न बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क से छूट, बिजली तथा दूसरे अन्य लाभों के लिए कर मोहलत योजनाएं तथा कम टैरिफ़ दर, विशिष्ट अवधि के लिए संपत्ति करों में कटौती या छूट आदि।

राज्य अक्सर ऐसे उद्योगों को चिह्नित करते हैं तथा उन्हें कारोबार को शुरू करने के लिए तैयार आधारभूत बुनियादी ढांचा मुहैया कराते हैं जिनका परिणाम औद्योगिक, कृषि प्रसंस्करण तथा आईटी पार्क के रूप में सामने आता है। राज्यों ने शुरू से ही अन्य अनुमतियों के लिए भूमि के पंजीकरण के लिए एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली की शुरुआत की।

उन्होंने थोक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया ताकि अनुपालन में गति और सहजता आये, भ्रष्टाचार में न्यूनता आये और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता दिखे।

तालिका 1: राज्यवार विदेशी निवेश प्रवाह

आरबीआई कार्यालय	आच्छादित राज्य	2013-14 (अप्रैल-मार्च)	संचयी अंतर्वाह (04/00-06/14)	कुल पूंजी प्रवाह %
उच्च विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य				
मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	20,595	320,281	30
नई दिल्ली	दिल्ली/एनसीआर	38,190	214.820	20
चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी	12,595	69,161	6
बंगलुरु	कर्नाटक	11,422	62,431	6
अहमदाबाद	गुजरात	5,282	45,292	4
हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	4.024	43,817	4
मध्यम विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य				
कोलकाता	पश्चिम बंगाल#	2,659	13,532	1
जयपुर	राजस्थान	233	6,360	0.6
चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	562	6,148	0.6
भोपाल	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़	708	5,595	0.5
कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	411	4,875	0.4
निम्न विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य				
पणजी	गोवा	103	3,660	0.4
भुवनेश्वर	ओडिशा	288	1,926	0.2
कानपुर	यूपी,उत्तराखंड	150	1,962	0.2
गुवाहाटी	पूर्वोत्तर*	4	352	0
पटना	बिहार, झारखंड	9	228	0
क्षेत्र संकेत नहीं		50,283	286,604	26
कुल योग		147,518	1,076,093	100

स्रोत: *SEA की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से संकलित*

*असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा

#सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समेत

भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश का अंतर्प्रवाह

इन उपायों के बावजूद भारतीय राज्यों में एफडीआई के अंतर्प्रवाह को लेकर व्यापक असमानता देखी जाती रही है। लेखक ने अप्रैल 2000 से लेकर अप्रैल 2013 (देखें तालिका 1) के दौरान एफडीआई के अंतर्प्रवाह के आधार पर भारतीय राज्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। ये तीन वर्ग हैं: उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्य, मध्यम अंतर्प्रवाह वाले राज्य तथा निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्य।

भारत में एफडीआई का अंतर्प्रवाह छह राज्यों में ज्यादा सघन है, ये राज्य हैं: महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा आंध्रप्रदेश। इन राज्यों ने अप्रैल 2000 से जून 2014 तक कुल 693641 करोड़ रुपये की एफ़डीआई को आकर्षित किया है, जो भारत में कुल अंतर्प्रवाहित एफडीआई का 70 प्रतिशत है!।

इस समयांतराल के दौरान भारत के कुल एफडीआई के 30 प्रतिशत (320281 करोड़ रुपये) का हिस्सेदार अकेले महाराष्ट्र रहा है और महाराष्ट्र में होने वाले एफडीआई का ज्यादातर हिस्सा अकेले मुंबई में निवेश हुआ है। अत: मुंबई न सिर्फ़ भारत की आर्थिक राजधानी बल्कि एफडीआई राजधानी भी है। एफडीआई के मामले में महाराष्ट्र के बाद 214820 करोड़ (20 प्रतिशत) रुपये के साथ नई दिल्ली का स्थान है। इसके बाद 69161 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) के साथ तमिलनाडु, 45292 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) के साथ गुजरात तथा 43813 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) के साथ तेलंगाना, आंध्रप्रदेश का स्थान है।

जिन राज्यों ने अप्रैल 2000 से जून 2014 के दौरान 4500 करोड़ रुपेय से लेकर 40000 करोड़ रुपये तक की एफडीआई को आकर्षित किया है, उन्हें मध्यवर्ती एफडीआई राज्य के रूप में माना जाता है। इस वर्ग के राज्यों में हैं; पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा केरल।

वे राज्य जिन्होंने अप्रैल 2000 से जून 2014 के दौरान 4500 करोड़ रुपये से कम के एफडीआई को आकर्षित किया है, उन्हें निम्न एफडीआई वाले वर्ग में माना जाता है। इन राज्यों में हैं: गोवा, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा तथा, बिहार एवं झारखंड।

राजधानियां एफडीआई के ज्यादातर हिस्से को आकर्षित करती हैं। स्पष्ट है कि करों तथा अन्य राजकोषीय रियायतों के बावजूद एफडीआई कुछ राज्यों और इन राज्यों के कुछ ही शहरों में केन्द्रित है। इस तरह की विषमता के कारणों की खोज करने के लिए इन राज्यों के व्यापक आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया जा रहा है।

विदेशी निवेश में क्षेत्रीय असमानता के कारण

भारत में एफडीआई के अंतर्प्रवाह को लेकर दिखती क्षेत्रीय असमानता के कई कारण हैं और इन कारणों में प्रमुख हैं: विशाल बाज़ार, कुशल कर्मियों की उपलब्धता, आर्थिक वृद्धि, बढ़िया बुनियादी ढांचा, उच्च आर्थिक स्वतंत्रता और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण।

जनसंख्या, सघनता, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में नामांकन एवं विदेशी निवेश

एफडीआई जनसंख्या द्वारा हासिल होता विशाल बाज़ार, शिक्षा द्वारा हासिल होते कुशल की उपलब्धता, उच्च शिक्षा में नामांकित होते अनगिनत छात्र तथा विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों की संबंद्ध राज्यों (देखें तालिका 2) में उपलब्धता जैसे कारकों से आकर्षित होता है। हालांकि कुछ छात्र दूसरे राज्यों या देशों में शिक्षा हासिल करने के लिए ज़रूर जाते हैं लेकिन ज्यादातर छात्र अपने ही राज्यों में अपना नामांकन कराते हैं।

एफडीआई विशाल बाज़ार से आकर्षित होता है और यह बाज़ार उस देश की विशाल जनसंख्या का द्योतक है। भारतीय राज्यों के संदर्भ में, उत्तरप्रदेश सबसे ज्यादा लोगों वाला (16.49 प्रतिशत) राज्य है लेकिन यह देश की कुल एफडीआई के बहुत नगण्य हिस्से को आकर्षित करने वाला राज्य है। इसी तरह बिहार (भारत की कुल जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत) और राजस्थान (भारत की कुल जनसंख्या का 6.69 प्रतिशत) को भी उन्नत किया जा सकता है।

महाराष्ट्र के सिलसिले में जनसंख्या का आकार (9.29 प्रतिशत) एक सकारात्मक प्रभाव वाला कारक है। दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले इस राज्य ने देशभर में सबसे ज्यादा एफडीआई को आकर्षित किया है। उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में हैं; तमिलनाडु (5.96 प्रतिशत) कर्नाटक (5.05 प्रतिशत) तथा गुजरात (4.99 प्रतिशत) जो दिल्ली (1.38 प्रतिशत) एवं पुडुचेरी (0.10 प्रतिशत) को छोड़कर मध्यम आकार की जनसंख्या वाले राज्य हैं।

एक राज्य में उत्पादित वस्तु और सेवाएं दूसरे भारतीय राज्यों में आसानी से उपलब्ध हैं और यही कारण है कि एफडीआई को आकर्षित करने वाले कारकों में राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या की मोटाई का पता चलता है। बढ़ता जनसंख्या घनत्व सही मायने में उद्योगों के लिए विशाल भूमि खंड तथा अन्य आधारभूत संरचना वाली परियोजना की उपलब्धता की संभावना को कमतर करता है। दिल्ली एफडीआई की भारी मात्रा को आकर्षित करती है जबकि इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा (11297 लोग प्रति किमी) है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के आसपास उद्योगों की कमी नहीं है।ये उद्योग हालांकि दूसरे राज्यों में पड़ते हैं लेकिन ये सब एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए नोएडा तथा ग़ाज़ियाबाद उत्तरप्रदेश राज्य में है, जबकि गुड़गांव, फ़रीदाबाद, बहादुरगढ़ हरियाणा राज्य में हैं। दूसरे उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों की स्थिति में,जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी 308 से 555 लोगों के बीच में है। मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में यह 189 से 9252 के बीच में है तथा निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले

तालिका 2: जनसंख्या, साक्षरता व विदेशी निवेश संबंध

राज्य	% जनसंख्या	जनघनत्व	साक्षरता	वि.वि.	कॉलेज	नामांकन
उच्च विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य						
महाराष्ट्र	9.29	365	82.91	44	4603	1955226
दिल्ली	1.38	11,297	86.34	25	184	278770
तमिलनाडु	5.96	555	80.33	59	2309	1482277
पुडुचेरी	0.10	2,598	86.55	4	83	35122
कर्नाटक	5.05	319	75.6	43	3281	1001473
गुजरात	4.99	308	79.31	37	1805	893648
आंध्रप्रदेश	7.00	308	67.66	47	4814	1847479
मध्यवर्ती विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य						
पश्चिम बंगाल	7.55	1,029	77.08	26	899	944075
राजस्थान	5.67	201	67.06	45	2652	789479
चंडीगढ़	0.09	9,252	86.43	3	24	64510
मध्यप्रदेश	6.00	236	70.63	33	2061	928939
छत्तीसगढ़	2.11	189	71.04	17	530	304381
केरल	2.76	859	93.91	17	962	404121
	0.01	2,013	92.28	0	3	410
निम्न विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य						
गोवा	0.12	394	87.4	2	49	278770
ओडिशा	3.47	269	73.45	19	1089	510418
उत्तरप्रदेश	16.49	828	69.72	58	4849	2564886
अरुणाचल प्रदेश	0.11	17	66.95	3	26	16068
मणिपुर	0.22	122	79.85	3	79	33755
मेघालय	0.24	132	75.48	10	61	41633
नगालैण्ड	0.16	119	80.11	4	57	20026
त्रिपुरा	0.30	350	87.75	3	39	32800
उत्तराखंड	0.84	189	79.63	20	395	294485
असम	2.58	397	73.18	9	485	268451
बिहार	8.58	1,102	63.82	20	649	690776
झारखंड	2.72	414	67.63	12	234	274450
भारत	**100**	**382**	**74-04**	**642**	**34908**	**15956428**

जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर में, वि.वि. = विश्वविद्यालय, साक्षरता प्रतिशत में **स्रोत:** म*ानव संसाधन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तथा जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण से परिकलित*

राज्यों में औसत जनसंख्या घनत्व 17 से 1102 के बीच में है।

इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि राज्यों के जनसंख्या का घनत्व राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नगण्य प्रभाव डालता है।

साक्षरता एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक है जिसका उपयोग जानकारी के प्रतिनिधित्वकारी कारक के रूप में किया जा सकता है। आंध्रप्रदेश (67.66 प्रतिशत) को छोड़कर, शेष सभी उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से ज्यादा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से ज्यादा है। निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों (ओडिशा, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा झारखंड की साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है।

उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में 259 विश्वविद्यालय (40.3 प्रतिशत), 17079 महाविद्यालय (48.9 प्रतिशत) तथा 7493995 छात्र उच्चतर शिक्षा (46.9 प्रतिशत) के लिए नामांकित हैं, जबकि मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में 141 विश्वविद्यालय (21.19 प्रतिशत), 7131 महाविद्यालय (20.4 प्रतिशत) हैं तथा 3435915 छात्र इनमें नामांकित (21.5 प्रतिशत) हैं निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या 163 (25.3 प्रतिशत) महाविद्यालयों की संख्या 8012 (22.9 प्रतिशत) है तथा 5026518 छात्र (31.5 प्रतिशत) नामांकित हैं।

इस तरह इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्यों में एफडीआई के आकर्षित होने में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका 3: जीडीपी, अवसंरचना व विदेशी निवेश संबंध

राज्य	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद* (करोड़ ₹)	प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद* (₹)	रेलवे लाइन# (किमी)	सड़क मार्ग# (किमी)	अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डे
उच्च विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य					
महाराष्ट्र	1239104	107670	5,602	4,257	3+9
दिल्ली	332521	192587	183	80	1+0
तमिलनाडु	671192	98550	4,062	4,943	3+3
पुडुचेरी	15887	122654	11	53	*।
कर्नाटक	466810	77309	3,073	4,396	2+4
गुजरात	584367	96976	5,271	4,032	1+7
आंध्रप्रदेश	678524	78958	5,264	4,537	1+2
मध्यवर्ती विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य					
पश्चिम बंगाल	567594	62509	3,937	2681	1+2
राजस्थान	410834	59097	5,784	7,130	1+0
चंडीगढ़	232613	50691	16	24	1+0
मध्यप्रदेश	333010	44989	4,955	5,064	2+4
छत्तीसगढ़	131796	50691	1,187	2,289	0+2
केरल	309332	88527	1,050	1,457	3+0
निम्न विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य					
गोवा	29888	161822	69	269	1+0
ओडिशा	210683	49241	2,461	3,704	0+7
उत्तरप्रदेश	683651	33137	8,763	7818	1+0
अरुणाचल प्रदेश	11218	78145	1	2,027	0+2
मणिपुर	10489	36474	1	1,317	0+1
मेघालय	15884	59517	छ।	1,171	1+0
नागालैण्ड	13682	65908	13	494	0+1
त्रिपुरा	22453	60963	151	400	0+3
उत्तराखंड	99157	97528	345	2042	0+2
असम	126149	40475	2,434	2,940	1+3
बिहार	287129	28774	3,612	4,106	1+2
झारखंड	141644	44045	1,984	2,170	0+3
भारत (कुल)	**8372744**	**67839**	**64]460**	**76818**	**24+**

*2012-13 के आंकड़े, #2011-12 के आंकड़े, **स्रोत:** *आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट से परिकलित*

आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों के मुक़ाबले उच्च शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, प्रतिव्यक्ति आय तथा रेलवे, सड़क आदि के हिसाब से बेहतर बुनियादी ढांचा है (देखें तालिका 3)।

पश्चिम बंगाल, केरल तथा मध्यप्रदेश जैसे मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्य आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, परिणामत: एफडीआई को लुभाने में प्रगति कर रहे हैं। गोवा, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में दूसरे राज्यों के मुक़ाबले प्रतिव्यक्ति आय बेहद कम है। ओडिशा, उत्तरप्रदेश, असम, बिहार तथा झारखंड में रेलवे लाइन तथा सड़कों की लंबाई ज्यादा है। इनके मुक़ाबले राज्यों के आकार छोटे हैं।

आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा तथा एफडीआई अतंर्प्रवाह के बीच सकारात्मक संबंध है। इसके अलावा इन राज्यों में विकास को ज़बरदस्त गति मिली है मगर इससे क्षेत्रीय असमानता को भी खूब बढ़ावा मिला है।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देशों के साथ-साथ देश के भीतर के राज्यों को भी संपत्ति सृजन गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण की सीमा और उनकी संख्या के आधार पर उन्हें दर्जा प्रदान करता है (देखें तालिका 4)। इस हिसाब से गुजरात देश का अव्वल राज्य है। व्यापार तथा श्रम विनियमन के आधार पर भी गुजरात भारत

का अव्वल राज्य है लेकिन सरकार के आकार के हिसाब से यह दूसरे नंबर का राज्य है, जबकि क़ानूनी संरचना तथा सुरक्षा के लिहाज़ से यह चौथे नंबर का राज्य है। यहां तक कि सभी अन्य उच्च एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्य शीर्ष 11 में हैं जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तमिलनाडु का दर्जा पूरे भारत में दूसरा है, आंध्रप्रदेश का तीसरा, कर्नाटक का नौवां तथा महाराष्ट्र का स्थान 11वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर महाराष्ट्र का 11 वें पर आश्चर्यजनक है क्योंकि भारत की कुल एफडीआई के 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में लगा हुआ है।

मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश का स्थान पांचवां, मध्यप्रदेश का छठा, चंडीगढ़ का आठवां, केरल का दसवां, पंजाब का तेरहवां तथा पश्चिम बंगाल का सत्रहवां स्थान है। इस तरह एफडीआई धीरे धीरे बढ़ रही है। निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक संतोषजनक नहीं है। परिणामस्वरूप, राज्यों में एफडीआई के अंतर्प्रवाह पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

बिजली और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

पर्याप्त और गुणात्मक बिजली की उपलब्धता उच्च एफडीआई के अंतर्प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन राज्यों में उच्च विद्युत क्षमता स्थापित है, वहां एफडीआई का अंतर्प्रवाह भी उच्चतर है।

महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई वाला राज्य है और 2012–12 के दौरान 23.73 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता के साथ सबसे ज्यादा है। इस मामले में गुजरात का दूसरा स्थान है जिसकी स्थापित विद्युत क्षमता 22.79 गीगावाट की है, तमिलनाडु की स्थापित विद्युत क्षमता 15. 60 गीगावाट, आंध्रप्रदेश की 13.79 गीगावाट तथा कर्नाटक की 12.13 गीगावाट है,जो एफडीआई अंतर्प्रवाह के लिहाज़ से बड़े राज्य हैं। मध्यवर्ती एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों, जैसे (राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता 9.86 गीगावाट, पश्चिम बंगाल की 7.57 गीगावाट, मध्यप्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता 6.32 गीगावाट, छत्तीसगढ़ की 4.03 गीगावाट तथा केरल की 2.49 गीगावाट है और ये राज्य अपनी स्थापित विद्युत क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्यों, जैसे (उत्तरप्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता 9.36 गीगावाट तथा ओड़िशा की 5.33 गीगावाट है, जबकि बाक़ी राज्यों की स्थापित विद्युत क्षमता एक गीगावाट से भी कम है। इस तरह स्थापित विद्युत क्षमता और एफडीआई अंतर्प्रवाह के बीच एक सकारात्मक संबंध है।

तालिका 4: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2013

राज्य	समग्र आर्थिक स्वतंत्रता रेटिंग		श्रम और व्यापार विनियमन		क़ानूनी ढांचा तथा सुरक्षा		सरकार का आकार	
	कुल	रैंक	क्षेत्र5	रैंक	क्षेत्र2	रैंक	क्षेत्र1	रैंक
उच्च विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य								
महाराष्ट्र	0.42	11	0.43	6	0.16	17	0.68	3
तमिलनाडु	0.54	2	0.51	2	0.55	2	0.57	10
कर्नाटक	0.43	9	0.44	5	0.35	11	0.49	16
गुजरात	0.65	1	0.87	1	0.39	9	0.69	2
आंध्रप्रदेश	0.50	3	0.40	8	0.50	4	0.59	6
मध्यवर्ती विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य								
पश्चिम बंगाल	0.35	17	0.29	17	0.14	18	0.62	5
राजस्थान	0.46	7	0.29	16	0.55	3	0.54	12
मध्यप्रदेश	0.47	6	0.40	9	0.62	1	0.38	20
छत्तीसगढ़	0.44	8	0.39	10	0.47	5	0.47	18
केरल	0.42	10	0.42	7	0.31	13	0.53	13
हिमाचल प्रदेश	0.47	5	0.46	3	0.33	12	0.62	4
पंजाब	0.40	13	0.19	20	0.43	6	0.58	9
निम्न विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले राज्य								
ओडिशा	0.36	15	0.33	12	0.26	14	0.50	15
उत्तरप्रदेश	0.36	16	0.32	13	0.37	10	0.38	19
असम	0.32	19	0.26	18	0.13	19	0.58	8
बिहार	0.31	20	0.30	15	0.12	20	0.52	14
झारखंड	0.33	18	0.20	19	0.20	16	0.59	7
उत्तराखंड	0.39	14	0.46	4	0.24	15	0.48	17

स्रोत: *भारत के राज्यों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग, 2013*

निष्कर्ष

एफडीआई अंतर्प्रवाह का 70 प्रतिशत हिस्सा भारत के छह राज्यों में केंद्रित है जिसकी वजह से भारत में क्षेत्रीय असमानता की खाई और चौड़ी हुई है। अध्ययन से पता चलता है कि एफडीआई के अंतर्प्रवाह पर जनसंख्या घनत्व का प्रभाव नगण्य है जबकि कुशल श्रम की उपलब्धता, आर्थिक विकास, मज़बूत आधारभूत संरचना, बेहतर विद्युत उत्पादन ने राज्यों में एफडीआई के अंतर्प्रवाह पर आकर्षक और सकारात्मक प्रभाव डाला है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का राज्य में एफडीआई के अंतर्प्रवाह पर सीमित प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार को चाहिए कि वह विदेशी निवेशकों को रियायत देने की बजाय अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर अपना ध्यान ज़्यादा केन्द्रित करे। यदि मध्यवर्ती तथा निम्न एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले राज्य अपने अभिशासन को उन्नत करे,उसमें पारदर्शिता लायें, भ्रष्टाचार पर लगाम लगायें, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराये तथा अपने राज्य को और ज्यादा गतिशील और जीवंत बनायें तो एफडीआई के अंतर्प्रवाह से संबद्ध राज्यों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सकता है। ❑

अपनी रचनाएं भेजें

योजना में प्रकाशन के लिए आलेख आमंत्रित हैं। आगामी अंकों के लिए घोषित विषयों पर अपने मौलिक एवं अप्रकाशित लेख आप हमें ईमेल द्वारा yojanahindi@gmail.com पर या डाक द्वारा संपादकीय कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं।

– संपादक

सिविल सेवा अभ्यर्थियों के हित में जारी

CSAT में अच्छे अंक प्राप्त कर सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए

सही रणनीति व जानकारी के अभाव में बहुत से अभ्यर्थी **CSAT** को गंभीरता से नहीं लेते और फलस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतते हैं। वे अपना कीमती समय व धन व्यर्थ करते हैं। वास्तव में आपको सिविल सेवा प्रधान परीक्षा की तैयारी तभी प्रारंभ करनी चाहिए जब आप **CSAT** में सफलता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हों। आशा है कि आप उन अभ्यर्थियों में से नहीं हैं जिन्होंने गलत निर्णय लिया। आंकड़े बताते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने **CSAT** में अच्छे अंक प्राप्त किये वे ही प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहे हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2014 ने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है। **CSAT** केवल अत्यधिक अंक प्रदान करने वाला प्रश्न-पत्र ही नहीं है बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आप प्रारंभिक परीक्षा के कट-ऑफ अंक का **80%** अंक केवल **CSAT** में ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि पिछले वर्ष उत्कृष्ट रैंक प्राप्त करने वाले मेधावी अभ्यर्थियों ने भी ऐसा ही किया और **CSAT** में अच्छे अंक प्राप्त किये।

सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा, 2013 कट-ऑफ 241#

CL के कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक कट-ऑफ अंक (241) में से 180 अंक केवल सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र II (CSAT) में ही प्राप्त किये

CL Enrollment ID	Student Name	UPSC Roll No	CSAT Score	CSAT %age (200)	CSAT Score as a %age of CSP '13 Cutoff (241)
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	श्रुजीत वेलुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्लू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8

और भी बहुत से...

सामान्य श्रेणी

*परिणाम आंतरिम परिविक्षाधीन

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगइन करें
www.careerlauncher.com/civils/csp13prelimstoppers.html

केवल CL ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है

CL के 1000* से भी अधिक छात्रों ने सिविल सेवा (प्रां) परीक्षा, 2014 में सफलता प्राप्त की

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम् CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगरः 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगरः 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सरायः 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17

इलाहाबादः 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन – (0)9956130010

YH - 261/2014

अप्रासंगिक कानूनः अनिवासी भारतीयों की कशमकश

अनिल मल्होत्रा

संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की शपथ लेने वाले हम भारतवासी राष्ट्रीयता के अपने मसलों पर फैसला करने और भारतीय मूल के लोगों को समाधान दिलाने में पूरी तरह सक्षम हैं। आजादी के बाद के हमारे कानून समाधान मुहैया कराते हैं। हमारी जीवंत न्यायपालिका संविधान के तहत सुनिश्चित मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी व्याख्या करती है। इसलिए आजादी से पहले के उन कानूनों को कानून की किताब से हटा दिया जाना चाहिए जो आज के अधिकारों के खिलाफ हैं।

वर्ष 2015 में महात्मा गांधी की भारत वापसी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस महान शताब्दी को मनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस नौ जनवरी, 2015 को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का मकसद सभी विदेशी भारतीयों का उनकी मातृभूमि पर स्वागत करना है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्टेडियम में विशाल भीड़ को उल्लास भरे लहजे में संबोधित करते हुए भारत के दरवाजे भारतवंशियों के लिए खोल दिए। उन्होंने भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को आजीवन वीसा बिना किसी परेशानी के मुहैया कराने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने पीआईओ कार्ड को आजीवन वैधता देने से संबंधित अधिसूचना 30 सितंबर को जारी कर दी। अधिसूचना में पीआईओ कार्ड धारकों को पुलिस को सूचित करने और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। यहां तक तो सब ठीक है। मगर इन सुखाभासी कदमों का स्वागत करने के साथ ही हमें अपने अंदर झांक कर भी देखना चाहिए।

हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने अनिवासी भारतीय भाइयों को उनके परिवार और समाज से जुड़े कानूनों के रूप में क्या दे रहे हैं। अनिवासी भारतीय उम्मीद करते हैं कि ये कानून बदलती सामाजिक जरूरतों के अनुकूल हों। यह देखने की बात है कि तेज प्रगति और विकास के इस दौर में क्या ये भारतीय कानून इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। हमें सबसे पहले अपने कानूनों और उनकी जरूरत के मूल्यांकन के लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होगा।

विदेशी भारतीयों से संबंधित मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21,90,9875 से अधिक अनिवासी भारतीय विश्व के लगभग 200 देशों में बसे हुए, स्थापित और फलफूल रहे हैं। उनकी वास्तविक संख्या तीन करोड़ के आसपास होगी। निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अपनेआप में एक राष्ट्र हैं। लिहाजा उनके विवादों के संबंध में एक वैश्विक कानून की गंभीर जरूरत है। आव्रजन, राष्ट्रीयता, शादी, तलाक, जबरन विवाह, बच्चे को लेकर पति और पत्नी के बीच खींचतान, दांपत्य गुजारा भत्ता, वैवाहिक संपत्ति का बंटवारा, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और विरासत, भारतीय संपत्ति का कब्जा तथा किराए की कोख जैसे कई मामले अनिवासी भारतीयों तथा भारत और विदेश में उनके विस्तृत परिवारों के बीच संपर्क से जुड़े हुए हैं। किसी भी परिवर्तित या संशोधित भारतीय कानून और नए दौर के इन मसलों पर कानून की तार्किक व्याख्या के अभाव में विदेशी अदालतों और विधिकर्मियों को इन समस्याओं को सुलझाने में काफी दिक्कतें आती हैं। विदेशी कानूनों की उपयुक्तता, विदेश में सुनाए गए फैसलों की वैधता और भारतीय अदालतों के वैसे फैसले जिनके प्रतिपादन की जरूरत है, ये सब भी इनसे जुड़े मसले हैं। इनकी व्याख्या और इन पर विशेषज्ञ राय की दरकार है।

वैश्विक भारतीयों से संबंधित सभी कानून पांच दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। वे समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। परिवर्द्धन और संशोधन के बिना ये कानून अपनी उपयोगिता खो चुके हैं और मौजूदा समय की पारिवारिक समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समाधान नहीं देते। न्यायाधिकार सीमा का टकराव समस्याओं को इतना अधिक गंभीर और जटिल बना देता है कि समाधान ही संभव नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप घर टूटते हैं और परिवारों का विभाजन हो जाता है।

लेखक अधिवक्ता हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ (आईएलए) की पारिवारिक विधि समिति में भारतीय प्रतिनिधि हैं। साथ ही पंजाब सरकार में अनिवासी भारतीय मामलों के सलाहकार भी हैं। उन्होने अनिवासी भारतीयों से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ईमेलः anilmalhotra1960@gmail.com, malhotraranjitindia@rediffmail.com

पृष्ठभूमि

पासपोर्ट अपनी प्रकृति और उद्देश्य में किसी व्यक्ति की नागरिकता को मान्यता देने वाला दस्तावेज है। यह धारक की मुक्त यात्रा के लिए अन्य देशों से अनुरोध करता है। इसे धारक द्वारा जरूरी घोषणाएं किए जाने के बाद जारी किया जाता है। इसे राष्ट्रीयता का निर्धारण करने वाली आधिकारिक एजेंसी की मान्यता होती है। किसी भी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट उसकी भारत की राष्ट्रीयता की पुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जाता है लेकिन इसे पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत कुछ निर्धारित शर्तों और कानूनन जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त या रद्द भी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, नई दिल्ली मामले में 1967 के अपने फैसले में कहा है कि पासपोर्ट से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामले में 1978 में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि पासपोर्ट जब्त करने का आदेश मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

ब्रिटिश राज में बनाए गए कानूनों के इस्तेमाल को लेकर भारत में बहस जारी है। लेकिन ब्रिटेन ने 1849 और 1942 के बीच बनाए गए उन 38 कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय रेल नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव से संबंधित हैं।

विवाद

ब्रिटिश राज में बनाए गए कानूनों के इस्तेमाल को लेकर भारत में बहस जारी है लेकिन ब्रिटेन ने 1849 और 1942 के बीच बनाए गए उन 38 कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय रेल नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव से संबंधित हैं। भारत में भी सरकारी विभागों ने अपनी उन अलमारियों से जाले हटाने की शुरुआत की है जहां हवा और धूप शायद ही कभी पहुंचती हो। इसके तहत पुराने पड़ चुके कानूनों की पहचान की जा रही है मगर उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और नागरिकता अधिनियम, 1952 संसद से पारित किए जा चुके हैं लेकिन हम अब भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी अधिनियम, 1946 का इस्तेमाल कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए ज्यादातर ऐसे कानून बेकार हो चुके हैं। वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते तथा अनियंत्रित, भेदभावपूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करते हैं। इन्हें कानून की किताब से हटाए जाने की गंभीर आवश्यकता है फिर भी हम इन कानूनों को ढोए जा रहे हैं।

एक पूर्ण कानून

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने से संबंधित अपनेआप में एक पूर्ण कानून है। इसमें पासपोर्ट में परिवर्तन तथा उसे जब्त और रद्द किए जाने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया की व्यवस्था है। प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत सजा और जुर्माने के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। दूसरी ओर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी अधिनियम, 1946 बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने या निकालने के पूर्ण और असीमित अधिकार देता है। लोकतांत्रिक देश में इन तीनों कानूनों का एक साथ बने रहना कानून के राज के सिद्धांत के खिलाफ और विरोधाभासी है। इसकी न्यायिक समीक्षा की पर्याप्त गुंजाइश है। वर्ष 1920 और 1946 के कानूनों में नजरबंदी, हिरासत, कैद और बिना सुनवाई भारत से निष्कासन के जो अधिकार दिए गए हैं उनसे स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के तहत सुनिश्चित जीवन और निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए स्वतंत्रता से पहले के इन कानूनों को बनाए रखने के तर्क गलत और मौलिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं।

नागरिकता का संहिताबद्ध कानून

नागरिकता अधिनियम, 1955 का संबंध भारतीय नागरिकता के ग्रहण और निर्धारण से है। इसकी धारा 09 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अगर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यह धारा विदेशी नागरिकता ग्रहण की स्थिति में भारतीय नागरिकता खत्म किए जाने के बारे में एक पूर्ण संहिता है। नागरिकता अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार ने इस कानून के उद्देश्यों का पालन करने के लिए नागरिकता नियम, 2009 बनाए हैं। इन नियमों के नियम 40 के तहत केन्द्र सरकार इस बारे में फैसला कर सकती है कि क्या किसी भारतीय नागरिक ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल की है। और अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की है तो कब और कैसे। लेकिन यह फैसला करते समय उसे इन नियमों के तहत अनुसूची तीन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

नागरिकता नियमों की अनुसूची तीन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

1. केन्द्र सरकार को यदि लगता है कि भारत के किसी नागरिक ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल की है तो वह उससे जवाब तलब करेगी। वह उसे एक निर्धारित समय देकर यह साबित करने के लिए कहेगी कि उसने उस देश की नागरिकता स्वेच्छा से नहीं ली है। इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष पर ही होगी।
2. केन्द्र सरकार इस तरह के मामलों में उस देश में अपने दूतावास और वहां की सरकार से सहायता ले सकती है। इस तरह से हासिल किसी भी रिपोर्ट या सूचना पर वह कार्यवाही कर सकती है।
3. अगर कोई भारतीय नागरिक किसी भी तारीख को किसी अन्य देश की सरकार से पासपोर्ट हासिल करता है तो इसे इस बात का पुख्ता सबूत माना जाएगा कि उसने उस दिन से पहले ही स्वेच्छा से संबंधित देश की नागरिकता हासिल कर ली है।

वर्ष 1920 और 1946 के कानूनों में नजरबंदी, हिरासत, कैद और बिना सुनवाई भारत से निष्कासन के जो अधिकार दिए गए हैं उनसे स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के तहत सुनिश्चित जीवन और निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्ट कानून

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 09 (2) और नागरिकता नियम 1956 के नियम 30 के तहत केन्द्र सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि भारत के किसी नागरिक ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता हासिल करने

नागरिकता और विदेशियों से जुड़े कानून एक नजर में

विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939	भारत में विदेशियों के पंजीकरण का प्रावधान करने वाला कानून
1939 के कानून के तहत बनाए गए नियम	विदेशी पंजीकरण नियम, 1939 की जगह जारी किए गए विदेशी पंजीकरण नियम, 1992
विदेशी अधिनियम, 1946	विदेशियों के संबंध में केन्द्र सरकार को कुछ खास अधिकार देने वाला कानून
विदेशी आदेश, 1948	1946 के कानून की धारा 03 के तहत जारी आदेश भारत से रवानगी की इजाजत संबंधी
विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964	1946 के कानून की धारा 03 के तहत व्यक्ति की नागरिकता जांचने के लिए जारी
पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920	भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पासपोर्ट की आवश्यकता से संबंधित कानून
पासपोर्ट अधिनियम, 1967	भारत से प्रस्थान के नियमन के लिए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज के प्रावधान से संबंधित
नागरिकता कानून, 1955	भारतीय नागरिकता के ग्रहण और निर्धारण से संबंधित
नागरिकता नियम, 2009	नागरिकता कानून, 1955 के तहत बनाए गए नियम

के कारण भारतीय नागरिकता खो दी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इस आधार पर देश निकाला या अदालती कार्यवाही का आदेश जारी नहीं किया जा सकता कि उसके विदेशी पासपोर्ट हासिल करने के सबूत हैं। इसके लिए अधिनियम की धारा 09 (2) के तहत केन्द्र सरकार का फैसला जरूरी है। इसके अलावा, धारा 09 (2) के तहत केन्द्र सरकार की तहकीकात एक अर्द्ध न्यायिक जांच है। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार बनाम अब्दुल खादर (1961), आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद (1962) और उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रहमतुल्ला (1971) मामलों में कानून के इस पहलू को स्पष्ट कर दिया है। लिहाजा कानून में राष्ट्रीयता के निर्धारण की प्रक्रिया सुस्थापित हो चुकी है।

नए वर्ग

संविधान के अनुच्छेद 09 और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 09 के तहत दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है। लेकिन भारत की 1.2 अरब की आबादी में से तीन करोड़ अनिवासी भारतीयों के लगभग 180 विदेशों में बसे होने के कारण इस प्रावधान में कुछ रियायतें दी गई हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों को सीमित लाभ देने के लिए पीआईओ और विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के दर्जे बनाए गए हैं। इस तरह पीआईओ और ओसीआई को भारत में सीमित अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें किसी वीसा, पंजीकरण, मंजूरी या अन्य इजाजतों के बिना भारत में निवास का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद पांच के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मूल भारत में है और जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता-पिता भारत में जन्मे हों अथवा जो संविधान लागू होने के बाद कम-से-कम पांच साल तक भारत का सामान्य निवासी रहा हो वह भारत का नागरिक होगा। इसके आधार पर और भारतीय कानून की व्याख्या के जरिए भारतीय नागरिकता के अधिकार का निर्धारण किया जा सकता है।

नागरिकता का निर्धारण

1946 के अधिनियम में ऐसे विदेशियों के नागरिकता निर्धारण की व्यवस्था है जिन्हें एक से ज्यादा देश के नागरिक के रूप में मान्यता मिली हुई हो या जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को उस देश का नागरिक माना जाएगा जिससे वे सबसे नजदीकी तौर पर जुड़े दिखाई देते हों। वर्ष 1920 और 1946 के अधिनियम ऐसे विदेशी की राष्ट्रीयता के निर्धारण के लिए कोई मंच या प्रक्रिया मुहैया कराए बिना उसे देश से निष्कासन की इजाजत देते हैं। उसे इस प्रक्रिया में कोई वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। इन सवालों को निर्धारित करने के लिए किसी भी ट्राइब्यूनल का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार इस बारे में सबसे पहले फैसला करेगी कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ली है। और यदि उसने दूसरे देश की नागरिकता ली है तो कब और कैसे। इन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार जब तक अर्द्ध न्यायिक जांच के जरिए इस फैसले पर नहीं पहुंचती कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहा, तब तक उसे देश से निकाला या निकलने का आदेश दिया नहीं जा सकता। एक विदेशी पासपोर्ट किसी व्यक्ति को विदेशी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपनी नागरिकता का निर्धारण उसका मौलिक अधिकार है। अब समय आ गया है जब हमारी संसद को नागरिकता के निर्धारण में निहित आजादी, निजी स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए।

वर्तमान में भारतीय मूल के व्यक्तियों को वैश्विक दंपतियों के बीच वैवाहिक मतभेद और विदेशी अधिवास से उपजे राष्ट्रीयता के मामले जैसे मसलों से रूबरू होना पड़ रहा है। मौजूदा संदर्भ में अपेक्षित रुख तो यह होगा कि विधि प्रणाली के तहत उचित मंचों और प्राधिकरणों का गठन किया जाए जिससे सुनवाई और समस्या निवारण का अवसर देकर इन मामलों को सुलझाया जा सके।

बहस के मुद्दे

आज के सामाजिक वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय भारतीयों को पीआईओ या ओसीआई का दर्जा मिल सकता है। अगर वे अपनी मातृभूमि से फिर से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें मौलिक स्वतंत्रता का हनन करने वाले 1920 और 1946 के औपनिवेशिक प्रावधानों के तहत विदेशी करार देकर देश से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकता अधिनियम, 1955 खुद सौहार्द तैयार करता है। मौजूदा समय में सिर्फ विदेशी पासपोर्ट रखने के आधार पर किसी को आनन-फानन में भारत से बाहर नहीं किया जा सकता। फिर हमें 1920 और 1946 के कानूनों को क्यों बनाए रखना चाहिए। इन्हें तो उस समय की परिस्थितियों में विदेशियों के प्रवेश को नियमित करने के लिए बनाया गया था। यह गंभीर मसला है जिसकी ओर संसद का ध्यान जाना चाहिए।

वक्त की जरूरत

वर्तमान में भारतीय मूल के व्यक्तियों को वैश्विक दंपतियों के बीच वैवाहिक मतभेद और विदेशी अधिवास से उपजे राष्ट्रीयता के मामले जैसे मसलों से रूबरू होना पड़ रहा है। मौजूदा संदर्भ

में अपेक्षित रुख तो यह होगा कि विधि प्रणाली के तहत उचित मंचों और प्राधिकरणों का गठन किया जाए जिससे सुनवाई और समस्या निवारण का अवसर देकर इन मामलों को सुलझाया जा सके। किसी व्यक्ति को विदेशी न्याय क्षेत्र में भेज देना तो विदेश के शासन के सामने आत्मसमर्पण कर देना होगा। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की शपथ लेने वाले हम भारतवासी राष्ट्रीयता के अपने मसलों पर फैसला करने और भारतीय मूल के लोगों को समाधान दिलाने में पूरी तरह सक्षम हैं। आजादी के बाद के हमारे कानून समाधान मुहैया कराते हैं। हमारी जीवंत न्यायपालिका संविधान के तहत सुनिश्चित मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी व्याख्या करती है। इसलिए आजादी से पहले के उन कानूनों को कानून की किताब से हटा दिया जाना चाहिए जो आज के अधिकारों के खिलाफ हैं। इसके अलावा विधायिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीयों के लिए नए कानून बनाए जाने की गंभीर जरूरत है। दो देशों के दंपतियों के बीच बच्चे के संरक्षण को लेकर विवाद तुरंत चिंता का विषय है। इस तरह के मामलों में मासूम बच्चों को माता और पिता के बीच लड़ाई का शिकार बनाया जाता है। संतान का इस्तेमाल निजी विवाद को सुलझाने के लिए इनाम के तौर पर किया जाता है। कोख बेचने का व्यवसाय भारत में काफी फलफूल रहा है। इसे नियमित करने के लिए कानून बनाने और उसके पालन की कानूनी प्रक्रिया तय करने की सख्त जरूरत है। मानव तस्करी और अवैध आव्रजन के घातक व्यापार में धोखेबाज एजेंटों द्वारा शोषित होने वाले भारतीयों की कीमती जानें बचाने के लिए एक केन्द्रीय कानून की जरूरत है। दंपती गुजारा भत्ता अधिकारों और विवाह से संबंधित कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाए जाने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लिए जाने के लिए नया नियामक कानून बनाया जाना चाहिए। मौजूदा समय में हमारी पूरी ऊर्जा व्यावसायिक कानूनों पर केन्द्रित है। भारत में परिवार और समाज से संबंधित कानूनों के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है।

परिणामस्वरूप 50 साल से ज्यादा समय में कुछ भी नहीं बदला है। हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। यदि हम अपने विदेशी भारतीयों को भारत में मुक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें एक स्थिर घर, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन और रहने के लिए एक आरामदेह समाज देना होगा। भारतीय कानून अब अलगाव में नहीं रह सकते। उन्हें विदेशी कानूनों के साथ तालमेल बनाना होगा। ❑

बाल दिवस के अवसर पर

10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए

बाल भारती

निबंध प्रतियोगिता 2014

स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित

नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1500 शब्दों में निबंध लिखकर भेजें

- मैंने भी की मुहल्ले की सफाई
- घर साफ–सुथरा तो पार्क–सड़क गंदे क्यों?
- साफ–सफाई–सबको भाई
- एक कूड़ेदान की दास्तान
- झाड़ू बेचारा, आफत का मारा
- सपने में देखा एक स्वच्छ, सुहावना शहर
- तन की सफाईः मन की सफाई

एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रथम पुरस्कार : ₹ 8000/–
द्वितीय पुरस्कार : ₹ 6000/–
तृतीय पुरस्कार :₹ 4000/–
दस प्रोत्साहन पुरस्कार :₹ 1000/– प्रत्येक

- इस प्रतियोगिता में 15 अक्टूबर 1999 से 15 अक्टूबर 2004 के बीच जन्मतिथि वाले बच्चे भाग ले सकते हैं।
- स्कूल के प्रधानाचार्य/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रविष्टि के साथ भेजें।

निबंध प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2014

निबंध के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा, टेलीफोन व मो. नं. और घर का पूरा पता साफ–साफ अक्षरों में लिखकर निम्न पते पर भेजें। लिफाफे पर 'बाल भारती निबंध प्रतियोगिता' लिखें।

प्रकाशन विभाग

कमरा नं. 120, सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाष : 011–24362910
ईमेल : balbharti1948@gmail.com वेबसाइट : publicationsdivision@nic.in

विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ा सकते हैं व्यापार समझौते

नितिन प्रधान

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के बावजूद कई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। भारत ने भी तमाम देशों व देशों के समूहों के साथ व्यापार समझौतों को अंजाम दिया है लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के लिहाज से इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि कई देशों की एफडीआई नीति लंबे समय तक रक्षात्मक या कहें तो प्रतिबंधात्मक रही

इस साल मई में केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की समीक्षा की चर्चाएं शुरू हुई। वजह थी बीते दो साल में निर्यात की रफ्तार का बेहद धीमा होना। यही नहीं देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। इसलिए सवाल उठने लगे कि कहीं विदेश व्यापार समझौतों की खामियां ही तो इसकी वजह नहीं हैं? बात भारत और अन्य देशों व देशों के समूहों के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की समीक्षा और उन पर फिर से बातचीत का दौर शुरु करने तक पहुंच गई।

प्रधानमंत्री ने खुद इन समझौतों की समीक्षा की जरूरत बताई। सरकार ने इन समझौतों की समीक्षा शुरू की और अंतत: पाया कि इनसे भारतीय निर्यात को बहुत अधिक नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन समीक्षा में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि भविष्य में होने वाले इन समझौतों के बिंदु तय करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे भारत को इन समझौतों का अधिकतम लाभ मिल सके। खासतौर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर किसी तरह का नकारात्मक असर न हो। दुनिया भर में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर सवाल उठते रहे हैं। इन समझौतों की वजह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर पड़ने वाला असर भी चर्चा का विषय रहा है। कई रिपोर्टों जिनमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी शामिल है, में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पड़ने वाले असर का अध्ययन भी किया गया। ऐसी ही एक रिपोर्ट बताती है कि बीते दो दशकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह के बढ़ने की रफ्तार निर्यात की रफ्तार से तेज रही है। वैश्विक व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 1990 से 2009 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह निर्यात बढ़ने की तुलना में पांच गुना तक बढ़ा।

1990 के बाद से भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से में उदार आर्थिक नीतियों का प्रचलन बढ़ा है। इसके चलते न सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह विभिन्न देशों में बढ़ा है बल्कि क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की संख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि इन समझौतों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विशेष ध्यान रखा गया है। विभिन्न देशों और देशों के समूहों के बीच हुए इन समझौतों में एफडीआई के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। व्यापार समझौतों का यह नया स्वरूप व्यापार और निवेश के प्रवाह को साथ लेकर चलता है।

अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में एफडीआई ने बड़ी भूमिका तय की है। खासतौर पर 1990 के बाद एशियाई देशों के विकास में एफडीआई एक बड़े कारक के तौर पर उभर कर आया। भारत में भी इसका असर दिखा है। माना जाता है कि एफडीआई का प्रवाह बढ़ने के बाद ही चीन के बाद भारत भी दुनिया के आर्थिक नक्शे पर अपनी पहचान साबित कर सका है। इतना ही नहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में हुए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है।

आसियान का गठन और उसके अमेरिका, जापान, चीन और भारत जैसे देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों ने न केवल इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी बल्कि विदेश व्यापार समझौतों की भूमिका को किसी भी देश के विकास के लिए अहम बना दिया। यही वजह है कि दुनिया

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। संप्रति दैनिक जागरण समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख हैं। इससे पूर्व स्टार न्यूज और सीएनबीसी आवाज टीवी चैनलों में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: pradhnitin@gmail.com

भर के अर्थशास्त्री एफडीआई और विदेश व्यापार समझौतों के घनिष्ठ संबंध के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का उल्लेख खासतौर पर करते हैं।

व्यापार समझौतों व विदेशी निवेश में संबंध

विदेश व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर पड़ने वाला असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इन समझौतों के लिए हुई बातचीत में इसे कितना महत्व दिया गया है। जिन देशों ने समझौते में तय किए गए बिंदुओं में अगर एफडीआई के प्रवाह के लिए खास प्रावधान किये, उन्हें इसका लाभ मिला। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। मसलन समझौते में व्यापार बाधाओं को कम करके निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए जिससे एक देश से उत्पादों का प्रवाह दूसरे देश में होता है।

एफडीआई का प्रवाह बढ़ाने के लिए एफटीए में निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का प्रावधान भी शामिल किया जाता रहा है। इससे एक देश से दूसरे देश को पूंजी का प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह की बंदिशों के हटने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जरूरत पड़ने पर अपने वित्तीय संसाधनों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। इसका असर समझौते में शामिल मेजबान देश के विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। आसियान देशों के अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ हुए विदेश व्यापार समझौतों में इसके प्रावधान का कारगर इस्तेमाल हुआ। एफटीए का लाभ यही है कि अगर किसी देश को दूसरे देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने की संभावनाएं दिखती हैं तो वह इस प्रावधान के साथ उक्त देश से समझौता कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

विदेश व्यापार समझौतों के कुछ अन्य लाभ भी हैं। आपसी व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते दो देशों के आर्थिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक रिश्तों को भी नई दिशा प्रदान करते हैं। विभिन्न देशों के चीन के साथ हुए व्यापार समझौतों को इस रोशनी में देखा जा सकता है जिसने चीन को पूरी दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। दरअसल इस तरह के समझौतों में राजनीतिक रिश्तों की मजबूती बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराती हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ विदेश व्यापार समझौते के लिए अटकी बातचीत में ऐसे ही कुछ प्रावधान अड़चन बने हुए हैं जिनके निहितार्थ आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के बावजूद कई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह उतना नहीं बढ़ पाया जितना मिलना चाहिए था। भारत ने भी तमाम देशों व देशों के समूहों के साथ व्यापार समझौतों को अंजाम दिया है लेकिन एफडीआई के प्रवाह के लिहाज से इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि कई देशों की एफडीआई नीति लंबे समय तक रक्षात्मक या कहें तो प्रतिबंधात्मक रही। भारत के मुकाबले ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की एफडीआई नीति अधिक उदार रही है। लिहाजा वहां एफडीआई का प्रवाह लंबे समय से अधिक रहा है। चीन की एफडीआई नीति भी काफी समय तक प्रतिबंधात्मक रही। लेकिन नब्बे के दशक में उसने तेजी से अपनी नीति को उदार बनाया जिससे वहां एफडीआई का प्रवाह तेजी से बढ़ा। इस मामले में एशियाई देशों के दरवाजे सबसे देर से खुले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एफटीए और एफडीआई के संबंध को लेकर हुआ एक अध्ययन बताता है कि अमेरिका-आस्ट्रेलिया और अमेरिका-सिंगापुर के बीच हुए व्यापार समझौते एफडीआई के लिहाज से सबसे सफल रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह आस्ट्रेलिया और सिंगापुर की बेहद उदार एफडीआई नीति रही है।

एफडीआई का प्रवाह बढ़ाने के लिए एफटीए में निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का प्रावधान भी शामिल किया जाता रहा है। इससे एक देश से दूसरे देश को पूंजी का प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह की बंदिशों के हटने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जरूरत पड़ने पर अपने वित्तीय संसाधनों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है।

भारत समेत अन्य एशियाई देशों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत नीतियों के अमल में पारदर्शिता का अभाव रहा है। एफडीआई का प्रवाह बढ़ाने में पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। इसे आज के संदर्भों में स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है।

भारत में कानूनों के कई प्रावधान एफडीआई के लिए बाधा बने हुए हैं। टैक्स संबंधी प्रावधान उलझे हुए हैं। पुरानी तारीख से कर वसूली के विवादास्पद प्रावधान के चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश को लेकर अपनी हिचक दिखाई है। भारत में 2जी घोटाले के बाद रद्द हुए टेलीकॉम लाइसेंस ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चिंता में और इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम लाइसेंस रद्द करने के बाद कुछ विदेशी कंपनियों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। लिहाजा इस क्षेत्र में न केवल भविष्य में विदेशी निवेश पर प्रश्नचिह्न लग गया बल्कि घरेलू टेलीकाम कंपनियों के लिए भी पूंजी जुटाना एक समस्या बन गया। इसका असर बाद में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी पर भी देखने को मिला। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में एफडीआई बढ़ाने के प्रावधान होने के बावजूद उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं।

एशियाई देशों की ही बात करें तो ज्यादा उदार एफडीआई नीति और नीतियों के अमल में पारदर्शिता का लाभ लेने में सिंगापुर सबसे आगे रहा है। विभिन्न देशों के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के चलते उसके निर्यात में भी आशातीत वृद्धि हुई है। सिंगापुर के अतिरिक्त उदार एफडीआई नीति का लाभ उठाने में थाईलैंड, फिलिपींस और वियतनाम जैसे छोटे देश भी आगे रहे हैं। इन सभी देशों को आसियान फारेन ट्रेड एग्रीमेंट का भरपूर लाभ मिला है। आसियान देशों को व्यापार समझौतों के चलते सर्वाधिक निवेश चीन से मिला। जबकि कोरिया और जापान इस क्षेत्र में पिछले दो दशक से निवेश कर रहे थे।

व्यापार समझौतों और उससे मिले एफडीआई प्रवाह के लाभ का ही नतीजा है कि सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों को आज विकसित देशों की कतार में खड़े होने का मौका मिला है। खासतौर पर इन देशों द्वारा अपनाई गई उदार और पारदर्शी नीतियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया। भारत ने अभी तक छह विदेश व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से पांच विभिन्न देशों के साथ और एक देशों के समूह आसियान के साथ हुए समझौते शामिल हैं। जिन देशों के साथ अलग अलग विदेश व्यापार समझौते हुए हैं उनमें श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और कोरिया शामिल हैं।

तालिका 1: भारत के कुछ प्रमुख व्यापार समझौते

समझौते का नाम	सदस्य	श्रेणी
एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट	बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया, श्रीलंका	पीटीए
इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट	ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, भारत	एफटीए
बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार श्रीलंका, थाईलैंड इकोनोमिक कोऑपरेशन	बांग्लादेश, भारत, म्यामार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल	बातचीत जारी
इंडिया, ब्राजील साउथ अफ्रीका	भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका	–
साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट	भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव	एफटीए
इंडो श्रीलंका एफटीए	भारत, श्रीलंका	एफटीए
इंडो मलेशिया सेका	मलेशिया, भारत	एफटीए
इंडो सिंगापुर सेका	भारत, सिंगापुर	एफटीए
जापान इंडिया सेपा	भारत, जापान	एफटीए
इंडो कोरिया सेपा	भारत, कोरिया	एफटीए

इन समझौतों पर नजर डालें तो केवल तीन देशों से समझौते ऐसे हैं जहां से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह होता है। ये देश हैं सिंगापुर, जापान और कोरिया। बाकी देशों के साथ हुए समझौतों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है लेकिन एफटीए को लेकर हुई ताजा समीक्षा में देखा गया है कि भारत इन समझौतों से जितना लाभ उठा सकता है उतना उसे मिला नहीं है। इसकी एक वजह इन समझौतों के ऐसे प्रावधान रहे हैं जो भारत से अधिक दूसरे देश को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं।

यही वजह है कि सरकार ने अब अपनी रणनीति बदली है और जिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर वार्ता चल रही है उसमें ऐसे प्रावधान डालने की रणनीति बनी है जिससे न केवल भारतीय निर्यात को अधिक फायदा पहुंचे बल्कि देश के विनिर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह हो।

एफटीए के अलावा भारत ने कई देशों और देशों के समूहों के साथ अलग अलग प्रकार के व्यापारिक समझौतों को अंजाम दिया है। ऐसे लगभग 54 समझौते हैं जिन्हें 18 विभिन्न देशों या देशों के समूहों के साथ किया गया है। इनमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सेपा), प्रिक्वेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सेका) शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की राह पर देर से उतरा। मगर सरकार का मानना है कि इसके लिए अधिक सतर्कता बरतनी जरूरी है। इनके अलावा यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए को लेकर भारत की बातचीत लंबे समय से चल रही है। दरअसल भारत का जोर इन समझौतों को अधिक से अधिक अपने पक्ष में करने का रहा है। इसलिए इन समझौतों को अंजाम तक पहुंचने में समय लगा है।

नई सरकार का खास जोर इस बात पर भी है कि भारत अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करे उसमें इस बात का प्रावधान अवश्य हो कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र ज्यादा फायदे में रहे। यह फायदा न केवल भारतीय इकाइयों के उत्पादों को विदेशी बाजारों में अधिक स्थान दिलाने से संबंधित है बल्कि विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का भी है।

इससे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में यही लाभ सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई अन्य देशों ने भी उठाया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की जिस समीक्षा का जिक्र आलेख में पहले किया गया है, वह इसी नजरिए से किया जाना है। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि इस समीक्षा का मतलब इन्हें रद्द करके फिर से वार्ता शुरू करना है। बल्कि सरकार की मंशा इन समझौतों के उन प्रावधानों के अमल पर जोर देने की है जिनसे भारत अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का लाभ एफडीआई के लिहाज से अभी पूरी तरह नहीं मिला है।

जिन देशों के साथ ये समझौते भारत ने किए हैं उनमें केवल सिंगापुर ऐसा देश हैं जहां से लगातार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते करने के लिहाज से भारत की नजर उन देशों पर होनी चाहिए जहां से न केवल भारतीय निर्यात को लाभ पहुंचे बल्कि समुचित मात्र में देश में एफडीआई लाया जा सके। इसी रणनीति से एफटीए का दोहरा लाभ उठाया जा सकता है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से अगस्त 2014 तक भारत में कुल 1116406 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका है। इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी मारीशस से आने वाले एफडीआई की है। इसकी अलग वजहें हैं। लेकिन दुनिया भर में हुए तमाम अध्ययनों ने साबित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का अहम स्रोत हो सकते हैं। ❑

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति पर आईपीआर थिंक टैंक का गठन

औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का मसौदा तैयार करने व बौद्धिक संपदा नीति पर सलाह लेने के लिए एक आईपीआर थिंक टैक का गठन किया है जिसके कार्य निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का मसौदा तैयार करना। **2.** आईपीआर के संदर्भ में उन क्षेत्रों को चिहिनत करना जहां पर शोध जरूरी है और इससे संबधित सुझाव संबंधित मंत्रालय को भेजना। **3.** इसे लागू करने के लिए हितधारकों की संभावित मांग पर विचार प्रस्तुत करना। **4.** भारत के आईपीआर नीति को प्रभावित करने वाले मामलों से जुड़ी सूचनाओं व विकास के बारे में सरकार को लगातार सूचित करते रहना। **5.** ट्रैड मार्क दफ्तरों में कैसे बेहतर कार्य हो, इसके लिए सरकार को सलाह देना। **6.** विदेशों में इस क्षेत्र में चल रहे बेहतर कार्यों के बारे में समयांतराल पर रिपोर्टस तैयार करना। **7.** वर्तमान आईपीआर नीति की विसंगतियों को रेखांकित करना व ईसके समाधान के लिए मंत्रालय को सुझाव देना। **8.** वर्तमान आईपीआर दफ्तर व न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल्स) के ढांचा को बेहतर करने के लिए सुझाव देना। **9.** औद्योगिक संगठनों व मीडिया के माध्यम से जो सवाल उठाए गए हैं उन मसलों की जांच पड़ताल करना व इस बावत मंत्रलय को सुझाव देना।

मैक्ग्रॉ-हिल एजुकेशन
Mc Graw Hill Education
McGraw Hill Education WE Series
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015
अन्य उपयोगी पुस्तकें
सामान्य अध्ययन
PAPER-I
2015
₹ 1350/-
ISBN: 9789339217945
2015
सामान्य अध्ययन
PAPER-II
₹ 1050/-
ISBN: 9789339217952
भूगोल
सामान्य अध्ययन
सामान्य विज्ञान
मैक्ग्रॉ-हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
बी-४, सैक्टर-६३, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301
फोन: 91-120-4383502/4383503, फैक्स: +91-120-4383401, वैबसाइट: www.mheducation.co.in
उत्तर भारत: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/ मध्य प्रदेश: आशीष पराशर (ashish.prashar@mheducation.com) ; दिल्ली/राजस्थान: दिलीप चौरसिया (09560072125); दिल्ली/एन-सी-आर : जनेन्द्र अत्री (09210117762); हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश: सागर भटट् (09815089556); मध्य प्रदेश: रोहित शील (08871016668) उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड: जगदीश ध्यानी (09670878655), जितेन्द्र मिश्रा (09532885941)
पूर्वी भारत: बिहार/झारखंड/उड़ीसा: रणविजय कुमार (08809561425);
पश्चिम भारत: महाराष्ट्र/गोवा/गुजरात/छत्तीसगढ़: जूनियस रॉड्रिक्स (09833064319); महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़: सौरभ कानुगोई (08378991475); गुजरात: नरेन माहतो (08238388926)
विक्रय एवं प्रकाशन हेतु जानकारी हेतु लिखें info.india@mheducation.com
www.facebook.com/UPSCtitlesbyMcGrawHill
www.facebook.com/civilservicesmainexaminationtitlebymcgrawhill
Prices are subject to change without prior notice.
For online purchase of MHE products please log on to www.tmhshop.com

YH 262/2014

भारत में विदेशी निवेश: नीतिगत बदलाव व राज्यगत विविधता

सोजिन शिन

समाज के विपक्षी समूहों और प्रभावी शासन के स्तर पर बातचीत में राज्य की क्षमता अलग होना एक पहेली है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में राज्यों के बीच बड़ा अंतर विदेशी निवेश की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक परेशानियों तथा सामाजिक विपक्ष के साथ सौदा करने में राज्य की क्षमता दिखाता है। राज्यों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संचय में इस तरह के असमान प्रदर्शन को राज्यों के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों पर विचार करके पता लगाए जाने की जरूरत है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ''घरेलू संस्था द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू उद्यम में स्थायी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य अर्थव्यवस्था में सीमा पार किए गए निवेश'' के तौर पर समझा जाता है (ओईसीडी, 2013)। दूसरे शब्दों में, भारत में एफडीआई का अर्थ, देश के बाहर ''गैर-निवासी संस्था/व्यक्ति, गैर-भारतीय कंपनी द्वारा निवेश'' है (भारत सरकार, 2014: 7)। विदेशी निवेशकों को न केवल मेजबान देश के संसाधनों का स्वामित्व बल्कि उस देश के उद्यम प्रबंधन में निर्णय-लेना भी प्रभावित करता है। इन दोनों स्थितियों, दीर्घावधि के लिए निवेश तथा प्रबंधन की भागीदारी में, एफडीआई अल्पकालिकता वाले संविभाग निवेश की तुलना में मेजबान देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के तौर पर अधिक सहायक साबित होता है। एफडीआई के दोनों विरोधी पहलू -हितकारी या अहितकारी होने के बावजूद, आर्थिक विकास के साथ इनके संबंध हैं, कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अपने आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ कमाते दिखते हैं। (मोरन, 1998)

पिछले दो दशकों से, भारत और चीन जैसी कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई के अंतर्वाह में लगातार बढ़ोतरी रही है (अंकटाड, 2010)। इस समय चीन मेजबान देशों में पहले स्थान पर है और भारत बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए तीसरा सबसे सामान्य गंतव्य है (अंकटाड, 2013: 22)। ये दोनों उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं नीतिगत बदलावों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाकर तेज गति से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अंतर्वाह को लुभा रही हैं। एफडीआई के इस हितकारी अभिलक्षण प्रतिमान के उभरने के पीछे मुख्य कारण हैं: रोजगार पैदा होना, पूंजीगत वस्तुओं तथा सुविधाओं की पेशकश, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, निवेशकों के माध्यम से कंपनियों का पारदर्शी हो जाना, प्रबंधन की भागीदारी, और मेजबान देश में प्रेरणादायी घरेलू निवेश। ऐसे कुछ एशियाई विकासात्मक मॉडल हैं जैसे, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, जिन्होंने दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभों का उपयोग किया।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 'मुद्रा संकट तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बचाव ऋण दोनों की घटनाओं' द्वारा आर्थिक झटके के मामले में विदेशी मुद्रा की एक निश्चित राशि बनाए रखने के लिए कमतर भी आंका गया है। (क्रुएगर और इटो, 2000: 7)।

विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

भारत के मामले में, 1970 के दशक के मध्य में जब बाजार ने वैश्विक रुप में एकीकृत होना शुरू किया तभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में आर्थिक संस्थानों में संवर्द्धित बदलाव किए गए (मुखर्जी, 2014)। एफडीआई के संबंध में नीति शासन में तीन चरणों में बदलाव हुए:1. एफडीआई- विरोधी (1969-75), 2. चयनात्मक एफडीआई (1975-91), और 3. एफडीआई- समर्थक (1991 से अब तक) (शिन, 2014)। एफडीआई विरोधी काल में, तत्कालीन सरकार ने गरीबों से राजनैतिक सुरक्षा पाने के लिए 1969 में घरेलू बैंकों का राष्ट्रीयकरण

लेखिका सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस) के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में शोध कार्य करती हैं। वह यहां डॉक्टरेट की अभ्यर्थी हैं। उनकी शोध रुचि भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था तथा राज्य की राजनीति पर केंद्रित हैं। ईमेल: isassos@nus.edu.sg

कर दिया। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेरा) की शुरूआत विदेशी मुद्रा को विनिमयित करने के लिए की गई थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा पर एकाधिकार जमाना था। उदाहरण के लिए, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, जो केंद्र सरकार की एकमात्र अधिकृत लेन-देन करने वाली संस्था थी इसके अलावा राज्य की कोई एजेंसी विदेशी मुद्रा से संबंधित काम में भाग नहीं ले सकती थी।

वहीं, चयनात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के काल में, भारत की अर्थव्यवस्था में नियमों की सहजता के लिए परिवर्तन करना पड़ा। तत्कालीन सरकार ने विदेशी मुद्रा को भारतीय उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1976 भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्मुखीकरण के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ, जैसाकि

एफडीआई विरोधी काल में, तत्कालीन सरकार ने गरीबों से राजनैतिक सुरक्षा पाने के लिए 1969 में घरेलू बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेरा) की शुरूआत विदेशी मुद्रा को विनिमयित करने के लिए की गई थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा पर एकाधिकार जमाना था।

(1977) में फ्रैंक ने इसके लिए लिखा: "*राज्य बड़े तथा विदेशी पूंजी के हितों के लिए पुनर्गठित हो रहा है तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों व राजनैतिक हितों के संबंध में और अधिक सापेक्ष हो रहा है*" *(पृ. 473)*।

ऐसा परिवर्तन और भी स्पष्ट हो गया जब राजीव गांधी की सरकार ने एफडीआई का समर्थन किया। 1980 के दशक की शुरूआत में, तेल की कीमतों में वृद्धि होने तथा वैश्विक मंदी से वित्तीय संकट पैदा हो गया, तब राजीव गांधी को बाह्य ऋण की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संभावित लाभ महसूस हुए। उन्होंने उल्लेख किया है:

विदेशी निवेश के प्रति हमारी नीति स्पश्ट है। यह खुले द्वार वाली नीति नहीं है। हम क्षेत्रों की विस्तृत पहुंच के समेत समान विदेशी हिस्सेदारी के प्रतिशत में अपनी शर्तों के साथ विदेशी निवेश को अनुमति देते हैं।

कुछ प्रतिशत में उच्च तकनीक या जहां निर्यात के लिए कोई विशेश योगदान हो, ऐसे कुछ क्षेत्रों में रियायत दी जा सकती है। विदेशी ऋण पिछले कुछ वर्षों में और बढ़ गया है जो हमारी बढ़ती जरूरतों तथा खपत क्षमता से दर्शाता है लेकिन प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बहुत थोड़ा रह गया है। फिर भी, प्रत्यक्ष निवेश ऋण के कुछ लाभ हैं। ऋण को चुकाना होता है। निवेश उत्पादक हो या न हो, निवेश केवल वहीं प्रवाह से आगे बढ़ता है जहां उत्पादक के साथ-साथ लाभ भी हो। हम अपनी अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए इसकी प्रक्रियाओं को तीव्र करने तथा अनावश्यक बाधाओं को दूर करके विदेशी निवेश के एक बड़े प्रवाह को समावेशित कर सकते हैं। (गांधी, 1988)

अंत में, 1990 के दशक की शुरूआत में, वित्तीय संकट के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में नई आर्थिक नीतियों को लाया गया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया द्वारा डिजाइन किए गए नीति पत्र ही 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए मूल डिजाइन के तौर पर स्वीकार कर लागू किए गए। इसमें विदेशी निवेशकों की अनेक क्षेत्रों में घरेलू कंपनियों में चुकता पूंजी (paid-up capital) की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। यह नीति परिवर्तन एफडीआई की मदद से लाया गया जिसे संकट के संतुलन द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। (मुखर्जी, 2014 बी) एफडीआई की समर्थक अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों में से एक 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) था। फेरा, जो 1973 में आया था, की तुलना में फेमा को कुछ विदेशी मुद्रा के साथ डील करने में भागीदार राज्य एजेंसियों जैसे आरबीआई के अलावा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तौर पर लिया जाता है। सेबी तथा आरबीआई विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मुख्य रूप से संबद्ध हैं इसके लिए उन्हें किसी स्वीकृत अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इस स्वत: मार्ग के तहत, विदेशी निवेशकों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उन लोगों की तुलना में अधिक आसानी से अपने व्यवसाय पर काम करने की अनुमति दी जाती है जो अन्य तरीके अपनाते हैं।

अन्यथा, वित्त मंत्रालय के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अंतर्गत औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) को उपर्युक्त वर्णित स्वचालित मार्ग से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, फेमा की शुरूआत के बाद से एफआईपीबी की भूमिका प्रस्तावों की स्वीकृति और अस्वीकृति में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। एफआईपीबी के अनुसार, यह विदेशी निवेशकों को प्रस्तावों के लिए एक ही स्थान से स्वीकृति देता है जिससे समय की बर्बादी कम होती है।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने 'कम, मेक इन इंडिया' नारे के लिए प्रभावी शासन और आसान शासन पर बल दिया ताकि विदेशी निवेशकों के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा किया जा सके। उन्होंने एफडीआई शब्द का प्रयोग 'फर्स्ट डेवलेप इंडिया (पहले भारत का विकास)' के रूप में किया। उन्होंने

एफडीआई की समर्थक अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों में से एक 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) था। फेरा, जो 1973 में आया था, की तुलना में फेमा को कुछ विदेशी मुद्रा के साथ डील करने में भागीदार राज्य एजेंसियों जैसे आरबीआई के अलावा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तौर पर लिया जाता है।

जोर देते हुए अच्छे शासन के तीन स्तंभों- 'बगैर लाइसेंस तथा बगैर नियामकों के व्यापार करने की सरलता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचों में सक्रियता जैसे कि औद्योगिक गलियारे तथा रक्षा,निर्माण, और रेलवे में एफडीआई का होना' पर बात की। उन्होंने विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों सहित विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण, खनन, तेल और गैस, दवाओं, अक्षय ऊर्जा उद्योगों जैसे कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के गंतव्य के रूप में प्रकाश डाला है। यह पहल स्पष्ट रूप से भारतीय उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हितकारी प्रभाव में सरकार के दृढ़ विश्वास पर आधारित है।

राज्यों में एफडीआई के विभिन्न स्तर

वास्तव में, 2011 में, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 32 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जो लगभग

सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत के करीब है (अंकटाड, 2013)। संघीय स्तर पर भारत के मुख्य राजनेताओं, प्रधानमंत्री तथा वित मंत्री ने एफडीआई के क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सुधारों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार की ओर से मजबूत समर्थन मिलने के बावजूद राज्य स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में पर्याप्त विविधता दिखाई दे रही है। तालिका-1 भारत में राज्यों का चयन करने के लिए अप्रैल 2000 से जून 2014 के बीच का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्शाती है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत में प्रांतीय राज्यों के बीच पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और दिल्ली ने मजबूती से एफडीआई को आकर्षित किया है जो भारत में कुल एफडीआई का आधा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और आंध्रप्रदेश जैसे कई राज्यों ने मध्य रेंज के समूह का गठन किया है, जबकि अन्य कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को छोटे स्तर पर अपनाया है।

तालिका1: रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (अप्रैल 2000-जून 2014)

आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यलय	शामिल मुख्य राज्य (करोड़ रुपये में)	संचयी अंतर्वाह	प्रतिशत
मुंबई	महाराष्ट्र	320,281	30
नई दिल्ली	दिल्ली	214,820	20
चेन्नई	तमिलनाडु	69,161	6
बेंगलोर	कर्नाटक	62,431	6
अहमदाबाद	गुजरात	45,292	4
हैदराबाद्र	आंधप्रदेश	43,817	4
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	13,532	1
भुवनेश्वर	ओडिशा	1,962	0.2

स्रोत: 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर तथ्य पत्र' भारत सरकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।

एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्यों कुछ प्रांतीय राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने तथा बड़े पैमाने पर निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में अधिक सफल रहे जबकि अन्य ऐसा नहीं कर सके, भले ही नीति शासन लगातार संघ के स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ओर से समर्थन दिया गया हो?

यह दिलचस्प है कि ओडिशा जैसे कई राज्यों ने जो खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं वहां समाज से लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ कड़ा विरोध देखा गया है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के जगतसिंहपुर में दक्षिण कोरियाई उद्यम, को सामाजिक विरोध के खिलाफ भूमि सुरक्षित रखने के लिए मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा। विदेश अधिकार अधिनियम (एफआरए) की स्थिति की जांच में पर्यावरण तथा वन मंत्रलय (एमओईएफ) के अनुरोध पर पॉस्को परियोजना के लिए बिठाई गई कार्यकारी समिति के अनुसार, 2 ओडिशा सरकार ने भूमि अधिग्रहण से पूर्व स्थानीय ग्रामीणों से आम सहमति प्राप्त करने के लिए इस कदम की अवहेलना की (पिंगल, पांडे, और सुरेश, 2010-3-5)।

मद्रास हाइकोर्ट के एक न्यायाधीश जिन्होंने, जगतसिंहपुर में पोस्को परियोजना के खिलाफ सामाजिक विरोध की जांच प्रक्रिया का गहनता से पालन कर मजबूती से उजागर किया। इसी प्रकार, टाटा को भी पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नैनो कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सामाजिक विरोध के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। भले ही, टाटा एक घरेलू भारतीय निवेशक हो, पश्चिम बंगाल में भूमि सुरक्षित करने के लिए इसका संघर्ष पुनर्वास के मुद्दों से निपटने तथा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि मूल्य तय करने में राज्य सरकार की कमजोर क्षमता दर्शाई। (देखें चंद्रा, 2008)।

इस तरह से, समाज के विद्रोही समूहों और प्रभावी शासन के स्तर पर बातचीत में राज्य की क्षमता अलग होना एक पहेली है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में राज्यों के बीच बड़ा अंतर एफडीआई की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक परेशानियों तथा सामाजिक विपक्ष के साथ सौदा करने में राज्य की क्षमता दिखाता है। भले ही, भारत में कई राज्यों के नेताओं ने अपने राज्यों के लिए एफडीआई को आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धा की हों। राज्यों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संचय में इस तरह के असमान प्रदर्शन को राज्यों के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों पर विचार करके पता लगाए जाने की जरूरत है। ❑

संदर्भ

- **चंद्रा, निर्मल कुमार (2008):** इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 43, अंक 50 पृष्ठ 36-51, 'टाटा मोटर्स इन सिंगूर: ए स्टेप टुवर्ड्स इंडस्ट्रीयलाइजेज़न ऑर पोपराइजेज़न?'
- **फ्रेंक, आंद्रे गंडेर (1977):** इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 12, अंक 11, पृष्ठ 463-75, 'इमरजेंसी ऑफ परमानेंट इमरजेंसी इन इंडिया'
- **गांधी, राजीव (1988):** 19 अप्रैल को नेशनल कन्वेंस ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण
- **भारत सरकार (2014):** 'कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी', औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, http://dipp.nic.in/English/Policies/FDI_Circular_2014.pdf
- **क्रुएगर, एनी ओ, और टाकातोषी इटो (2000):** द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट इन ईस्ट एशियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिंकागो प्रेस
- **मेरन, थेडोर एच, (1988):** फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट: द न्यू पॉलिसी एजेंडा नॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। वाशिंगटन, डीसी : इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स
- **मुखर्जी, राहुल (2014):** ग्लोबलाइजेज़न एंड डीरेगुलेज़न: आइडियाज, इंट्रेस्ट्स, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज इन इंडिया, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- **मुखर्जी, राहुल (2014 इ):** ऑक्सफोर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शन: पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मस ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- **ओइसीडी (2013): आइसीडी फैक्टबुक 2013:** इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल स्टेटिस्टिक्स।
- **पिंगल, उर्मिला, देवेंद्र पांडे, एंड वी, सुरेश (2010)** 'मेजोरिटी रिपोर्ट ऑफ द पोस्को इंक्वायरी कमेटी, एग्जिक्यूटिव समरी' दिल्ली
- **शिन, शोजिन (2014):** 'एफडीआई इन इंडिया: आइडियाज, इंट्रस्ट्स, एंड इंस्टीट्यूनल चेंज्स', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 49, अंक-3, पृष्ठ 66-71
- **अंकटाड (2010):** 'रिजनल ट्रेंड्स: साउथ, ईस्ट एंड साउथ-ईस्ट एषिया' जेनेवा: अंकटाड
- **अंकटाड (2013): 'वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2013:** ग्लोबल वेल्यू चेन्स, इनवेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर डेवलपमेंट'। डब्ल्यूआईआर में। न्यूयॉर्क और जेनेवा: यूएन।

58 Years of excellence in Global Trading

Business Beyond Boundaries

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Tel.: 011-23313177 Fax: 011-23701123, 23701191

E-mail: co@stc.gov.in website: www.stc.gov.in

YH - 255/2014

घरेलू बचत को बढ़ावा जरूरी

भुवन भास्कर

घरेलू बचत दो स्रोतों से आती है। पहला, एक आम आदमी अपनी कमाई का जो हिस्सा बचत के तौर पर बैंकों में रखता है और दूसरा, सरकारी और निजी कंपनियां अपनी बचत का जो हिस्सा नकद के तौर पर बैंकों में रखती हैं। यही पैसा बैंक उद्योगों को कर्ज के तौर पर देते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज़ होती हैं। भारत में परिवार बचत का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं, उसके बाद निजी क्षेत्र का नंबर आता है और फिर बारी आती है सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की लेकिन 2008 की मंदी के बाद इन दोनों ही तरह के स्रोतों पर गहरा आघात लगा है

भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 1991 का वर्ष मील का पत्थर माना जाता है। इसी साल तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भरतीय अर्थतंत्र में आर्थिक उदारीकरण के अध्याय की शुरुआत की। भारत में उदारीकरण की शुरुआत घोर वित्तीय कुप्रबंधन के चलते पैदा हुई एक बेहद गंभीर आर्थिक दुर्घटना का नतीजा थी (देखें बॉक्स: मज़बूरी में हुई उदारीकरण की क्रांति)। यह शोध का विषय हो सकता है कि देश को तत्कालीन आर्थिक भंवर से निकालने के लिए और क्या विकल्प अपनाए जा सकते थे। अगर कोई और वित्त मंत्री होता या फिर स्वयं श्री सिंह को उदारीकरण के अलावा कोई और अन्य राह तलाशनी होती तो क्या रास्ते हो सकते थे।

एक हक़ीक़त यह भी है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उन शर्तों के तहत एक मज़बूरी थी, जो भारत को दिए गए कर्ज़ के बदले आयद की गई थी। शायद समाजवादी अर्थशास्त्रियों की किताब में उस मुश्किल हालात से निकलने के लिए कुछ और विकल्प मौजूद हों, लेकिन एक बात तो तय है कि भुगतान संतुलन के उन हालात से देश को निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की ज़रूरत थी। ये विदेशी मुद्रा दो तरह से आ सकती थी, या तो घरेलू स्रोतों से प्राप्त रुपये से विदेशी मुद्रा खरीदी जाती या फिर विदेशों से डॉलर लाया जाता। संकट की व्यापकता और समय की कमी को देखते हुए स्वाभाविक तौर पर सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और देश के उद्योग-धंधों को विदेशी निवेश के लिए खोलने की शुरुआत की। उस वक्त तक देश में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर या उद्योग था, जहां विदेशी कंपनियों को खुले तौर पर निवेश करने की अनुमति थी, लेकिन सरकार ने आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत कर विदेशी कंपनियों के निवेश को आसान बनाया और यहीं से शुरू हुआ देश में बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई। इसमें कोई शक् नहीं है कि उस समय की आर्थिक नीतियों ने देश को आर्थिक आपातकाल से उबारने में अहम भूमिका निभाई और उसी की बुनियाद पर तीन हफ्ते के आयात भर की 60 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा वाला फॉरेक्स रिज़र्व आज 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का भंडार बन गया है।

यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। देश का फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ना अपने आप में किसी आर्थिक नीति का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक बाई प्रोडक्ट है। आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है देश की अर्थव्यस्था में तेज़ी लाना, सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी करना, प्रति व्यक्ति आय में इज़ाफा करना और देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना। लेकिन जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और देश में आयात के लिए ज़रूरी विदेशी मुद्रा की तुलना में ज़्यादा विदेशी मुद्रा आने लगती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप बढ़ने लगता है। विदेशी मुद्रा के देश में आने के कई रास्ते हैं। इनमें प्रमुख हैं, एफडीआई, एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेश), विदेशी कर्ज (वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी जैसी संस्थाओं या फिर दूसरे देशों से) और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम (रेमिटेंस) और एक्सपोर्टर। जब इन स्रोतों से विदेशी मुद्रा (मुख्य रूप से

लेखक आर्थिक पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, इकनॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और एग्री कमोडिटी से जुड़े विषयो पर लिखते रहते हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

डॉलर) देश में आती है, तो यहां के बाजार में इस्तेमाल करने लायक रुपये हासिल करने के लिए उसे बेचा जाता है। आरबीआई और दूसरे बैंक डॉलर लेते हैं और बदले में रुपये देते हैं। अब जो डॉलर बैंकों और आरबीआई के पास जमा होता है, उसे वे रुपये के बदले आयातकों को देते हैं। बचे डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार में जमा होते जाते हैं। भारत की आर्थिक नीतियां 1991 के बाद से ही सैद्धांतिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा एफडीआई खींचने के लिहाज से तैयार होती रही हैं।

विदेशी निवेश में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की आर्थिक वृद्धि दर पर देखा जा सकता है। जीडीपी वृद्धि दर 1991-92 में 1.3 फीसदी थी जो उदारीकरण प्रक्रिया शुरू होने के तीन साल बाद 5.3 फीसदी पर पहुंच गई। सरकारी घाटा 1990-91 में 7.9 फीसदी था जो 4 साल में घटकर 6.7 फीसदी पर आ गया। अगस्त 1991 में 17 फीसदी के स्तर तक पहुंच चुकी महंगाई दर 1992-93 में 7 फीसदी और 1993-94 में 5.6 फीसदी पर पहुंच गई और व्यापार घाटा जो 1990.91 में 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, 1994-95 में गिरकर एक अरब डॉलर तक आ गया। साफ है कि उदारीकरण के कारण आई विदेशी पूंजी का असर अर्थव्यवस्था के अलग-अलग फलकों पर साफ दिखने लगा था। जब सरकार ने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने वाला ऐतिहासिक बजट पेश किया, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार एक अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुका था, जो कि अब करीब 315 अरब डॉलर के स्तर पर है।

इस दौरान अगर देश में एफडीआई पर नजर डालें, तो इसमें करीब 425 गुणा तक का उछाल देखने को मिलता है। जहां देश में 1990-91 में 409 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया, उसके 2011-12 तक 1.73 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है (स्रोत: आरबीआई)। यह स्थिति तब है जब लगातार भारत में मौजूद निवेश बाधाओं की चर्चा होती है। कारोबार करने की सुविधा के लिहाज से दुनिया के 189 देशों में भारत का नंबर 134वां है। इसके बावजूद भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला चीन के बाद दूसरा देश है। यह साबित करता है कि भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से कितनी विशाल संभावनाएं हैं। इन्ही संभावनाओं के लिहाज से प्रधानमंत्री ने भारत को व्यापार सुविधाओं के लिहाज से दुनिया के 50 शीर्ष देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के ''मेक इन इंडिया'' अभियान की सफलता भी बहुत हद तक उनके इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता पर ही निर्भर करेगी।

पिछला साल, विगत दो दशकों के सबसे बुरे वर्षों मे शामिल था, जब देश की जीडीपी वृद्धि दर 5 फीसदी से भी नीचे चली गई। हालांकि इस साल इसके वापस 5.5 फीसदी के इर्द-गिर्द रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा सरकारी नीतियां विदेशी निवेश को कितना आकर्षित कर पाती हैं।

साल 2008 में लेमैन ब्रदर्स के पतन के बाद जिस तरह पूरी दुनिया के अर्थतंत्र पर मंदी का दीमक लगा, उससे भारत में विदेशी निवेश को भी धक्का लगा। वर्ष 2008-09 में 22.697 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था, जो 2009-10 में लगभग स्थिर 22.461 अरब डॉलर रहा लेकिन उसके अगले साल इसमें जबर्दस्त गिरावट आई और यह करीब 15 अरब डॉलर पर फिसल गया। यह एक बार फिर 2011-12 में 23 अरब डॉलर पर पहुंचा लेकिन उसके अगले साल यानी 2012-13 में इसके वापस 18.25 अरब डॉलर तक सिमटने का अनुमान है। ऐसे में यह चिंता जायज़ है कि देश की आर्थिक रफ्तार वापस दहाई अंकों में कैसे लौटेगी। पिछला साल, विगत दो दशकों के सबसे बुरे वर्षों मे शामिल था, जब देश की जीडीपी वृद्धि दर 5 फीसदी से भी नीचे चली गई। हालांकि इस साल इसके वापस 5.5 फीसदी के इर्द-गिर्द रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा सरकारी नीतियां विदेशी निवेश को कितना आकर्षित कर पाती हैं।

हालांकि पिछले 20 वर्षों के आंकड़े एफडीआई और जीडीपी के बीच किसी सीधे संबंध को पूरी तरह पुष्ट नहीं करते हैं। 1998-99 में एफडीआई पिछले साल के मुकाबले करीब 8 फीसदी कम हुआ, लेकिन इस दौरान जीडीपी में 1997-98 के 4.30 फीसदी के मुकाबले 6.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह 2000-01 में एफडीआई तो पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी से ज्यादा बढ़ा, लेकिन जीडीपी ग्रोथ जो 1999-2000 में 6.44 फीसदी बढ़ी थी, उसकी रफ्तार 2000-01 में घटकर 4.35 फीसदी रह गई। हालांकि अगर लंबी अवधि के पैटर्न और आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, तो एफडीआई और जीडीपी के सापेक्षिक संबंध को आराम से निर्धारित किया

एफडीआई बनाम एफआईआई

देश में विदेशी निवेश की चर्चा जब भी होती है, तो उसमें एफआईआई का नाम सबसे ऊपर आता है। एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेश) वह निवेश होता है, जो शेयर बाजार के जरिए कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने में किया जाता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 1992-93 से 30 अप्रैल 2014 तक भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई ने कुल 7.17 लाख करोड़ रुपये निवेश किए हैं, जबकि डेट फंडों में इनका निवेश 1.31 लाख करोड़ है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान में एफआईआई की भारी अहमियत होने के बावजूद इन्हें एफडीआई के मुकाबले कमतर दर्जे का निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशक की कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी भी बुरे समय में यह निवेश रातोंरात देश से बाहर जा सकता है और देश के अर्थतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। इसलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। दूसरी ओर एफडीआई वह निवेश होता है जो विदेशी कंपनियां या देश घरेलू उद्योगों के इंफ्रास्ट्रक्चर में करती हैं। इससे एक ओर जहां दीर्घकालिक पूंजी निर्माण (लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन) होता है, वहीं उच्च तकनीक भी आती है। साथ ही, एफडीआई के रातोंरात उड़न-छू होने का जोखिम भी नहीं रहता। तकनीकी रूप से किसी घरेलू कंपनी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा 10 फीसदी से ज्यादा निवेश किए जाने को एफडीआई की श्रेणी में रखा जाता है।

मज़बूरी में हुई उदारीकरण की क्रांति

अस्सी के दशक के मध्य से भारत का भुगतान संतुलन लगातार बिगड़ने से दशक के आखिर तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक कम हो गया। जून 1991 तक देश में केवल 60 करोड़ डॉलर का फॉरेक्स रिज़र्व बचा था, जिससे भारत केवल तीन हफ्तों तक ही आयातित वस्तुओं का भुगतान कर सकता था। एक तरह से देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे में अपनी अंतर्राष्ट्रीय देनदारी पर डिफॉल्ट से बचने के लिए भारत को तुरंत मदद की दरकार थी। आईएमएफ ने डिफॉल्ट से बचने के लिए जरूरी रकम देने के बदले भारत से 67 टन सोना गिरवी रखने की मांग की। भारत ने बैंक ऑफ इंगलैंड के पास 47 टन और यूनियन बैंक ऑफ स्विटजरलैंड के पास 20 टन सोना गिरवी रखा। इससे देश को 60 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद चंद्रशेखर सरकार गिर गई और आम चुनाव हुए जिसमें नरसिंह राव की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के लिए हफ्ते भर में नरसिंह राव ने देश को संबोधित किया और उसमें आर्थिक सुधारों की शुरुआत के संकेत दे दिए।

जा सकता है। ''*एफडीआई और जीडीपी के आपसी संबंध को समझने में जीडीपी पर एफडीआई का असर: भारत और चीन का तुलनात्मक अध्ययन*'' नाम से अग्रवाल और खान द्वारा अध्ययन काफी रोचक है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एफडीआई में 1 फीसदी बढ़ोतरी से चीन की जीडीपी 0.07 फीसदी बढ़ती है, जबकि भारत में यह वृद्धि 0.02 फीसदी होती है। साफ है कि विदेशी निवेश का भारत की जीडीपी पर चीन के मुकाबले कम असर होता है। ऐसा इसलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू उपभोग पर आधारित है, जिसमें कृषि का अहम योगदान है। एक अन्य शोध आलेख ''*क्या भारत को और बहुत ज्यादा एफडीआई की ज़रूरत है*'' में बालासुब्रह्मण्यम और सैप्सफोर्ड का निष्कर्ष है कि भारत को एफडीआई में मौजूदा स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का ढांचा और इनका समायोजन कुछ इस तरह है कि देश अपनी पूंजी ज़रूरतों के लिए अन्य स्रोतों पर भी निर्भर रह सकता है।

इन अन्य स्रोतों में सबसे अहम है घरेलू बचत। घरेलू बचत दो स्रोतों से आती है। पहला, एक आम आदमी अपनी कमाई का जो हिस्सा बचत के तौर पर बैंकों में रखता है और दूसरा, सरकारी और निजी कंपनियां अपनी बचत का जो हिस्सा नकद के तौर पर बैंकों में रखती हैं। यही पैसा बैंक उद्योगों को कर्ज के तौर पर देते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज़ होती हैं। भारत में परिवार बचत का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं, उसके बाद निजी क्षेत्र का नंबर आता है और फिर बारी आती है सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की लेकिन 2008 की मंदी के बाद इन दोनों ही तरह के स्रोतों पर गहरा आघात लगा है। घरेलू बचत दर 2008 में जीडीपी का 38.1 फीसदी थी जो 2011-12 में 31.3 फीसदी और लगातार चौथे साल गिरकर 2012-13 में 30.1 फीसदी पर आ गई है। यह 9 वर्षों में सबसे कम बचत दर है। अगर इस गिरावट को अलग-अलग देखा जाए तो 2011-12 में हाउसहोल्ड सेविंग्स (यानी परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत) 22.8 फीसदी थी जो 2012-13 में करीब एक फीसदी घटकर 21.9 फीसदी रह गई। इस दौरान निजी क्षेत्र की बचत दर 7.3 फीसदी से कम होकर 7.1 फीसदी पर आ गई जबकि सरकारी क्षेत्र की बचत दर 1.2 फीसदी पर स्थिर रही। हालांकि पिछले 9 वर्षों मे अगर देखें तो सरकारी क्षेत्र की बचत दर 2004-05 के 2.3 फीसदी से आधी होकर 1.2 फीसदी रह गई है। यह बचत दर देश की आर्थिक शक्ति के लिए कितनी अहम है इसे केवल इस तथ्य भर से समझा जा सकता है कि जिस एफडीआई पर सरकारों और उद्योग जगत का इतना ज़ोर होता है, वह आज भी जीडीपी के 2 फीसदी से कुछ ही ज्यादा है। घरेलू बचत में कमी तो एक पक्ष है, लेकिन इसका एक और पक्ष भी चिंताजनक है। आंकड़े दिखाते हैं कि परिवार बचत के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटस की बजाए फिजिकल इंस्ट्रूमेंटस (रियल एस्टेट और सोना) पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। फाइनेंशियल और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश का अंतर 13 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंटस पर किया गया निवेश आर्थिक तंत्र से बाहर चला जाता है और इस तरह आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में उसका योगदान नहीं रह जाता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक है। सोने में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें कस्टम ड्यूटी को कई चरणों में बढ़ाना और 80:20 का नियम सख्ती से लागू करना शामिल हैं। इन कदमों के सकारात्मक नतीजे भी दिखे हैं, लेकिन ताजा आंकड़े एक बार फिर सोने की खरीदारी में इज़ाफ़ा होने के संकेत दे रहे हैं। अक्टूबर में देश में 4.18 अरब डॉलर के सोने का आयात हुआ जो कि पिछले साल अक्टूबर की तुलना में लगभग 4 गुना है। इस लेख के प्रिंट में जाने तक ऐसे तमाम संकेत मिल रहे हैं कि सरकार एक बार फिर सोने के आयात पर नकेल कसने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठा सकती है। जीडीपी वृद्धि दर को एक बार फिर दहाई अंकों में ले जाने के लिए घरेलू बचत दर को वापस पहले के स्तरों पर ले जाने के लिए गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। ❑

आंकड़े दिखाते हैं कि परिवार बचत के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बजाए फिजिकल इंस्ट्रूमेंटस (रियल एस्टेट और सोना) पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। फाइनेंशियल और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश का अंतर 13 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंटस पर किया गया निवेश आर्थिक तंत्र से बाहर चला जाता है और इस तरह आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में उसका योगदान नहीं रह जाता है।

संदर्भ

- **अग्रवाल, गौरव एवं खान, आमिर (2011)** इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनस मैनेजमेंट, www.ccsnet.org/ijbm
- **बालासुब्रहमण्यम, वीएन तथा सैप्सफोर्ड, डेविड,** इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 42, अंक 17, अप्रैल 2007

ACCESS PUBLISHING INDIA PVT. LTD.

www.accesspublishing.in

AFFORDABLE & UPDATED!

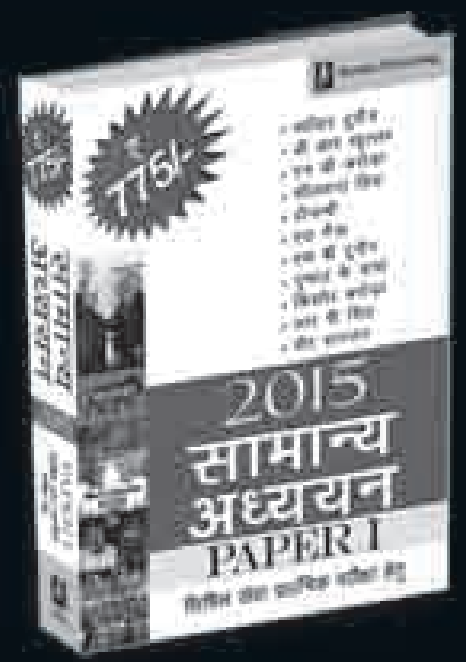

Teaching Experience of Most Authors
20 to 40 YEARS

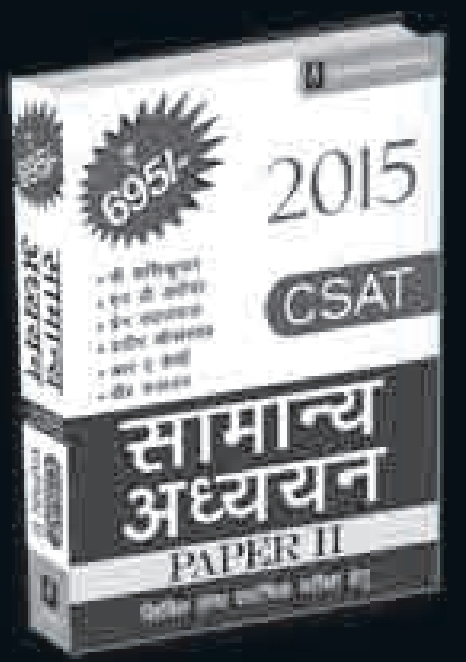

अन्य उपयोगी पुस्तकें

Price: ₹ 450/-

Price: ₹ 395/-

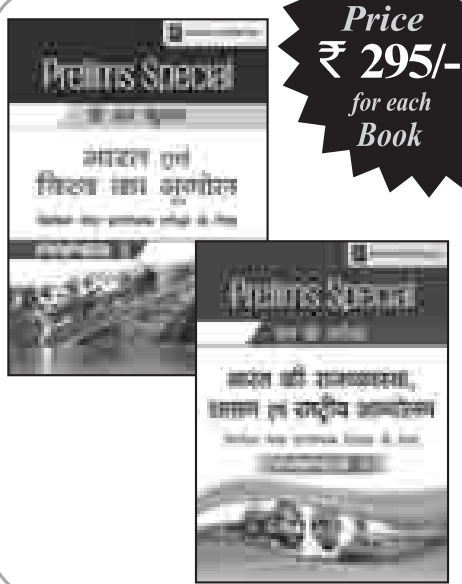

Price ₹ 295/- *for each Book*

Address: 14/6, Ground Floor (Backside), Shakti Nagar, Delhi - 110 007
Email: info@accesspublishing.in, Ph.: 011-23843715, Mob.: 9810312114

YH - 254/2014

प्रगति प्रतीकों की हकीकत

रहीस सिंह

विदेशी निवेश बढ़ने से घरेलू पूंजी की बहुराष्ट्रीय पूंजी के साथ प्रतियोगिता (सही अर्थों में प्रतिस्पर्धा) आरम्भ हो जाती है। बहुराष्ट्रीय पूंजी के आने से उत्पादन बढ़ता है और घरेलू मांग में भी वृद्धि हो जाती है जिससे अल्पावधिक ट्रेंड में विकास दर में कुछ तेजी आ जाती है। लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव यह होता है कि अर्थव्यवस्था आयात आधारित होने लगती है जिससे वह आत्मनिर्भरता की सीमा से बाहर चली जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह विशेषता देखी भी जा सकती है

आजकल बहुत शोरगुल है कि ''देश बड़ा समृद्ध हो रहा है। अभी तक हमारा देश बरबादी की तरफ जा रहा था, अब अंग्रेजों द्वारा दिये शासन कौशल से हम सभ्य हो रहे हैं। हमारे देश का बड़ा कल्याण हो रहा है। क्या तुम इस कल्याण को नहीं देख पा रहे हो? ये देखो लौह-कवच, लौह-तुरग, करोड़ों उच्चैःश्रवाओं की ताकत से भी ज्यादा तेजी से एक महीने का रास्ता एक दिन में पार करा रहा है। ये देखो, अग्निमयी नौकाएँ हंसों की तरह क्रीड़ा करती हुई .... वाणिज्य का माल बहा चला जा रहा है। .... गैस के प्रभाव से करोड़ों चंद्रमाओं जितनी रोशनी हो रही है.... कारपेट, कोट, झाड़-फानूस, मारवेल, अलबास्टर, क्या-क्या कहूँ? देश का बड़ा कल्याण हो रहा है। तुम लोग इस कल्याण के लिए एक बार जय बोलो।''

'बंग दर्शन' में बंकिम चंद्र चटर्जी के उक्त विचार भारत में ब्रिटिश विजय को संस्थापित करने वाली उन आवाजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में थे जो ब्रिटिश विजय को 'भारत में आधुनिक युग की शुरूआत' का पर्याय मान रही थीं। वर्तमान समय में भी ऐसी तमाम आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो देश में आने वाली विदेशी पूंजी को राष्ट्र के विकास का पर्याय मान रही हैं। इसलिए उनकी समग्र अर्थशास्त्रीय ऊर्जा सिर्फ उन प्रयासों में खर्च होती है कि विदेशी पूंजी के अंतर्वाहों (इनफ्लो) की रफ्तार को बढ़ाने में सहयोगी हो सकती हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) देश के विकास को आदर्श स्थिति तक ले जा सकता है? क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुंह ताकने की बजाय देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? कहीं यह तरीका कुछ हद तक राजनीतिक तंत्र एवं शासन की अक्षमता को छुपाने का एक तरीका तो नहीं है जिसने सुशासन (गवर्नेंस) को न्यून कर उत्पादकता को घटाया और अकर्मण्यता व निराशावाद को जन्म दिया है? सामान्यतौर पर कुछ अर्थशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि तंत्र में निष्क्रियता की गहरी पैठ के कारण ही यह नौबत आयी कि विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) उपाय अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सहारे आगे सरकना पड़ रहा है। देखते ही देखते इस मानसिकता की पैठ इतनी गहरी हो गयी कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अकेले ही पूर्ण विकास करने में समर्थ हो, इसलिए यह मान लिया गया कि विकास के लिए विदेशी सहायता अपरिहार्य है। लेकिन यह व्यवस्था आर्थिक स्वाबलम्बन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी?

आधुनिक तकनीक के बहाने शुरू हुई एफडीआई की वकालत अब इस मुकाम तक पहुंच गयी है कि विकास का एक मात्र रास्ता एफडीआई के दरवाजे से होकर जाता है। यही नहीं अंकटाड और कुछ अन्य संस्थाएं इससे जुड़ी प्रतिस्पर्धा की बाकायदे प्रतिवर्ष सूची भी जारी करती हैं (देखें तालिका 1)। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता प्रत्येक विकासशील अर्थव्यवस्था को रहती है। इसका कारण यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होने ऐतिहासिक-सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंडर्सले डार्लिंग प्रकाशन ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रेंचाइजी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य पुस्तक ''नयी विश्व व्यवस्था में भारत'' प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

तालिका 1: विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति

स्थान	देश	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	
		2012	2013
1	अमेरिका	161	188
2	चीन	121	124
3	रूस	51	79
4	हांगकांग	75	77
5	ब्राजील	65	64
6	सिंगापुर	61	64
7	कनाडा	43	42
8	आस्ट्रेलिया	56	50
9	स्पेन	26	39
10	मैक्सिको	18	38
11	ब्रिटेन	46	37
12	आयरलैण्ड	38	36
13	लग्जमबर्ग	10	30
14	भारत	24	28
15	जर्मनी	13	27

स्रोत: वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2014; अंकटाड

केवल वित्तीय संसाधनों की कमी से ही जूझती नहीं रहती हैं बल्कि उनमें उत्तम तकनीक और कुशल प्रबंधन का अभाव भी होता है। तात्पर्य यह हुआ कि विकासशील देशों को केवल पूंजी के अंतर्वाहों (इनफ्लो) की ही जरूरत नहीं है बल्कि नयी तकनीक और कुशल प्रबंधन को आयात करने की भी आवश्यकता है। इस स्थिति को देखते हुए अंतत: यह मान्यता विकसित कर ली गयी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने के बाद विदेशी तकनीक और प्रबंधन की भी व्यवस्था हो जाएगी।

यही नहीं इसके साथ ही देशी कम्पनियों और बाजारों का वैश्विक सम्पर्क बढ़ेगा जिससे एक तो हमारे उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक सुनिश्चित हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी बनने का अवसर उपलब्ध हो जाएगा। इस निष्कर्ष के पक्ष में आज भी बहुत से तर्क हैं और उन्हें पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस व्यवस्था को लाने और उसे संस्थापित करने में पूंजीवादी दुनिया और उसके लिए काम करने वाली संस्थाओं की असल भूमिका क्या रही? इसके साथ ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की भी आवश्यकता होगी कि आखिर पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया ने इस व्यवस्था को अपनाने के लिए विकासशील दुनिया को एक प्रकार से बाध्य क्यों किया? क्या पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया का इसके पीछे एक मात्र पवित्रतम उद्देश्य यही था कि इसके जरिए विकासशील दुनिया को भी समृद्ध बनने का अवसर उपलब्ध कराया जाए? क्या वास्तव में मेजबान देश विदेशी अंतर्वाहों (इनफ्लो) का चरित्र और उद्देश्य जानते हैं? क्या इस बात पर गम्भीरता से विचार किया गया है कि विकासशील देशों की विकास दर मंद पड़ते ही विदेशी पूंजी के अंतर्वाहों में न केवल कमी आ जाती है बल्कि विदेशी निवेशों के बहाव की दिशा बदल क्यों जाती है?

किसी भी देश के विकास के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता बिना विदेशी निवेश के आर्थिक विकास का है। इसमें विकास की दर तो धीमी रहती है लेकिन उसमें टिकाऊपन अधिक होता है। दूसरा रास्ता विदेशी पूंजी के सहयोग से विकास है जिसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र रहती है लेकिन उसमें उतार-चढ़ाव या अनिश्चिता की संभावनाएं भी रहती हैं। खतरा इस बात का भी रहता है कि अंतिम परिणाम देश के अनुकूल साबित न हों। प्रसिद्ध विद्वान भरत झुनझुनवाला की पुस्तक 'भारतीय अर्थव्यवस्था' से गुजरते हुए पता चलता है कि दरअसल विदेशी निवेश घरेलू पूंजी बाजार में कुल पूंजी की उपलब्धता को बढ़ा देता है जिससे मेजबान देश के समक्ष पूंजी की समस्या नहीं रह जाती। इससे विकास की दर तेज होने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन क्या इस तथ्य को दरकिनार किया जा सकता है कि बढ़ती पूंजी पर ह्रास का नियम (लॉ ऑफ डिमनिसिंग रिटर्न) लागू हो जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि पूंजी की उपलब्धता के अनुपात में अर्थव्यवस्था को मिलने वाली लाभांश की दर भी घटती है। यानी बढ़ती हुयी पूंजी अंतत: घटते हुए प्रतिफल के रूप में सामने आएगी। ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश घटेगा जिसका दीर्घकाल में घरेलू अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यदि निवेशक अपनी पूंजी लाभांशों का पुनर्निवेश मेजबान देश में न करके वापस ले गये या ले जाते रहे तो दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था की लाभांश दर गिर जाएगी और अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहेगा।

आखिर पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया ने इस व्यवस्था को अपनाने के लिए विकासशील दुनिया को एक प्रकार से बाध्य क्यों किया? क्या पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया का इसके पीछे एक मात्र पवित्रतम उद्देश्य यही था कि इसके जरिए विकासशील दुनिया को भी समृद्ध बनने का अवसर उपलब्ध कराया जाए?

आखिर विदेशी पूंजी लगाने वाले देशों की इस व्यवस्था को स्थापित करने के पीछे मंशा क्या थी? अगर इस व्यवस्था का आधार पूंजीवादी देशों ने तैयार किया है तो स्वाभाविक तौर पर इसमें उनके अपने लाभ या कुछ गौण उद्देश्य भी निहित होंगे। दरअसल इसकी पूर्वपीठिका वाशिंगटन आमराय (वाशिंगटन कंसेंसस) द्वारा तैयार की गयी थी। इसके तहत पहले अमेरिका में विदेशी पूंजी, मुक्त बाजार, निजीकरण और सरकारी आर्थिक भूमिका में भारी कटौती ....जैसी नीतियों का समावेश करने सम्बंधी पहल की गयी। बाद में इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम; सैप) का नाम दिया गया और फिर इसके दायरे में शेष दुनिया को लाने की कोशिश की गयी। इसके तहत तीसरी दुनिया के बाजारों में घुसने के लिए विदेशी पूंजी हितैशी नीतियों को प्रोत्साहन दिए गये (जिनमें दबाव की गौण विशेषताएं भी निहित थीं) और आर्थिक संवृद्धि (आर्थिक ग्रोथ) को आर्थिक विकास का विकल्प (दोनों में मुख्यरूप से सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही धरातल पर बुनियादी फर्क होता है क्योंकि संवृद्धि या ग्रोथ रेखीय विकास को मापती है जिसमें आय की वृद्धि केन्द्र में रहती है जबकि विकास बहुआयामी है जिसमें आय में वृद्धि के साथ-साथ अन्य विषय, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता, आदि भी शामिल होते हैं) बनाकर यह तय कर दिया गया कि इसके लिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण अनिवार्य है। विदेशी पूंजी का प्रवाह इन्हीं तीनों चरों के सहारे सरकना शुरू हुआ और आज तक वही स्थिति बरकरार है। पूंजीवादी दुनिया अपने इस उद्देश्य में सफल इसलिए हो गयी क्योंकि उसी समय सोवियत साम्यवाद का पतन हुआ जिससे सोवियत अथवा राज्य की अपरिमित ताकत पर आधारित पार्टी नियंत्रित साम्यवाद के रूप में राजकीय पूंजीवाद 75 साल की कवायद के बाद एकबारगी समाप्त हो गया था।

फुकुयामा जैसे विद्वानों ने इस घटना को 'इतिहास का अंत' कहकर यह सुनिश्चित कर दिया कि दुनिया के सामने अब केवल एक ही रास्ता है कि वे पूंजीवादी दुनिया द्वारा निर्मित

रास्ते को ही अपनी नियति बना लें। यही वह काल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था भी संकट का सामना कर रही थी, इसलिए 1990 के दशक में भारत ने भी तथाकथित मुक्त द्वार की नीति को नियति मानकर अपना लिया लेकिन क्या कभी यह विचार किया गया कि 1980 के दशक के अंत में भारत में जो वृहद आर्थिक संकट (मैक्रोइकोनॉमिक क्राइसिस) आया था वह वास्तव में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की असफलता का परिणाम था अथवा सरकार की नाकामी का? अगर यह सरकार की असफलता का परिणाम था तो फिर अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्यों बदल गया? दूसरी बात यह कि संकट के बाहरी सतह तक आ जाने तक सरकारें उसे जान क्यों नहीं पायीं? तीसरी यह कि मूल मुद्दे तो सरकारी बजट घाटा और मुद्रास्फीति सम्बंधी थे, जिन्हें 'सरकार की अक्षमता' का परिणाम ही माना जाना चाहिए था, फिर सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए मुक्त द्वार, उदारवाद व निजीकरण का रास्ता क्यों चुना?

विदेशी पूंजी की प्रकृति सुनिश्चित करते समय उन लोगों के चरित्र को पहचाने की जरूरत है जिन्हें मैथ्यू जोसेफसन 'रॉबर बैरंस' की संज्ञा देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक *'द रॉबर बैरंस' में 'द ग्रेट अमेरिकन कैपिटलिस्ट्स: 1861-1901'* उपशीर्षक के अंतर्गत अमेरिका के परिवर्तन का इतिहास लिखते समय बैरंस का उल्लेख किया है जो जुझारू थे और संकट काल में एकजुट होना जानते थे। इनका प्रभाव जमीन, उद्योग और कारोबार से लेकर सीनेट तक था। इन्हीं लोगों ने अमेरिका में औद्योगिक क्रांति लाने में एक अहम भूमिका निभायी। इनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक पैसे बटोरना था इसलिए धीरे-धीरे यह बहुतों को लूटकर प्रगति के प्रतीक बन गये। कार्ल मार्क्स इन्हें 'प्रगति के एजेंट' नाम देते है। इनकी भूख जब अदम्य हुयी तो इन्होंने देश के बाहर के प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपने अनुलाभों के साथ जोड़ने की युक्ति अपनानी शुरू कर दी। निवेशों के रूप में तीसरी दुनिया के देशों की ओर पूंजी का प्रवाह इसी युक्ति का ही एक हिस्सा था और आज भी है। आज प्रगति के ये एजेंट (रॉबर बैरंस) प्रत्येक पूंजीवादी या चीन जैसे विशिष्ट समाजवादी देशों में भी संस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में यह विचार करना जरूरी हो जाता है कि यदि रॉबर बैरंस अपनी पूंजी किसी भी दूसरे देश तक ले जाते है। तो वे मेजबान देश की कैसी तस्वीर बनाएंगे?

इस तरह से आ रहे विदेशी निवेश के पीछे एक कार्य-कारण सम्बंध और भी है, जिसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। प्रथमतया, किसी भी देश में अधिक विदेशी पूंजी आने से विदेशी मुद्रा का प्रवाह घरेलू बाजार में बढ़ जाता है। इससे घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ती है जिसके कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य चढ़ने लगता है। इससे मेजबान देश के निर्यात प्रभावित होते हैं और आयात प्रोत्साहित। यह व्यवस्था यदि लम्बे समय तक बनी रहे तो मेजबान अर्थव्यवस्था का आयात आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कई बार कई रिपोर्टों में ऐसा देखा गया है कि अमेरिका जैसे देश का निर्यात जब गिरने लगता है तो वह जानबूझकर डॉलर का प्रवाह भारत जैसे देशों की ओर बढ़ा देता है। इसका परिणाम यह होता है कि

विदेशी पूंजी की प्रकृति सुनिश्चित करते समय उन लोगों के चरित्र को पहचाने जाने की जरूरत है जिन्हें मैथ्यू जोसेफसन 'रॉबर बैरंस' की संज्ञा देते हैं। कार्ल मार्क्स इन्हें 'प्रगति के एजेंट' नाम देते हैं। इनकी भूख जब अदम्य हुयी तो इन्होंने देश के बाहर के प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपने अनुलाभों के साथ जोड़ने की युक्ति अपनानी शुरू कर दी।

घरेलू मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले चढ़ जाता है जिससे आयातों को प्रोत्साहन मिल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशों के रूप में डॉलर भेजकर अमेरिका जैसा देश भारतीय बाजार में अपने उत्पादों की मांग के लिए स्थान निर्मित करता है।

द्वितीय, विदेशी निवेश बढ़ने से घरेलू पूंजी की बहुराष्ट्रीय पूंजी के साथ प्रतियोगिता (सही अर्थों में प्रतिस्पर्धा) आरम्भ हो जाती है। बहुराष्ट्रीय पूंजी के आने से उत्पादन बढ़ता है और घरेलू मांग में भी वृद्धि हो जाती है जिससे अल्पावधिक ट्रेंड में विकास दर में कुछ तेजी आ जाती हैं। लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव यह होता है कि अर्थव्यवस्था आयात आधारित होने लगती है जिससे वह आत्मनिर्भरता की सीमा से बाहर चली जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह विशेषता देखी भी जा सकती है।

तृतीय, चूंकि पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि घरेलू पूंजी के लाभांशों की दर गिराती रहती है इसलिए पुनर्निवेश में कमी होने लगती है जिसका प्रभाव आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। आर्थिक विकास दर गिरते ही बहुराष्ट्रीय पूंजी के लिए लाभ की संभावनाएं कम होने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूंजी अंतर्वाह (इनफ्लो) घटने लगता हैं जिससे घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है और घरेलू मुद्रा सस्ती। स्थितियां बदलते ही अर्थव्यवस्था में आयातों के भुगतान के लिए डॉलरों की कमी होने लगती है और साथ ही डॉलर के महंगे हो जाने से आयात महंगे होने लगते हैं जो न केवल बाजार बल्कि मेजबान देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें पूंजीवादी देशों की इस प्रकार की नीतियों के कारण मेजबान देश के घरेलू उद्योग व घरेलू पूंजी प्रतिष्ठान कमजोर होते हैं जबकि इससे प्राप्त अनुलाभों से पूंजीवादी देशों के उद्योग व पूंजी प्रतिष्ठान और समर्थ। अगर इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे 19वीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में ब्रिटिश उद्यमियों व पूंजीपतियों ने भारत में इसी तरह से लघु कुटीर उद्योगों का विनाश किया था।

पिछले कुछ वर्षो में भारत की तरफ आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निगाह डालें तो पता चलेगा कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक कुल 324 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे अधिक एफडीआई मॉरिशस जैसे देश से आया। सवाल यह उठता है कि आखिर गोवा के बराबर क्षेत्रफल वाले एक छोटे देश के पास इतना धन कहां से आ गया कि भारत में होने वाले कुल निवेश का 36 प्रतिशत निवेश इस छोटे से देश से आया है? इसका एक पक्ष यह है कि विदेशों में जमा काला धन इसी रास्ते से वापस भारत लाया गया। यानी भारत का काला धन देश से बाहर स्थिति टैक्स हैवेंस, जिनमें से एक मॉरिशस भी है, में जाता है और वहां से वह निवेशों के रूप में भारत आता है। कुछ समय बाद यह निवेश लाभांशों के साथ पुन: मॉरिशस लौट जाता है। इस तरह से यह कुचक्र जारी रहता है।

बहरहाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इस बात के भी साक्ष्य हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पूंजी के आने से देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं लेकिन ये एडम स्मिथ के 'अदृश्य हाथ' हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत भी है। कुल मिलाकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के ये शब्द आज फिर सोचने को विवश कर रहे हैं कि ''हम सब कुछ एक बड़ी दुकान से खरीद रहे हैं, जो देश भाग्यशाली हैं वे सदैव स्वदेश को देश के इतिहास में ही खोजते और पाते हैं, हमारे मामले में इसका उलटा है..।'' ❑

क्या आप जानते हैं?

मुक्त व्यापार समझौता

मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता है जिसे दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को अधिक आसान, अधिक सुलभ तथा और कुशल बनाने के लिए कुछ नियमों के तहत किया जाता है। यह निर्यातकों तथा निवेशकों द्वारा दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा देने तथा व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधाओं को कम करने एवं मौजूदा पहुंच बनाए रखने की सुनिश्चितता से संबंधित है।

मुक्त व्यापार समझौता दो प्रकार का होता है-द्विपक्षीय (दो देशों के बीच) तथा बहुपक्षीय (अनेक देशों के बीच) इसके पक्षकार अधिकतर वस्तुओं (यदि सभी न हों) पर से शुल्क, कोटा और वरीयताओं को समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं।

ये देश अन्य देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का चयन करते हैं जो एक पूरक आर्थिक ढांचा होता है तथा ये ऐसे देश होते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में नहीं होते।

मुक्त व्यापार समझौते सामान्यत: वस्तुओं के व्यापार (जैसे कृषि तथा औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं के व्यापार (जैसे बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) से संबंधित होते हैं। इसके अलावा एफटीए के तहत अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे बौद्धिक संपदा के अधिकार (आइपीआर), निवेश, सरकारी खरीद तथा प्रतिस्पर्धा नीति आदि। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अन्य नामों से भी जाना जा सकता है जैसे बंद आर्थिक भागीदारी (सीईपी) या कूटनीतिया आर्थिक भागीदारी (एसईपी) जिसे अलग-अलग देशों ने अपनी भाषा के अनुरुप तय किया है।

इसके सदस्य देश नियमों और विनियमों के तहत एक सुरक्षित व्यापार संबंध स्थापित करते हैं। उनके नियामक तथा अधिकारी अपने निकट सहयोग के माध्यम से निवेशकों और व्यवसायों का ध्यान बाजार की ओर आकर्षित कराने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

हाल ही में, भारत ने भी लंबे समय से लंबित रहे दस सदस्यीयो दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के साथ सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता इन दस सदस्य देशों में शामिल इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड के पेशेवरों की राह को आसान बनाएगा तथा निवेश को भी बढ़ाएगा। ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार (बर्मा) और वियतनाम सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तथा पेशेवर क्षेत्रों जैसे पहचान बनाने, बाजार तक पहुंच, राष्ट्रीय प्रबंध, सेवाओं पर संयुक्त समिति, समीक्षा, विवादों का निपटान तथा लाभों से मनाही और घरेलू नियमों से आगे बढ़ेंगे। ❑

ई-बीमा खाता

ईआईए का अर्थ ई-बीमा खाता या इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता है। ई-बीमा खाते की अवधारणा का उद्देश्य इसकी नीति के तहत बीमा योजना खाता धारकों के प्रमाणपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रक्षा करना है। यह इंटरनेट के ज़रिए मात्र एक क्लिक से इसके बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी की निवेश सूची तक पहुंचने की सुविधा देता है। प्रत्येक ई-बीमा खाते का अपना एक अलग नंबर होता है और प्रत्येक खाता धारक की अपनी एक अलग आईडी तथा पासवर्ड होता है जिससे कि वे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसियों तक पहुंच सकें।

कोई भी खाताधारक या पॉलिसीधारक 'ई-बीमा खाता फार्म' भरकर तथा जरूरी दस्तावेज़ों जैसे फोटो आईडी, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, रद्द किया हुआ चेक एवं निवास स्थान का प्रमाण आदि को बीमा रिपॉजिटरी या बीमा कंपनी अथवा बीमा रिपॉजिटरी द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति के पास जमा करके नया ई-बीमा खाता खोला जा सकता है।

आईआरडीए द्वारा 'इंश्योरेंस रिपॉजिटरी एक्ट' के तहत अब तक पांच संस्थाओं को ई-बीमा खातों को खोलने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया है जिनके नाम हैं, 1. एनएसडीएल डाटाबेस प्रबंधन लिमिटेड, 2. केंद्रीय बीमा रिपॉजिटरी लिमिटेड, 3. एसचसीआईएल प्रोजेक्टस लिमिटेड, 4. कार्वी बीमा रिपॉजिटरी लिमिटेड, 5. सीएएमएस रिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड।

ई-बीमा खाते को सही तरीके से फार्म भरने के सात दिनों के भीतर खोला जा सकता है। खाता खुलने के बाद ई-बीमा खाता धारक को एक स्वागत किट भेजी जाती है जिसमें इस नए खाते के प्रयोग से संबंधित विवरण होता है।

ई-बीमा खाता, ईलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियां होने के कई लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, नया खाता खोलने के लिए किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह मुफ्त है। इसमें न कोई नुकसान, क्षति या जोखिम है और न ही कोई विकृति वहीं, दस्तावेज़ों में ऐसी संभावना होती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियां खाते तक जब और जहां चाहें एक सुरक्षित निगरानी तथा आसान पहुंच बनाती हैं। ई-बीमा खाते में कभी भी लॉगिन करने के बाद आसानी से पॉलिसी को डाउनलोड भी किया जा सकता है।

जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य, सामान्य तथा वार्षिक पॉलिसियों को (जिन्हें इरडा के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया गया है) इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक ही जगह ई-बीमा खाते में लाया गया है जिसका अर्थ है कि सभी पॉलिसियों के विवरण तक एक ही खाते के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ई-बीमा खाते को खोलने के समय एक बार जमा कराए गए केवाईसी प्रमाणपत्र को नए ई-बीमा खाता खोलने पर दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है और ई-बीमा खाता खुलने के बाद, केवाईसी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। ❑

प्रस्तुति: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

भारत में विदेशी निवेश: अतीत और वर्तमान

राजीव रंजन झा

अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2014 के अनुसार बीते वर्ष, साल 2013 में भारत में आने वाला विदेशी निवेश 28.20 अरब डॉलर का रहा है। इससे पहले, साल 2012 में यह 24.20 अरब डॉलर, साल 2011 में 36.19 अरब डॉलर और साल 2010 में 27.43 अरब डॉलर था। यानी बीते वर्षों के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। दूसरी ओर भारत से अन्य देशों को जाने वाला विदेशी निवेश पिछले कुछ वर्षों में तेज था, मगर बीते साल इसमें काफी कमी आयी है

भारत में इस समय यदि किसी एक बात की आशा को राष्ट्रीय आकांक्षा कहा जा सकता है, तो वह है विकास। इस एक शब्द में देश की हर आकांक्षा को समेटा जा सकता है लेकिन चाहे जिस किसी क्षेत्र में विकास की चर्चा शुरू की जाये, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसके लिए जरूरी धनराशि कहां से आयेगी? विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता है पूंजी, और भारत जैसे विशाल देश में किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए बहुत बड़ी पूँजी चाहिए। अगर हम बुनियादी ढाँचे के किसी भी अंग की बात करें, तो उसके विकास के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती पूँजी की कमी के रूप में ही सामने आती है। सरकार के लिए खुद विकास के हर काम के लिए संसाधनों का इंतजाम कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनायी हैं लेकिन देश का निजी क्षेत्र भी अपने स्तर पर उतनी बड़ी पूँजी नहीं जुटा सकता, जितने की आवश्यकता है। देश का निजी क्षेत्र आवश्यक पूँजी का एक छोटा हिस्सा ही उपलब्ध करा सकता है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के बाहर से आने वाली पूँजी इस समस्या का समाधान कर सकती है? साथ ही यह प्रश्न उठता है कि क्या बड़ी विदेशी पूँजी भारत में आने की इच्छुक है? अगर हाँ, तो किन शर्तों पर? वैश्विक निवेशकों में भारत को लेकर अरसे से काफी उत्सुकता दिखती रही है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएँ जिस तरह हाल के वर्षों में डाँवाडोल रही हैं, उसके मद्देनजर भारत की तीव्र विकास दर विदेशी निवेशकों को लुभाती रही है। उन्हें तेजी से बढ़ते भारत में अपने लिए अवसर दिखता है। यानी एक तरफ भारत को विदेशी पूँजी की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों में भारत को लेकर रुचि भी। मगर इसके बाद भी भारत में विदेशी निवेश उस सीमा तक नहीं आ सका है, जितना निवेश आने की संभावनाएँ हैं। इसकी तुलना में चीन ने कई गुना ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जबकि बहुतेरे विदेशी निवेशक यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत उनके लिए कहीं ज्यादा बेहतर निवेश विकल्प है।

यदि हम साल 2013 के आंकड़ों को देखें तो एशिया में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे ज्यादा 34 प्रतिशत हिस्सा चीन ने आकर्षित किया। इसकी तुलना में केवल 8.57 प्रतिशत हिस्सा भारत में आया, जबकि म्याँमार जैसे छोटे देश ने भी 7 प्रतिशत हिस्सा आकर्षित किया और वियतनाम को 8 प्रतिशत हिस्सा मिला। बीते 10 वर्षों में चीन ने कुल मिला कर 2,000 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल किया है। इसकी तुलना में भारत में केवल 229 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। भारत की तुलना में केवल एक बटा पाँच आबादी वाले देश ब्राजील ने एक दशक में 461 अरब डॉलर का विदेशी निवेश जुटाया।

आखिर वह कौन-सी बाधाएँ हैं, जो भारत में विदेशी निवेश आने के रास्ते में बाधक बनी हुई हैं? दरअसल सबसे प्रमुख बाधा है राजनीतिक आम सहमति का अभाव। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि किन-किन क्षेत्रों में, किस सीमा तक और किन शर्तों के साथ विदेशी निवेश आने की अनुमति दी जानी चाहिए। वैसे तो देश के दोनों सबसे प्रमुख दलों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय

लेखक मासिक पत्रिका निवेश मंथन और समाचार पोर्टल शेयर मंथन के संपादक हैं। वह समाचार चैनल 'जी बिजनेस' में एक दैनिक कार्यक्रम के प्रस्तोता भी हैं। इससे पहले एनडीटीवी, आजतक और अमर उजाला में काम कर चुके हैं। ईमेल: rajeev@sharemanthan.com

कांग्रेस, दोनों की सोच विदेशी निवेश के प्रति सकारात्मक है, लेकिन इसकी बारीकियों को लेकर वे आपस में उलझते रहे हैं। उनका यह उलझना काफी हद तक राजनीति से प्रेरित भी रहा है। वहीं समाजवादी सोच से प्रेरित बहुत-से राजनीतिक दल विदेशी पूँजी को आशंका की दृष्टि से देखते हैं और इसका स्वागत नहीं करते। वाम दल तो स्पष्ट रूप से विदेशी निवेश का विरोध करते हैं मगर जरूरत यह है राजनीतिक विरोधों के ऊपर राष्ट्रीय जरूरत को महत्व देते हुए एक राजनीतिक सर्वसम्मति तैयार की जाये। भारत के लिए जहाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करना आवश्यक है, वहाँ इसके अनुरूप नीतियाँ बनायी जायें और यह भी देखा जाये कि ऐसा करते समय हमारे राष्ट्रीय हितों को कहीं चोट न पहुँचे।

क्या है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) का मतलब है विदेशी निवेशकों की ओर से किसी अन्य अर्थव्यवस्था में लगायी गयी पूँजी। इस निवेश का सीधा उद्देश्य लगायी गयी पूंजी पर लाभ हासिल करना होता है। इसे सीधे तौर पर ऐसे समझा जा सकता है कि जब एक देश की कोई कंपनी (या कोई इकाई) दूसरे देश की किसी कंपनी या इकाई में पूँजी निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष निवेश से अलग है, यानी इसमें पोर्टफोलिओ निवेश को शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर एक देश का कोई संस्थागत निवेशक शेयर बाजार के माध्यम से दूसरे देश की कंपनी के शेयरों में निवेश करे, तो इसे एफडीआई नहीं कहा जाता। ऐसे निवेश को हम संस्थागत विदेशी निवेश या फॉरेन इंस्टीटयूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के मानकों के मुताबिक 10 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी के निवेश को ही एफडीआई माना जाता है, जबकि इससे कम निवेश को पोर्टफोलिओ निवेश या एफआईआई में गिना जाता है।

एक देश की कंपनी दूसरे देश में कई तरीकों से एफडीआई कर सकती है। वह दूसरे देश में या तो खुद अपनी एक सहायक कंपनी खोल सकती है और उसके माध्यम से पूँजी लगा सकती है, या उस देश की किसी अन्य कंपनी की इक्विटी में निवेश कर सकती है। अन्य कंपनी की इक्विटी में यह निवेश विलय या साझा उद्यम के रूप में हो सकता है। एफडीआई और पोर्टफोलिओ निवेश में एक मुख्य अंतर निवेश की अवधि का है। सामान्य तौर पर एफडीआई काफी लंबी अवधि को ध्यान में रख कर किया जाता है, क्योंकि इसके जरिये कोई कंपनी दूसरे देश में अपना उद्यम लगाती है या किसी उद्यम में साझेदार बनती है। वहीं पोर्टफोलिओ निवेश में वांछित लाभ मिलते ही निवेशक अपना पैसा वापस निकालने की इच्छा रखता है। इसलिए पोर्टफोलिओ निवेश लंबी अवधि का हो, यह आवश्यक नहीं है।

एफडीआई और पोर्टफोलिओ निवेश में दूसरा मुख्य अंतर कारोबार के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर है। सामान्य रूप से एफडीआई के जरिये विदेशी निवेशक उस कंपनी के प्रबंधन पर पूरा या आंशिक नियंत्रण हासिल करता है और इस तरह कारोबार चलाने में भूमिका निभाता है। लेकिन पोर्टफोलिओ निवेशक का उस कारोबार के प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं होता। एफडीआई के जरिये केवल विदेशी पूँजी ही नहीं आती, बल्कि कई अन्य चीजें साथ-साथ आ सकती हैं। एक विदेशी निवेशक अपनी पूँजी के साथ-साथ तकनीक और ज्ञान भी लाता है। उत्पादों की डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे पहलुओं में विदेशी निवेशक योगदान कर सकता है और उस नये उद्यम को अपनी वैश्विक उत्पादन श्रंखला से जोड़ने और विदेशी बाजारों तक ले जाने जैसे फायदे पहुँचा सकता है। एफडीआई आकर्षित करने वाले देश के उपभोक्ताओं को भी उक्त उत्पादों के ज्यादा विकल्प मिलते हैं। भारत में वाहन (ऑटो) क्षेत्र की क्रांति एफडीआई निवेश के फायदों का एक बेहतरीन उदाहरण है।

जब एक देश की कोई कंपनी या इकाई दूसरे देश की किसी कंपनी या इकाई में पूँजी निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष निवेश से अलग है, यानी इसमें पोर्टफोलिओ निवेश को शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर एक देश का कोई संस्थागत निवेशक शेयर बाजार के माध्यम से दूसरे देश की कंपनी के शेयरों में निवेश करे, तो इसे एफडीआई नहीं कहा जाता।

उदारीकरण के साथ बढ़ा विदेशी निवेश का चलन

भारत में विदेशी निवेश की गति आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के साथ ही बढ़ी। अस्सी के दशक तक भारत विकास के लिए जरूरी विदेशी पूँजी लाने के मामले में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण समझौतों पर ही ज्यादा निर्भर था। साल 1991 में उदारीकरण शुरू होने तक एफडीआई की अनुमति केवल गिने-चुने क्षेत्रों में ही थी और वह भी बहुत सारी शर्तों के साथ। इनमें साझा उद्यम में स्थानीय हिस्सेदारी, स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता, निर्यात दायित्व जैसी शर्तें शामिल थीं। साल 1991 से पहले चुनिंदा क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति थी लेकिन 1991 के बाद आने वाली विभिन्न सरकारों ने एफडीआई नीति को क्रमशः उदार बनाया। वर्ष 1991 में सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप, रक्षा उद्योग, टी प्लांटेशन जैसे कई नये क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोला। साथ ही ज्यादातर क्षेत्रों में एफडीआई की अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया, जैसे कि विज्ञापन, हवाई-अड्डे, निजी क्षेत्र में तेल रिफाइनिंग, दवा वगैरह। विदेशी कंपनियों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (सब्सीडियरी) कंपनियाँ खोलने की इजाजत दी गयी। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों को अपने स्वामिक्व वाली कंपनियों में बदलने की छूट मिली। साल 1991 में 35 क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित कर उनमें ऑटोमैटिक रूट से यानी स्वयमेव 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दे दी गयी। इसके बाद 1997 में कुछ खास क्षेत्रों में शत-प्रतिशत तक एफडीआई का रास्ता खोल दिया गया, जबकि 111 क्षेत्रों में 74/51/50 प्रतिशत तक स्वयमेव एफडीआई की छूट दी गयी। साल 2000 से एफडीआई नीति में काफी खुलापन आया, जब कुछ खास क्षेत्रों की नकारात्मक सूची को छोड़ कर बाकी सभी क्षेत्रों में स्वयमेव 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी गयी।

भारत में विदेशी निवेश की ताजा स्थिति

अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2014 के अनुसार बीते वर्ष, साल 2013 में भारत में आने वाला एफडीआई 28.20 अरब डॉलर का रहा है। इससे पहले, साल 2012 में यह 24.20 अरब डॉलर, साल 2011 में 36.19 अरब डॉलर और साल 2010 में 27.43 अरब डॉलर था।

तालिका 1: वर्षवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अवलोकन (10 लाख डॉलर व प्रतिशत में)

एफडीआई प्रवाह					नियत सकल पूंजी नियोजन का प्रतिशत			
भारत								
अंतर्वाह								
बाह्य								
समझौता								
चीन								
अंतर्वाह								
बाह्य								
एफडीआई स्टॉक					**जीडीपी का प्रतिशत**			
भारत								
अंतर्वाह								
बाह्य								
समझौता								
चीन								
अंतर्वाह								
बाह्य								

(**स्रोत:** *अंकटाड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2014*)

यानी बीते वर्षों के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। दूसरी ओर भारत से अन्य देशों को जाने वाला एफडीआई पिछले कुछ वर्षों में तेज था, मगर बीते साल इसमें काफी कमी आयी है। भारत से अन्य देशों को एफडीआई साल 2010 में 15.93 अरब डॉलर, 2011 में 12.46 अरब डॉलर और 2012 में 8.49 अरब डॉलर था, लेकिन बीते साल यह घट कर केवल 1.68 अरब डॉलर रह गया।

भारत बनाम चीन

दी गयी तालिका से स्पष्ट है कि एफडीआई आकर्षित करने में चीन भारत से काफी आगे है। बीते साल जहाँ भारत ने 28.20 अरब डॉलर का एफडीआई हासिल किया, वहीं चीन में 123.91 अरब डॉलर का एफडीआई आया। यदि एफडीआई स्टॉक यानी इक्विटी में एफडीआई को जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर देखा जाये, तो नब्बे के दशक में ही चीन ने भारत से काफी ज्यादा बढ़त बना ली थी। अंकटाड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990 में जहाँ भारत में एफडीआई स्टॉक जीडीपी का केवल 0.5 प्रतिशत था, वहीं चीन में उस वर्ष यह 5.1 प्रतिशत था। चीन का एफडीआई स्टॉक 1999 में जीडीपी के 16.9 प्रतिशत के चरम स्तर तक पहुँच गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नब्बे के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था में हुए तेज विकास में एफडीआई ने काफी बड़ी भूमिका निभायी। साल 2013 में चीन का एफडीआई स्टॉक जीडीपी का 10.4 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर भारत का एफडीआई स्टॉक 1990 से अब तक क्रमशः बढ़ते हुए 2013 में 12.1 प्रतिशत रहा। इस आधार पर यह दिखता है कि भारत एफडीआई के मामले में उस मुकाम पर खड़ा है, जहाँ चीन नब्बे के दशक के मध्य में था।

दरअसल जहाँ भारत ने 1991 में एफडीआई नीतियों को उदार बनाना शुरू किया, वहीं चीन ने यह काम 1979 में ही शुरू कर दिया था। वर्ष 1980 में चीन में एफडीआई केवल 59.6 करोड़ डॉलर का था।

अंकटाड के वार्षिक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टस सर्वे में सबसे पसंदीदा निवेश स्थान के लिए दिये गये क्रम के अनुसार बीते एक दशक में चीन ने एक बार भी अव्वल स्थान नहीं छोड़ा है। भारत 2005 से 2008 तक लगातार दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन 2009 में अमेरिका से पिछड़ कर तीसरे स्थान पर चला गया। साल 2010 में भारत वापस दूसरे स्थान पर लौटा, लेकिन 2011 में यह फिर अमेरिका से पिछड़ गया। साल 2012 में तो यह एकदम पिछड़ कर सातवें पायदान पर चला गया। पिछले साल यह एक बार फिर तीसरे स्थान पर लौटा, लेकिन 2014 के सर्वे में यह चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद चौथे पायदान पर है।

नवीनतम सरकारी प्रयास

हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे के चुनिंदा क्षेत्रों में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का फैसला किया है। उच्च गति ट्रेनों समेत कई क्षेत्रों में स्वयमेव शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के प्रस्तावों को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) के सामने रखा जायेगा। उपनगरीय गलियारा (कॉरिडोर) परियोजनाओं, समर्पित माल ढुलाई (फ्रेट) लाइनों, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक विद्युतीकरण, सिग्नलिंग, फ्रेट एवं यात्री टर्मिनलों और रेलवे साइडिंग जैसे बुनियादी ढाँचा में भी एफडीआई की अनुमति दी गयी है। रेलवे में एफडीआई के प्रस्ताव को पहले इस साल फरवरी में यूपीए सरकार के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने रेल बजट में रखा था। बाद में नयी सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी अपने रेल बजट में इस प्रस्ताव को शामिल किया।

केंद्र सरकार ने निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों में भी ढील दी है। एफडीआई की अनुमति के लिए आवश्यक बिल्ट-अप क्षेत्र की न्यूनतम सीमा 50,000 वर्ग मीटर से घंटा कर 20,000 वर्ग मीटर कर दी गयी है। साथ ही न्यूनतम पूँजी निवेश सीमा भी एक करोड़ डॉलर से घटा कर 50 लाख डॉलर कर दी गयी है। जिन परियोजनाओं में कुल लागत का कम-से-कम 30 प्रतिशत हिस्सा कम लागत वाले सस्ते (एफोर्डेबल) मकानों के लिए रखा जायेगा, उन्हें बिल्ट-अप क्षेत्र और पूँजी निवेश की न्यूनतम सीमा की शर्तें लागू नहीं होंगी। इन रियायतों के जरिये केंद्र सरकार ने निर्माण क्षेत्र में एफडीआई निवेश की गति

आरेख1: एफडीआई निवेश : शीर्ष 20 प्राप्तकर्ता देश, 2012 और 2013
(अरब अमेरिकी डॉलर में)

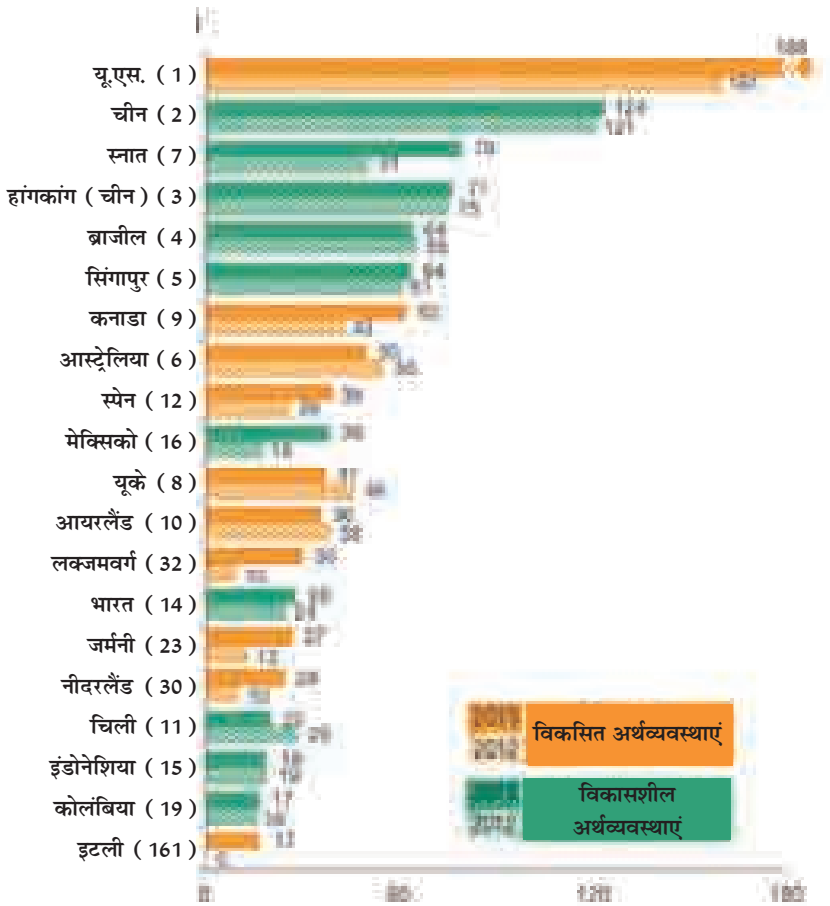

(**स्रोत:** *अंकटाड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2014*)

को बढ़ाने की कोशिश की है। साल 2003 से 2013 के बीच निर्माण विकास क्षेत्र ने लगभग 22 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है, जो इस दौरान देश में आये कुल एफडीआई का लगभग 11 प्रतिशत है। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी गति धीमी पड़ी थी, जिसके मद्देनजर कुछ प्रोत्साहनों की जरूरत महसूस की गयी।

इस समय बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने की भी बातें चल रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2013 को ही मंत्रिमंडल की बैठक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया था। लेकिन इसके लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेनी जरूरी थी, जो राजनीतिक सहमति नहीं बनने के चलते अब तक बाकी है। दरअसल इस संबंध में विधेयक साल 2008 से ही राज्य सभा में लंबित है। मौजूदा केंद्र सरकार यह उम्मीद कर रही है कि वह इस विधेयक को संसद से पारित करा सकेगी।

खुदरा (रिटेल) क्षेत्र में एफडीआई को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक असहमति रही है। यूपीए सरकार ने मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने का फैसला किया था, लेकिन इसमें राज्य सरकारों को अनुमति देने या नहीं देने का विकल्प दिया गया। अभी बहुत-सी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण किसी रिटेल कंपनी के लिए एफडीआई निवेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपने कामकाज को विस्तार देना संभव नहीं है। यही कारण है कि रिटेल एफडीआई की गतिविधियाँ बेहद ठंडी रही हैं। केंद्र में सत्ताधारी दल की घोषित नीति यही रही है कि वह मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं है। छोटे दुकानदारों की यह आपत्ति रही है कि मल्टीब्रांड रिटेल से उनके लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जायेगा। उनके विरोध को देखते हुए यह जान पड़ता है कि इस क्षेत्र में एफडीआई ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहेगा। ❑

योजना
आगामी अंक

जनवरी 2014 (विशेषांक)
स्वच्छता, विकास और सामाजिक परिवर्तन

फरवरी 2014
संघीय ढांचा और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

डब्ल्यूटीओ में भारत को मिली बड़ी सफलता

रवि शंकर

अमेरिका के साथ हुए इस करार का मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ में शामिल देश दूसरे सदस्यों के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर तब तक सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक खाद्य भंडारण के मुद्दे का कोई स्थायी समाधान ढूंढ नहीं लिया जाता और उसे अपना नहीं लिया जाता जबकि इससे पूर्व के प्रावधानों, जिसे पीस क्लाउज कहा गया था, के अनुसार टीएफए पर हस्ताक्षर करने वाले डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को कृषि सब्सिडी को अपने कुल कृषि उत्पादन के दस फीसदी के स्तर पर लाना होगा

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर भारत व अमेरिका के बीच सहमति बन गई है। इससे डब्ल्यूटीओ में व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के कार्यान्वयन का रास्ता खुल गया है। दोनों देशों के बीच 'शांति उपबंध' को कायम रखने पर सहमति बनी है। साथ ही अमेरिका के साथ डील से ट्रेड फैसिलिटेशन करार लागू करना संभव होगा। निश्चित ही भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को बिना किसी अड़चन के जारी रखने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। भारत व अमेरिका में यह सहमति बन गई है कि खाद्य सुरक्षा भंडारण के मुद्दे का स्थाई समाधान होने तक 'शांति उपबंध' अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। शांति उपलबंध के तहत भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को उचित समाधान निकलने तक डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इससे पहले बाली समझौते में सदस्य देशों को दूसरे डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत चुनौती दिए जाने से बचने के लिए सुरक्षा 2017 तक दी गई थी। इसके तहत खाद्यान्न भंडारण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर विकासशील देशों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं देने का प्रावधान है। हालांकि सफल द्विपक्षीय वार्ता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस मामले में प्रगति सितंबर में हुई, जब मोदी अमेरिका गए थे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर भारत की चिंताओं की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी थी और यह साफ किया था कि भारत टीएफए के खिलाफ नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन के तहत समझौते के लिए दो डिब्बे बनाए गए हैं - अम्बर बाक्स और ग्रीन बाक्स। ये बाक्स सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली उस राशि को रखने के लिए हैं, जो खाद्य सुरक्षा सब्सिडी के रूप में खर्च की जाती है। अम्बर बाक्स में उस सब्सिडी को रखा जाता है, जिसके बारे में यह नियम है कि कोई भी सरकार अपने ख़ज़ि उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत हिस्से से ज्यादा राशि सब्सिडी पर खर्च नहीं करेगा यानी किसानों और हितग्राहियों को मदद नहीं करेगा। यदि उसने यह सीमा पार की तो उस पर व्यापारिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी. भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज की खरीदी को अमेरिका और यूरोपीय देश अम्बर बाक्स में रखवाना चाहते है, जबकि भारत चाहता है कि इसे ग्रीन बाक्स में रखा जाए। डब्ल्यूटीओ के तहत खाद्य सुरक्षा हेतु लोक भण्डारण के लिए खर्च किये जाने वाली सब्सिडी को खास किस्म के खाते (ग्रीन बाक्स) में रखा जाता है। इस डिब्बे के तहत परिभाषित रियायत पर कोई भी सरकार असीमित खर्चा कर सकती है और उस खर्चे को खुले व्यापार के लिए नुकसानदायक नहीं माना जाता है। इसलिए भारत चाहता है कि इसे ग्रीन बाक्स में रखा जाए।

बहरहाल, अमेरिका के साथ हुए इस करार का मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ में शामिल देश दूसरे सदस्यों के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर तब तक सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक खाद्य भंडारण के मुद्दे का कोई स्थायी

लेखक, शोधकर्ता, सामाजिक- कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। सेन्टर फॉर एन्वायरमेंट एण्ड फूड सिक्योरिटी में रिसर्च एसोशिएट और एपीएन न्यूज चैनल से जुड़े हैं। बीते छह वर्षों से खेती- किसानी, खाद्य सुरक्षा, गरीबी, भूखमरी और मनरेगा जैसे विषयों पर देश के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार- पत्रों, पत्रिकाओं में लेखन कार्य करते आ रहे हैं। अबतक एक हजार से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 2012 में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सूचना केंद्र नई दिल्ली की पुरस्कार चयन समिति ने लेखन कार्यों के लिए रचनात्मक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित। ईमेल: ravishankar.5107@gmail.com

समाधान ढूंढ नहीं लिया जाता और उसे अपना नहीं लिया जाता। जबकि इससे पूर्व के प्रावधानों, जिसे पीस क्लाउज कहा गया था, के अनुसार टीएफए पर हस्ताक्षर करने वाले डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को कृषि सब्सिडी को अपने कुल कृषि उत्पादन के दस फीसदी के स्तर पर लाना होगा। इसके लिए चार वर्ष की समय सीमा निश्चित की गई थी। कहा गया था कि ख़ृषि सब्सिडी की गणना 1986-88 की कीमतों पर की जाएगी। खैर, अब भारत को टीएफए का समर्थन करना होगा। टीएफए के तहत कस्टम्स बैरियर कम करने का ग्लोबल प्लान है, जिससे ग्लोबल इकनॉमी का आकार एक लाख करोड़ डॉलर बढ़ सकता है। भारत के इस कदम से बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में जान आ जाएगी, जो खाद्य सुरक्षा पर भारत के कड़े रुख के कारण ठप हो गई थीं।

अमरीका सहित कई देश ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर अपनी आपत्ति वापस लेने के लिए भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। बहरहाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका ने भारत की इस शर्त को मान लिया है कि वो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट को बढ़ावा देने वाले समझौते पर तब तक दस्तखत नहीं करेगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा कानून की अड़चनें दूर नहीं कर ली जातीं।

गौरतलब है कि इस मामले पर दोनों देशों के बीच अबतक लम्बी खह्लच-तान बना हुआ था। भारत के सख्त रवैये के कारण तीन माह से गतिरोध बना हुआ था। अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के प्रमुख समेत तमाम विकसित देश लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि ख़ृषि और खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर भारत का अड़ियल रुख डब्लूटीओ समझौते को पटरी से उतार रहा है। भारत की जिद के चलते ही डब्ल्यूटीओ के प्रोटोकोल के तहत ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (टीएफए) इस साल 14 जुलाई की तय तिथि को लागू नहीं हो सका है। जबकि अमरीका सहित कई देश ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर अपनी आपळ्ाि वापस लेने के लिए भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। बहरहाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में अलग-थलग पड़ चुके भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अमेरिका ने भारत की इस शर्त को मान लिया है कि वो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट को बढ़ावा देने वाले समझौते पर तब तक दस्तखत नहीं करेगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा कानून की अड़चनें दूर नहीं कर ली जातीं। 10-11 दिसंबर को डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल की बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा नया मसौदा पेश किया जाएगा। ताकि व्यापार सुगमता करार पर दस्तखत हो सकें। भारत और अमेरिका ने मिलकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा नया मसौदा तैयार किया है। बता दें कि भारत अनाज की कीमतों का आधार मौजूदा दाम के मुताबिक करने के पक्ष में है। लेकिन फिलहाल 1986-87 की कीमतों को आधार बनाया जा रहा है।

बहरहाल भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते से पटरी से उतरी डब्ल्यूटी की गाड़ी अब फिर से तेजी से आगे बढ़ सकेगी। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच जो सहमति हुई है उसके तहत खाद्यान्नों की सरकारी खरीद और राशन प्रणाली (पीडीएस) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के मुद्दे को हल करने का मसौदा डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल के सामने रखा जाएगा। लेकिन यह समझौता क्या है इसको लेकर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने वक्तव्य में बहुत साफ नहीं किया है कि अमेरिका के साथ क्या सहमति हुई है। लेकिन अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की तरफ से जारी बयान में इसे ज्यादा साफ किया गया है। जिसमें कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी के मुद्दे का स्थायी हल होने तक भारत को इस तरह की सब्सिडी से नहीं रोका जाएगा और न ही कोई इसके खिलाफ विवाद निस्तारण पैनल में जाएगा। लेकिन बेहतर होता कि सरकार इस मसौदे को डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल में रखने से पहले देश के सामने रखती। सवाल यही खड़ा होता है कि जब एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के लिए हम अमेरिका जैसे देश का सहारा ले रहे हैं तो उसे देश के सामने रखने से परहेज क्यों बरता जा रहा है।

भारत के लिए तो यही बेहतर होता कि इस संबंध में कोई भी वादा करने से पहले समस्या का स्थायी समाधान खोज लिया जाता। क्योंकि यह मामला सीधे-सीधे भारत द्वारा अपने किसानों को मुहैया कराए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल से जुड़ा हुआ है। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि भारत को उपज के कुल मूल्य का दस फीसद न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में प्रदान करना चाहिए, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं है। मिसाल के तौर पर वह चावल पर उपज के कुल मूल्य का 24 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करता है। गेहूं के मामले में जरूर वह धीरे-धीरे दस फीसद की सीमा की ओर बढ़ रहा है। भारत द्वारा अपने किसानों का समर्थन करने की इस नीति से अमेरिका के कृषि निर्यातकों के व्यापारिक हितों को क्षति पहुंच रही है। ऐसे लगभग 33 निर्यात परिसंघा अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वह भारत को दस प्रतिशत से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की अनुमति न प्रदान करे। उनका मकसद यह है कि अगर आर्थिक हानि के कारण भारत के किसानों का

ऐसे लगभग 33 निर्यात परिसंघ अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वह भारत को दस प्रतिशत से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की अनुमति न प्रदान करे। उनका मकसद यह है कि अगर आर्थिक हानि के कारण भारत के किसानों का मन खेती से उचट गया तो भारत उनके लिए खाद्य पदार्थों र्का एक बहुत बड़ा आयातक देश साबित हो सकता है।

मन खेती से उचट गया तो भारत उनके लिए खाद्य पदार्थों र्का एक बहुत बड़ा आयातक देश साबित हो सकता है।

हालांकि भारत ने साफ किया था कि वह खाद्य सब्सिडी मामले का स्थायी समाधान होने तक टीएफए का समर्थन नहीं कर सकता, जिसके तहत क्वेिक सीमा-शुल्क मानदंडों को आसान बनाया जाना है। भारत ने डब्ल्यूटीओ से कहा कि वह ख़ृषि सब्सिडी के आकलन के लिए मानदंडों में संशोधन करे ताकि देश बिना डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के उल्लंघन के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद कर उसे सस्ती दर पर गरीबों को बेच सके। मौजूदा नियमों में खाद्य सब्सिडी की सीमा तय है। डब्ल्यूटीओ के मौजूदा मानदंडों के तहत खाद्य सब्सिडी का दायरा कुल खाद्यान्न उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत तक होना चाहिए, हालांकि सब्सिडी की मात्र का आकलन दो दशक पहले की कीमत के आधार पर किया

जाता है। आशंका है कि जब भारत अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करेगा तो यह सीमा का उल्लंघन कर सकता है। भारत ने पिछले वर्ष खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया है, जिसमें दो-तिहाई से अधिक आबादी को सब्सिडी दर पर अनाज देने की गारंटी दी गई है। इस कानून का पालन करने से भारत को डब्ल्यूटीओ की सीमा तोड़नी पड़ सकती है, जिससे देश पर जुर्माना लगाया जा सकता है। खैर, अब पीस क्लॉज के तहत खाद्य सब्सिडी की सीमा पार कर जाने पर भी जुर्माने से छुटकारा मिलेगा। दूसरे शब्दों में फिलहाल भारत पर दस फीसद की मौजूदा सीमा लागू नहीं होगी।

हालांकि विकासशील और गरीब देशों में दी जाने वाली ख़ृषि सब्सिडी का विरोध सबसे अधिक अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा करते रहे हैं, जो खुद अरबों डॉलर की घारेलू और निर्यात सब्सिडी देतें हैं और ये विकसित देश सब्सिडी में कितना खर्च करते हैं, उसे इस बात से समझा जा सकता है। अमेरिका आज भी 6.5 करोड लोगों प्रति व्यद्रि 385 किलोग्राम खाद्य सब्सिडी प्रदान करता है। यह सब्सिडी खाद्य कूपन और बाल कार्यक्रम आदि के माध्यम से मिलती है।

इसके दूसरी तरफ भारत जहाँ दो तिहाई से ज्यादा लोग 30 रूपए प्रतिदिन से कम खर्च करते हैं, वहां भारत सरकार यदि पीडीएस के तहत भूख के साथ जीने वाले 47.5 करोड लोगों को 1620 रूपए सालाना खर्च करके 58 किलोग्राम सस्ता अनाज देती है तो अमेरिका और उनके मि> देशों को द्वित होती है। सच तो यह है कि भारत दो स्तरों पर मात खाता है। व्यपार को नुक्सान पंहुचाने वाली सब्सिडी के बारे में जब मापदंड तय हुए तब यहाँ कहा गया था कि सरकारें 1994 में दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग (एग्रीगेट मेज़र ऑफ सपोर्ट) को आधार मानेगी, जब अमेरिका खूब सब्सिडी दे रहा था और भारत लगभग बिलकुल नहीं दे रहा था (कायदे से तो भारत में यह खर्चा बाद में बढ़ना शुरू हुआ) पर डब्ल्यूटीओ में हम फँस गए। इसके अलावा समस्या यह भी है कि सब्सिडी पर होने वाले व्यय का मूल्यांकन 1986-88 की कीमतों के आधार पर किया जाता है, जबकि उत्पादन की वास्तविक लागत उस आधार मूल्य से कहीं ज्यादा बढ़ी हैं। इसीलिए एक समूह के रूप में विकासशील देश व्यापार वार्ताओं में शुरू से विकसित देशों की ऊंची कृषि सब्सिडी का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन विकसित देश अपनी कृषि सब्सिडी को बहुत ऊंचे स्तर पर बनाए रखते हुए भी विकासशील देशों के लिए सब्सिडी पर कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के 10 फीसद की अधिकतम सीमा थोपने में अबतक कामयाब रहे हैं। यह सच है कि ताकतवर देशों का शुरू से यह दबाव रहा है कि भारत समेत दुनिया का कोई भी देश अपनी कुल खेतिहर उपज के दस फीसदी से ज्यादा रकम अपने किसानों को सब्सिडी के रूप में न दे, उनका माना है कि ऐसा करने पर बाजार में अनावश्यक विकृति पैदा होती है।

असल में मुक्त व्यापार में असंगति पैदा करने वाली सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यूटीओ चाहता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत कृषि और खाद्य सब्सिडी खाद्यान्न फसलों के मूल्य के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के मामले में चावल और गेहूं को लेकर यह सीमा बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अगर सरकार आने वाले दिनों में इस सब्सिडी में कटौती करती है तो यह राजनैतिक रूप से घातक हो सकता है।

वहीं इस सब्सिडी की गणना के लिए तमाम तरह के आंकड़े भी देने की शर्त है। जो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि पहले भारत इस मुद्दे पर 2017 तक मामला न उठाने की छूट देने वाली पीस क्लाज पर सहमत हो गया था लेकिन बाद में इसकी पेचीदगी ने सरकार को संकट में डाला और उसके बाद सख्त स्टैंड लिया गया कि इस मुद्दे के स्थाई हल तक भारत टीएफए के लिए तैयार नहीं होगा। यहीं पर पेंच फंसा है क्योंकि डब्ल्यूटीओ में कोई भी समझौता लागू करने के लिए हर सदस्य का सहमत होना जरूरी है। हालांकि कई मामले में हमने जिस तरह की नीतियां अपनानी शुरू की हैं उससे लगता है कि सरकारी खरीद और खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर हम बीच का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकारी खरीद पर बोनस और प्रति हैक्टेयर सरकारी खरीद को सीमित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

इसलिए यह देखना बहुत अहम होगा कि किस तरह का प्रस्ताव भारत डब्ल्यूटीओ में लेकर जा रहा है। बेहतर होता कि सरकार इस बात को साफ करती और देश में इस पर खुली चर्चा होती।

भारत की डब्ल्यूटीओ में मांग

* भारत अपने 60 करोड़ किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने और लगभग 84 करोड़ गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान चाहता है।
* भारत की मांग थी कि ऊंचे दाम पर अपने किसानों से खाद्यान्न खरीदने की छूट निरन्तर रहे, न कि केवल चार वर्षों तक।
* भारत ने डब्ल्यूटीओ से ख़ृषि सब्सिडी की गणना के मानक में बदलाव चाहता था।
* भारत को पीस क्लाउज के प्रावधानों पर आपत्ति थी इसलिए इसमें बदलाव की मांग करता रहा है। क्योंकि यदि भारत इन शर्तों कों मान लेता तो लाखों किसान और गरीबों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता। वहह्न गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाती है। लिहाजा उन्हें बंद करना पड़ता या फिर उसमें कटौती करनी पड़ती।
* भारत डब्ल्यूटीओ में इस करार की अस्पष्ट शब्दावली से चिंतित था, जिसमें यह साफ नहीं किया गया कि जो देश भंडारण और सब्सिडी से जुड़ी सीमाओं का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ डब्ल्यूटीओ के दूसरे सदस्य देश कानूनी कदम उठा सकते हैं या नहीं। माना जा रहा है कि इन चिंताओं को अब दूर कर दिया गया है।
* भारत की मांग है कि व्यापार संगठन को स्थायी तौर पर अपने बहुस्तरीय नीतियों में बदलाव लाना होगा, ताकि विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हल हो सके।
* भारत के प्रस्ताव का हालांकि अमरीका और यूरोपीय संघ अबतक विरोध करते आ रहे थे।

डब्ल्यूटीओ को अस्तित्व में आये अब बीस वर्ष होने जा रहे हैं, पर अब तक सभी 160 सदस्य देशों के बीच वैश्विक व्यपार के लिए एक भी सर्वसम्मत समझौता नहीं हो पाया है। कारण: अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ऐसे अनुबंध करवाना चाहते हैं, जिनसे पूरी दुनिया में उनके उत्पाद और उत्पादकों का नियंत्रण हो जाए। उनके लिए डब्ल्यूटीओ दूसरे देशों को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने का जरिया है। ❑

ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश पर असमंजस

प्रभाष कुमार झा

ई-कॉमर्स घरेलू उपयोग की चीजों की खरीदारी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर-तरीकों को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। सेवा क्षेत्र में इसकी वजह से सबसे प्रासंगिक बदलाव हुआ है। ई-कॉमर्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नए द्वार खोले हैं और कई ऐसी सेवाओं को भी व्यापार योग्य बना दिया है, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूटिंग, दूरस्थ शिक्षा, इन्वेंटरी प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखांकन (अकाउंटिंग), कार्मिक प्रबंधन, विपणन, विज्ञापन और वितरण के व्यापार में ई-कॉमर्स की अहम भूमिका है

आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीद-बिक्री को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) माना जाता है। हालांकि, इसका दायरा इससे व्यापक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए बिना किसी दस्तावेज या मुद्रा को प्रस्तुत किए सेवा या उत्पाद की खरीद-बिक्री की गतिविधि ई-कॉमर्स के तहत आती है। इसमें आवश्यक शर्त है कि लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से ही हो।

व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर ई-कॉमर्स को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। बिजनेस टू बिजनेस (बी टू बी) में सेवा प्रदाता या विक्रेता और सेवा लेने वाला या क्रेता दोनों ही कंपनियां या व्यवसायी होते हैं। जैसे कंपनी से थोक विक्रेता या थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता की खरीदारी इस श्रेणी में आती है। सिस्को इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिजनेस टू कंज्यूमर श्रेणी में (बी टू सी) फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा और एमेजॉन जैसी साइटें आती हैं, जिसमें सेवा प्रदाता या विक्रेता से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के जरिए उपभोक्ता सीधे जुड़ता है। कुछ लोग इसकी तीसरी श्रेणी बताते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर की, जिसमें विक्रेता और क्रेता दोनों ही उपभोक्ता होते हैं। कई विशेषज्ञ ई-कॉमर्स के इस तीसरे प्रारूप को मान्यता नहीं देते हैं और इसे दूसरी श्रेणी में ही रखते हैं।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन बाजारों में से एक है। खुदरा ई-कॉमर्स की तेजी से बढ़ोतरी में देश की युवा जनसंख्या का विशेष योगदान रहा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की '2013 में ऑनलाइन खरीदारी की समीक्षा और परिदृश्य' रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल ऑनलाइन खरीदारी में से 90 प्रतिशत खरीदारी 35 वर्ष से कम उम्र के लोग करते हैं। 36 से 45 वर्ष के आयुवर्ग का हिस्सा इसमें 8 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्थिक सुस्ती और बढ़ती महंगाई भी ऑनलाइन खरीददारी के बढ़ते चलन को रोकने में असफल रही है। उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009 में ई-कॉमर्स का बाजार 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.3 अरब डॉलर और वर्ष 2013 में यह 13 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उद्योग मंडल का आकलन है कि 2023 तक देश में ई-कॉमर्स का आकार 56 अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। एसोचैम के सर्वेक्षण के अनुसार क्रमशः मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु ई-कॉमर्स के इस्तेमाल के मामले में शीर्ष पर हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्ष से यह रुझान भी निकल कर आया है कि ऑनलाइन खरीदारी का चलन सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है। बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले उपभोक्ता भी अब ई-कॉमर्स के साथ जुड़ रहे हैं।

एसोचैम के आकलन में कहा गया है कि कि देश में जहां असंगठित खुदरा क्षेत्र 550 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर का है, वहीं संगठित खुदरा क्षेत्र का बाजार 25 से 30 अरब डॉलर का है। इस तरह खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी अभी केवल 0.2 प्रतिशत है। अमेरिका में यह हिस्सा 6 प्रतिशत और चीन में तो 14 प्रतिशत तक है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं तक इंटरनेट की पहुंच के साथ ई-कॉमर्स के सामने विस्तार के लिए देश में

लेखक दैनिक नवभारत टाइम्स में समाचार संपादक हैं। आईआईएमसी, नयी दिल्ली से रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता के अध्ययन के बाद दैनिक जागरण, अमर उजाला, बीबीसी हिन्दी सेवा आदि से जुड़े रहे। विभिन्न मीडिया संस्थानों में अध्यापन भी करते रहे हैं। ईमेलः prabhashjha13@gmail.com

काफी अवसर उपलब्ध हैं। लोगों की इंटरनेट तक पहुंच के मामले में भारत का रिकॉर्ड अभी बहुत खराब है। कई आकलनों में कहा गया है कि देश की करीब 11 से 15 प्रतिशत जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएएमएआई) के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2012 तक देश में इंटरनेट उपयोग करने वालों की कुल संख्या 15 करोड़ थी। इनमें 10.5 करोड़ उपभोक्ता शहरी और 4. 5 करोड़ ग्रामीण इलाकों में हैं। अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे विकिसित देशों के मामले में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 85 प्रतिशत के आसपास है। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहरों की व्यस्त जीवनशैली और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से भुगतान के और ज्यादा सहज-सुलभ विकल्प आने वाले वर्षों में ई-कॉमर्स को तेजी से बढ़ाने वाले कारक सिद्ध होंगे।

बढ़ता कारोबार और बाजार का दायरा बढ़ने के बीच खुदरा ई-कॉमर्स के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों में निवेश को लेकर जटिल स्थिति बनी हुई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पिछली सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा में 51 प्रतिशत तक और एकल ब्रांड खुदरा में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी थी। बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद इस नीति में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने जुलाई महीने में कहा था कि एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है, लेकिन बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नई सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस बात को लेकर सजग है कि ई-कॉमर्स को बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का जरिया नहीं बनने दिया जाए।

वाणिज्य मंत्री के अनुसार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र वाला नियम ई-कॉमर्स पर भी लागू होगा। यानी बी टू बी मॉडल वाली ई-कॉमर्स कंपनियों में तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत है, लेकिन बी टू सी मॉडल की कंपनियों के लिए इस पर रोक है। सरकार को लगता है कि बहु-ब्रांड खुदरा ई-कॉमर्स के दरवाजे एफडीआई के लिए खोलने से किराना और छोटे व्यवसायी तबाह हो जाएंगे। सरकार की सोच के विपरीत एसोचैम का तर्क है कि प्रौद्योगिकी आधारित प्लैटफॉर्म में एफडीआई आने से किराना स्टोरों पर असर नहीं पड़ेगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक के बावजूद लगभग सभी बड़ी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों में विदेशी निवेश हो चुका है। ऐसा उन्होंने कंपनियों के व्यवसाय का मॉडल बदलकर या नियमों से बचने के लिए जटिल संगठनात्मक ढांचा अपनाकर किया है। पिछले 10 महीनों में ही भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड की ओर से 3.9 अरब डॉलर के निवेश हुए हैं। भारतीय कंपनियों में अग्रणी फ्लिपकार्ट ने इस वर्ष जुलाई में घोषणा की थी कि उसने मौजूदा और नए निवेशकों से एक अरब अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई है। इस नए और तेजी से विस्तृत होते क्षेत्र में यह उस समय तक की सबसे बड़ी फंडिंग थी।

पिछले दरवाजे से एफडीआई के आरोप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय फ्लिपकार्ट समेत कुछ अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जटिल संगठनात्मक ढांचे की वजह से कंपनियां एफडीआई नियमों को धता बताने में कामयाब हो जाती हैं।

फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज में एक्सेल पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल, आइकॉनिक कैपिटल और नैस्पर्स समूह सहित कई विदेशी प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने निवेश किया है। फ्लिपकार्ट की घोषणा के अगले ही दिन इस क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शुमार एमेजॉन इंडिया ने भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में बड़ा दांव लगाते हुए 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा कर दी। अक्टूबर आते-आते जापान के मीडिया, इंटरेनट और संचार के क्षेत्र में निवेश करने वाले सॉफ्ट बैंक ने स्नैपडील में 62.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की डोषणा कर दी। इसके साथ ही साफ्ट बैंक स्नैपडील में अकेले सबसे बड़ा निवेशक बन गया। इस निवेश को जोड़ने के बाद वर्ष 2014 में स्नैपडील करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित कर चुकी है। इन तीन दिग्गज कंपनियों के अलावा मिंत्रा, जाबॉन्ग, अर्बनलैडर, फर्स्ट क्राई, लाइम रोड, फैशन एंड यू और हैप्पली अनमैरेड जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में भी देशी और विदेशी फंडों की ओर से निवेश किए गए हैं।

पिछले दरवाजे से एफडीआई के आरोप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय फ्लिपकार्ट समेत कुछ अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जटिल संगठनात्मक ढांचे की वजह से कंपनियां एफडीआई नियमों को धता बताने में कामयाब हो जाती हैं। बीटूबी और बीटूसी के लिए अलग-अलग नियमों का फायदा उठाकर ई-कॉमर्स कंपनियां विदेशी निवेश के लिए विभिन्न कंपनियां बना रही हैं। आरोप के अनुसार, बीटूसी कारोबार में विदेशी निवेश की रोक की वजह से पहले से ही अच्छा-खासा भंडार रखने वाली इन कंपनियों ने अपनी पुनर्संरचना कर ली और खुद को मार्केटप्लेस मॉडल के रूप में एक तकनीकी मंच के तौर पर परिभाषित किया। मार्केटप्लेस मॉडल्स में विदेशी भागीदारी की अनुमति है। इस प्रारूप में ऑनलाइन कंपनी अपने आप को खुदरा कारोबार के लिए मंच उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाता के तौर पर प्रदर्शित करती है। यानी वह विक्रेता और क्रेता को लेन-देन का मंच उपलब्ध कराती है एवं इस सेवा प्रदान के लिए विक्रेता से कमीशन लेती है। कंपनी को मार्केट प्लेस मॉडल में बदलने से फायदा यह होता है कि वह एफडीआई के नियमों के मुताबिक विदेशी निवेश के अनुकूल बन जाती है क्योंकि कंपनी प्रत्यक्ष तौर से खरीद-बिक्री में शामिल नहीं होती है। फ्लिपकार्ट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच अप्रैल 2013 से पहले की अवधि के लिए है, जब इस कंपनी ने अपने व्यवसाय के तरीके को मार्केटप्लेस मॉडल के रूप में परिवर्तित नहीं किया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा-13 के तहत कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान जांच में दोषी पाया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय निवेश की राशि से तीन गुना तक जुर्माना लगा सकता है। भारत में प्रवेश पाने से पहले एमेजॉन को खुद को मार्केट प्लेस मॉडल में बदलना पड़ा था, जबकि अमेरिका में यह कंपनी इन्वेंटरी मॉडल अपनाए हुए है। विदेशी कंपनी होने की वजह से वह ऐसा करके ही भारतीय खुदरा बाजार में कारोबार कर सकती थी।

नियमन को लेकर अस्थायी दिक्कतों के बीच ज्यादातर अध्ययनों और विशेषज्ञों का मानना है कि ई-कॉमर्स का भारत में भविष्य उज्ज्वल है। एक अध्ययन के अनुसार, देश में ऑनलाइन खुदरा खरीदारी के लगातार बढ़ते चलन से

उत्साहित कंपनियां अगले छह सालों में यानी वर्ष 2020 तक संचालन, ढांचागत सुविधाओं और भंडारण पर करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करेंगी। परामर्श देने वाली संस्था प्राइसवाटरहाउस कूपर्स और एसोचैम के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि अगले तीन से चार वर्षों में भंडारण के लिए 75 लाख से डेढ़ करोड़ स्क्वेयर फीट अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ सकती है। इस सेक्टर में दिख रही प्रगति की संभावना और पूरी तरह से एफडीआई के लिए खोले जाने के बाद निवेश बढ़ने के साथ जहां ढांचागत सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं आपूर्ति की श्रृंखला भी मजबूत होगी। इसके साथ ही देश उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नील्सन रिसर्च के वैश्विक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस साल पहली बार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ई-कॉमर्स के जरिए खरीदारी उत्तरी अमेरिका से ज्यादा हुई है। दुनिया भर में इस वर्ष ई-कॉमर्स के जरिए 15 खरब अमेरिकी डॉलर की खरीदारी की संभावना है, जिसमें सबसे ज्यादा कपड़े और साज-सज्जा पर खर्च होंगे। भारत में भी यही प्रवृति देखे जाने की संभावना है। भारत में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, जिसका हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण किया है, का सम्मिलत फैशन कारोबार साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का है। हालांकि, इस चलन की वजह से खुदरा दुकानदारों की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती साफ दिख रही है।

ई-कॉमर्स घरेलू उपयोग की चीजों की खरीदारी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर-तरीकों को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। सेवा क्षेत्र में इसकी वजह से सबसे प्रासंगिक बदलाव हुआ है। ई-कॉमर्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नए द्वार खोले हैं और कई ऐसी सेवाओं को भी व्यापार योग्य बना दिया है, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। अनुसंधान एवं विकास, कंप्यूटिंग, दूरस्थ शिक्षा, इन्वेंटरी प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखांकन (अकाउंटिंग), कार्मिक प्रबंधन, विपणन, विज्ञापन और वितरण के व्यापार में ई-कॉमर्स की अहम भूमिका है। इसके लिए जरूरत बस इस बात की है कि विक्रेता और क्रेता के बीच संचार की गुणवत्ता और गति अच्छी हो एवं लागत कम हो। इंटरनेट ने दुनिया को व्यापार उदारीकरण के अगले दौर की दहलीज पर ला खड़ा किया है। सेवा क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन सौदे की लागत को घटाता है और संबंधित पक्षों का लाभ बढ़ाता है। जैसे-जैसे संचार की लागत घटेगी और आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। ई-कॉमर्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे स्वाभाविक फायदा आयात की लागत में कमी के तौर पर देखा जा सकता है। यह उन देशों के लिए भी फायदेमंद है, जो इंटरनेट के जरिए सेवाओं का निर्यात नहीं करते हैं।

हाल के कई सर्वेक्षणों में सवाल किया गया था कि क्या इंटरनेट का प्रयोग व्यापार को प्रभावित करता है। पूर्व यूरोप और मध्य एशिया के 20 निम्न एवं मध्य आय वाले देशों में सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि इंटरनेट कनेक्शन वाले उद्यमों का अपनी कुल बिक्री में निर्यात का हिस्सा उन उद्यमों से ज्यादा है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हैं। एक अन्य अनुसंधान में यह निष्कर्ष भी सामने आया कि विकासशील देशों में व्यापार पर इंटरनेट का प्रभाव विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा है। अनुसंधानकर्ता ने मध्य और अधिक आय वाले 31 देशों पर किए गए अध्ययन में पाया कि अधिक इंटरनेट औसत वाले देशों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सेवा का निर्यात ज्यादा तेजी से बढ़ा। यह तथ्य भी सामने आया है कि कम इंटरनेट कनेक्शन वाले विकासशील देशों की तुलना में अधिक इंटरनेट कनेक्शन वाले विकासशील देश विकसित देशों को ज्यादा निर्यात करते हैं। ❑

Geog./भूगोल
by
आलोक रंजन

OUR RESULTS 2010 Ranks - 18, 21, 26, 31 ..... 100 more. 2011 Ranks - 4, 20, 27, 35, 36..... 100 (approx)

2012 : - RESULTS
- Total results with geography 300* (could be more...).
- 12* students in top 100 (based on received phone calls & thanksfullness) & total result more than 100... including 2, 4, 12, 27, 36, 40, 50, 52, 53, 54 ... more than 100.

हिन्दी माध्यम में भी शानदार सफलता–Ranks - 36, 40, 50, 52, 53, 54, 93 ...

2013 RESULTS : More than 100 results (Ranks- 7, 21, 24 .....)

भूगोल सर्वोत्तम वैकल्पिक विषय के रूप में
- उच्चतम औसत अंक देने वाला । जैसे - 425, 423, 407 आदि।
- लगभग 3000 मुख्य परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों में से 300 सफल प्रतियोगी प्रत्येक वर्ष।
- प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न, प्रत्येक वर्ष।
- 250 अंकों का निबंध (भूगोल विषय से संबंधित)।
- सामान्य अध्ययन - प्रश्नपत्र प्रथम (पाठ्यक्रम का 50%) + द्वितीय प्रश्नपत्र (20%) + तृतीय प्रश्नपत्र का (60%) भूगोल विषय से संबंधित अर्थात् भूगोल विषय सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का लगभग 300 से 400 अंकों को समाहित करता है।

105 DAYS COURSE PROGRAMME

New Batches Start :

Batch - I Karol Bagh* (English)
Batch - II Mukherjee Nagar (हिन्दी)
Batch - III Mukherjee Nagar (English)
} 21st Nov.

Admission Open : ...

Corporate office : - A-18, Top Floor, Young Chamber, Behind Batra Cinema, Mukherjee Nagar, Delhi-09. Ph: 45045836, 9311958008, 009

DIGMANI EDUCATIONS

Branch office : - 17-A/20, IIIrd Floor, Near Titan Showroom, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, (Near Old Rajendra Nagar), Delhi-05. Ph: 28756008, 9311958007, 008, 009

YH - 256/2014

सरदार पटेल जयंती पर 'एकता दौड़'

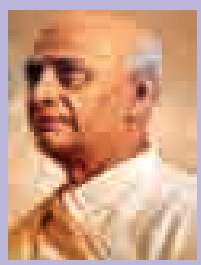

भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को 'एकता दौड़' का आयोजन किया गया और 'भारत की एकता' के लिए सरदार पटेल के योगदान को स्मरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने हमें 'एक भारत' दिया और हम सभी को 'श्रेष्ठ भारत' की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने पटेल जयंती को प्रेरणादायी पल बताते हुए कहा कि जो देश अपने इतिहास को भुला देता है वह इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत की समृद्ध विरासत को वैचारिकता की कसौटी पर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। सरदार पटेल के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल व महात्मा गांधी के संबंधों की विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस के संबंधों से तुलना की। चाणक्य के 'एक भारत' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल भविष्य को देखकर योजना बनाते थे और अपने सपने को धरातल पर उतारते थे।

विकास पथ

बाल स्वच्छता मिशन का शुभारंभ

राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरूआत हाल ही में नई दिल्ली में हुई। देश भर में स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान जिसे प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर,2014 को लॉन्च किया था, बाल स्वच्छता मिशन उसी की एक कड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा बाल स्वच्छता मिशन निम्न 6 बिन्दुओं पर आधारित है:-

1. स्वच्छ आंगनवाड़ी, 2. स्वच्छ खेल के मैदान/परिवेश,
3. खुद की स्वच्छता (निजी हाइजिन/बच्चों का स्वास्थ्य)
4. स्वच्छ भोजन, 5. स्वच्छ पेयजल, 6. स्वच्छ शौचालय

विद्यालय शिक्षा विभाग, शहरी विकास, पेयजल एवं स्वच्छता व सूचना-विज्ञापन विभागों के सहयोग से बाल स्वच्छता मिशन को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा गया है।

पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन-प्रमाण पत्र

पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण (आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) हाल ही में आरंभ किया गया, जिससे एक करोड़ से ज्यादा पेशनभोगियों को फायदा होगा।

प्रस्तावित डिजिटल जीवन प्रमाणन उन जरूरतों को खत्म करेगा जिसके तहत पेंशनभोगियों को प्रत्येक साल के नवंबर माह में पेंशन राशि निर्गत कराने हेतु सशरीर उपस्थित होना पड़ता था। इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अप्लीकशन विकसित किया है, जो पेंशनभोगियों के आधार संख्या व जैविक सूचना को उनके कंप्युटर व मोबाइल से बायोमैट्रिक रिडिंग डिवाइस के द्वारा पढ़ सकने में सक्षम है। पेंशनभोगियों से संबंधित मुख्य सूचना, समय, तारीख व बायोमैट्रिक सूचना को सेंट्रल डाटाबेस में वास्तविक समय के आधार पर अपलोड किया जा सकेगा, जिससे अंतत्वोगत्वा पेंशनदायी एजेंसी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर पायेगी। इससे यह प्रमाणित हो जायेगा कि पेंशनभोगी प्रमाणन के समय जीवित है।

इसके पहले पेंशनभोगी को पेंशन निर्गत कराने के लिए प्रत्येक साल के नवंबर माह में पेंशनदायी एंजेंसी के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ता था या सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से जारी जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराना पड़ता था।

वर्तमान में, 50 लाख से ज्यादा लोग केवल केन्द्र सरकार से पेंशन पा रहे हैं। इसी तरह इतने ही लोग राज्यों व केन्द्रशासित प्रदशों की सरकारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तमाम सरकारी उपक्रम भी पेंशन की सुविधा प्रदान करते हैं। 25 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी तो सेना से हैं। आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से उन तमाम पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक साल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण के किए जाने वाले मेहनत में कमी आयेगी।

सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सिस्टम को बड़े पैमाने पर पेंशनधारियों व अन्य सुविधाभोगियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराया जायेगा। इसे पर्सनल कंप्यूटर व स्मार्टफोन के साथ बिना किसी खर्च के एक बायोमैट्रिक रीडिंग डिवाइस के माध्यम से संचालित (ऑपरेट) किया जा सकता है। यह सुविधा सामुदायिक सेवा केन्द्रों पर भी उपलब्ध रहेगी, जिसे नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत चलाया जायेगा, जो ग्रामीण परिक्षेत्रों व पहुंच से दूर रहने वाले पेंशनधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए होगा।

मेक इन इंडिया के तहत स्थापित होंगे 12 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान

रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के अलग-अलग क्षेत्रों में 200 करोड़ की लागत से 12 उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र (एटीआई) खोलने का प्रस्ताव रखा है। महानिदेशालय के अधीन चलाए जा रहे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) का यह पायलट चरण है, जो सरकारी-निजी सहभागिता के जरिए क्रियान्वित होगी, शुरुआत में 9200 वोकेशनल इंस्ट्रकटर को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम व कौशल विकास पर बल देने के लिए इस दिशा में मेहनत की जा रही है। वोकेशनल प्रशिक्षक की जरूरतों पर बल देते हुए, रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय ने निर्णय लिया है कि 27 उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित होंगे। रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय ने यह भी निर्णय किया है कि इन संस्थानों के विकास के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के मॉडल को एक्सप्लोर किया जायेगा। रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय वोकेशनल प्रशिक्षण के विकास व समन्वय हेतु भारत में एक सर्वोच्च संगठन है।

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए इंटरनेशनल-प्रिंट-ओ-पैक लिमिटेड, बी-206, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: जयसिंह

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg.No. D.L.-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
23 नवम्बर 2014 को प्रकाशित • 29-30 नवम्बर 2014 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2012-14
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2014-15

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री.

विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.

15 अक्टूबर तक बाजार में उपलब्ध

Code No. 791
₹ 299/-

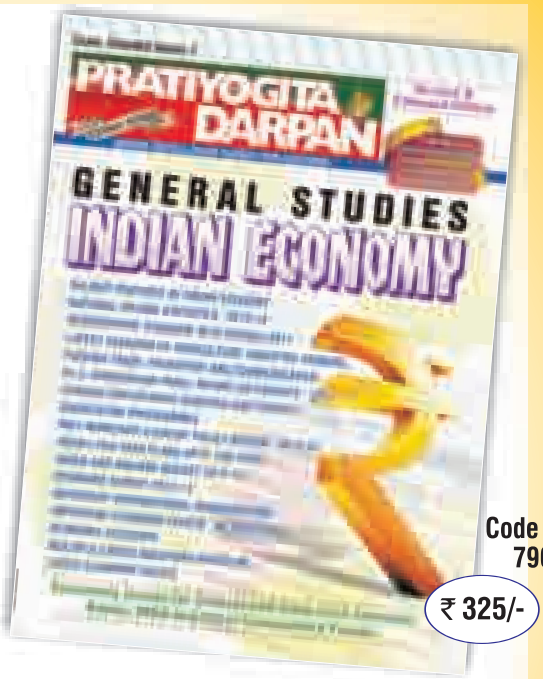

Code No. 790
₹ 325/-

टॉपर्स की राय में...

- .....प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र व राजव्यवस्था अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे. —संतोष कुमार राय
  सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान पर चयनित
- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया और विशेषतः इसके अर्थव्यवस्था वाले भाग से तैयारी में मुझे बहुत मदद मिली. —मेधा रूपम
  सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में 10वें स्थान पर चयनित
- मैंने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का उपयोग समय के सदुपयोग के लिए किया. —प्रियंका निरंजन
  सिविल सेवा परीक्षा, 2012 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान
- मैंने अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक पढ़ा है. यह अपने आप में बेजोड़ एवं तैयारी के क्रम में पठनीय अनिवार्य अंक है. —विवेक अग्रवाल
  सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में उच्च स्थान पर चयनित
- मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान के अतिरिक्तांकों का अध्ययन किया है, जो तैयारी के दौरान काफी उपयोगी रहे. —दिनेश मिश्रा
  उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2012 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान

मुख्य आकर्षण

✸केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट 2014-15 ✸आर्थिक समीक्षा 2013-14 ✸भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं ✸मौद्रिक एवं साख नीति तृतीय द्विमासिक समीक्षा 2014-15 ✸निर्धनता आकलन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) ✸राष्ट्रीय आय अनुमान 2013-14 ✸जनांकिकी परिदृश्य-जनगणना 2011 ✸कृषि, उद्योग, बैंकिंग, विदेशी व्यापार यातायात एवं संचार सम्बन्धी अद्यतन परिदृश्य ✸प्रमुख रोजगार-परक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ✸पंचवर्षीय योजनाएं ✸महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ✸महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली ✸नवीनतम आर्थिक तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति आज ही सुरक्षित कराएं

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080

YH-248/2014